सत्यमेव जयते

सोमवार,
१५ मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation 13.3.42

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

[illegible]

सोमवार, १५ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथग्रहण

श्री बिमल प्रसाद चालिहा (शिवसागर--उत्तर लखीमपुर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मोनाज़ाइट

*९९७. **श्री बहादुर सिंह:** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३-५४ में अल्वाये में मोनाज़ाइट की कितनी मात्रा का परिष्करण आदि किया गया था ;

(ख) इससे दुर्लभ मिट्टी के क्लोराइड तथा कार्बोनेट्स की कितनी मात्रा उत्पादित हुई थी; तथा

(ग) क्या इस उत्पादन की पूरी मात्रा का निर्यात कर दिया गया था अथवा इसके कुछ भाग का स्थानीय उद्योगों में प्रयोग किया गया था ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). लगभग १,००० टन ।

(ग) इस सूचना का देना लोक हित में नहीं है ।

श्री बहादुर सिंह: मोनाज़ाइट का उत्पादन करने वाले उद्योग की वित्तीय स्थिति कैसी है ? क्या यह लाभ अथवा हानि पर चल रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : मोनाज़ाइठ तैयार करने वाली फैक्टरी दुर्लभ मिट्टी क्लोराइड तथा दुर्लभ मिट्टी कार्बोनेटस को मेरे द्वारा बताई गई मात्रा में अर्थात् १,००० टन के लगभग तयार करती है इससे हमें उपोत्पाद के रूप में त्रिसोडियम फास्फेट भी प्राप्त होता है जिसका साबुन बनाने में 'बायलरों' तथा 'फिल्लर्स' में प्रयोग होता है । जहां तक फ़ैक्टरी के लाभ या हानि का सम्बन्ध है, मैं इस सूचना को नहीं दे सकता हूं क्योंकि यह लोक हित में नहीं है ।

श्री बहादुर सिंह : मोनाज़ाइट का विदेशों में निर्यात करने से हमें कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका बताना भी लोक हित में नहीं है ।

अखिल भारतीय सेवाओं में भरती

*९९८. **सरदार हुक्म सिंह**: (क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सन् १९५३-५४ में भाग क राज्यों के लिए आपात भर्ती योजना तथा भाग ख राज्यों के लिए आई० ए० एस०/आई० पी० एस० योजनाओं के अन्तर्गत कोई अधिक आयु वालों को भी भर्ती किया गया था ?

(ख) यदि ऐसा है, तो ऐसे कितने व्यक्ति भर्ती किये गये थे तथा किन किन राज्यों में ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७]

सरदार हुक्म सिंह: क्या यह योजना चालू रहेगी अथवा अब जब कि आपात-काल समाप्त हो चुका है, इसे बन्द कर दिया जायगा ?

श्री दातार: आपात भर्ती अब समाप्त हो चुकी है :

सरदार हुक्म सिंह: क्या यह भर्ती आम जनता में से की गई थी अथवा इन व्यक्तियों को किन्हीं दूसरे स्रोतों से लिया गया था ?

श्री दातार: भर्ती आम जनता में से अभ्यर्थियों से इन्टरव्यू करके की गई थी।

सरदार हुक्म सिंह: क्या भावी भर्ती में राज्य सेवाओं में से पदोन्नति के लिए कोई प्रतिशतता निश्चित की गई है अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती ही की जाया करेगी ?

श्री दातार: जहां तक भावी भर्ती का सम्बन्ध है, ७५ प्रतिशत नौकरियों में प्रत्यक्ष भर्ती की जायगी तथा २५ प्रतिशत नौकरियों पर राज्य सेवाओं में से पदोन्नति द्वारा भर्ती की जायगी।

श्री वी० पी० नायर: इस आयात भर्ती के लिए अधिकतम आयु कितनी रखी गई थी तथा त्रावनकोर-कोचीन राज्य से आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० के लिए व्यक्तियों को चुनने के लिए कितने मामलों में इस नियम में ढील की गई थी ?

श्री दातार: मेरे पास यहां ब्यौरा नहीं है।

हिन्दी के शब्द कोष

*९९९. **सेठ गोविन्द दास**: (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५४ में कितने रिसर्च असिस्टेंट हिन्दी के शब्द कोष बनाने का काम कर रहे थे ?

(ख) उनमें से कितने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये हैं और कितनों को संस्कृत आती है ?

(ग) क्या हिन्दी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत से लिये जाते हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) दस।

(ख) आठ दस रिसर्च एसिस्टेन्टों में से आठ संस्कृत भाषा जानते हैं।

(ग) जी हां, एक बड़ी संख्या में।

सेठ गोविन्द दास: जहां तक इस प्रश्न के (ग) भाग का सम्बन्ध है, क्या यह बात सही नहीं है कि हमारे संविधान की धारा ३५१ में जो यह कहा गया है कि ज्यादा तर शब्द संस्कृत से लिये जायेंगे, उस की इस समय अवहेलना की जा रही है

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : हां, की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : कदाचित प्रश्न को ठीक तरह से समझा नहीं गया है। माननीय सदस्य का आशय यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद की अवहेलना भी की गई है।

मौलाना आज़ाद : यह सही नहीं है। अफ़सोस है कि पहली मर्तबा मैं ने सवाल का एक हिस्सा सुना नहीं था।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि हमारे संविधान में शब्दों की जो सूची हम स्वीकार कर चुके हैं, ग्लौसरी अंग्रेज़ी में कहते हैं, उस में भी कुछ परिवर्तन करने का विचार किया जा रहा है ?

मौलाना आज़ाद : हां, यह भी बोर्ड के सामने है और वह चाहे तो इस पर ग़ौर कर सकता है।

सेठ गोविन्द दास : मैं यह जानना चाहता था कि जब संविधान की शब्दावलि हम स्वीकार कर चुके हैं तब उस के बाहर का विषय बोर्ड के सामने किस प्रकार आया, क्योंकि उस पर हमारे और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं ?

मौलाना आज़ाद : यह ठीक है, लेकिन यह मामला इतना नाज़ुक और अहम है कि फ़ौरन दरवाज़ा बन्द नहीं किया जा सकता। इसलिये बोर्ड अगर चाहे तो इस पर भी ग़ौर कर सकता है।

सेठ गोविन्द दास : मैं यह जानना चाहता था कि.....

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं।

सेठ गोविन्द दास : मैं एक दूसरा सवाल करना चाहता हूं कि यह जो शब्दावलि अभी तैयार की जा रही है उस पर अब तक कितना रुपया ख़र्च हो चुका है और क्या यह बात सही नहीं है कि इसी प्रकार की शब्दावलि भी भिन्न भिन्न प्रान्तों में तैयार की जा रही है तो उस सब के एकीकरण का क्या प्रयत्न हो रहा है ?

मौलाना आज़ाद : ख़र्च कितना हुआ है, इस का जवाब मैं इस वक्त नहीं दे सकूंगा लेकिन यह बात जो आपने कही ह कि दूसरे प्रान्तों में भी कुछ इस तरह का काम हो रहा है, यह सही है कि, हो रहा है। जिस वक्त केबिनेट ने यह फ़ैसला किया था कि एक सैन्ट्रल बॉडी बनाई जाये तो उस वक्त यह भी फ़ैसला किया था कि दूसरी सैन्ट्रल मिनिस्ट्रियों और प्रान्तों की गवर्नमेन्टों को यह लिखा जाये कि अब वह यह काम बन्द कर दें और जितना काम हुआ है वह इस बोर्ड के पास भेज दें। चुनाचे सैन्ट्रल मिनिस्ट्रियों ने ऐसा ही किया लेकिन बाज़ प्रान्तों में अभी यह काम हो रहा है। मैं नहीं समझता कि यह कुछ ज्यादा काबिल एतराज़ बात है। वह भी अगर टर्म्स बना रहे हैं तो बनायें। उन के भी टर्म्स मुल्क के सामने आयेंगे और लोगों को मुक़ाबिला करने का मौक़ा मिलेगा।

सेठ गोविन्द दास : यह एक ज़रा ठीक बात नहीं है कि......

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संस्कृत शब्दों के लेने के पक्ष में तर्क उपस्थित करते जा रहे हैं।

राज्य व्यापार

***१०००. श्री एस० एन० दास :** क्या वित्त मंत्री सरकारी व्यापार के विषय में ४ अक्तूबर, १९५१ को पूछे गये अतारांकित

प्रश्न सख्या ३७३ का निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिन योजनाओं ने काम करना बन्द कर दिया ह, क्या उनके लेखों को अब अन्तिम रूप से बन्द कर दिया गया है तथा संतुलन पत्र तैयार कर लिये गये हैं ;

(ख) उन योजनाओं के नाम जिनका जमा खाता है तथा उनके नाम जिनका ऋण खाता है ;

(ग) क्या उस समय चल रही योजनाओं में से कोई योजनाएं बन्द हो गई हैं तथा यदि हां तो कौन कौन सी; तथा

(घ) उन योजनाओं की संख्या तथा नाम जो अभी चल रही हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) कोयले तथा कोक के निर्यात सम्बन्धी योजना ।

(घ) निम्नलिखित ११ योजनायें अभी चल रहीं हैं :

(१) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की खरीद ;

(२) स्थानीय प्रकशासन द्वारा खाद्यान्नों की खरीद ।

(३) उर्वरकों की खरीद सम्बन्धी योजना ।

(४) भू-सुधार योजना (पुनर्वास तथा प्रयुक्त ट्रेक्टरों के प्रयोग सम्बन्धी योजना) ।

(५) चिकित्सा सामग्री डिपो तथा फैक्टरियां ।

(६) कुनीन तथा कुनीन की स्थानापन्न वस्तुओं की खरीद ।

(७) रूसी तरीके से सिन्कोना की खेती ।

(८) अन्डमान में उभोक्ता तथा अन्य वस्तुओं की प्रदाय की योजना ।

(९) सैन्यविघटन से सेवामुक्त हुए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये वस्तुओं तथा उपकरणों के रक्षित स्टॉक की खरीद ।

(१०) इस्पात का आयात ।

(११) सड़क बनाने के रोलर--प्रपुंज समाहार योजना ।

श्री एस० एन० दास : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि बहुत सी योजनायें १९४७-४८ में बन्द हो गई थीं, मैं जान सकता हूं कि लेखों के बन्द करने तथा उनके सम्बन्ध में संतुलनपत्रों की तैयारी में इतना अधिक विलम्ब क्यों हुआ है ?

श्री एम० सी० शाह : विभिन्न कारणों से बन्द हो चुकी योजनाओं के लेखों को अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया जा सका है । मैं यहां पर उनमें से कुछ का उल्लेख करूंगा :

(१) राज्य सरकारों से या उन पक्षों से जिन्हें वस्तुएं दी गई थीं, अन्तिम अभिलेख्यों का प्राप्त न होना ;

(२) आयात किये गये संयन्त्रों के बारे में सीमा शुल्क, पत्तन तथा निष्कासन व्यय, रेल के भाड़े आदि के सम्बन्ध में कुछेक विकलनों के समन्वय का न हो पाना; तथा

(३) पाकिस्तान सरकार से दावों तथा लेखों के सम्बन्ध में किसी फैसले का न होना ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस व्यतीत हुए समय में इन लेखों को शीघ्रतापूर्ण बन्द करने के लिए केन्द्रीय सरकार या सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा कोई प्रयत्न किये गये थे, तथा यदि ऐसा है, तो क्या उपाय किय गये थे ?

श्री एम० सी० शाह : प्रशासनिक मंत्रालयों को इन लेखों को यथाशीघ्र अन्तिम रूप से बन्द करने की प्रार्थना की गई है। साथ ही राज्यों के महालेखापालों से, जिन्होंने अभी तक जमा खाते तथा ऋण खातों की निविष्टियों को नहीं भेजा है, शीघ्र कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है।

श्री एस० एन० दास : इन लेखों को बन्द करने के लिए ये मंत्रालय और कितने वर्ष लेंगे ?

श्री एम० सी० शाह : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता परन्तु इतना मैं कह सकता हूं कि वह यथासंभव शीघ्र किया जायेगा।

श्री टी० एन० सिंह : आजकल इन समाप्त लेखाओं की देखभाल करने के लिये कितने कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं ?

श्री एम० सी० शाह : यह सूचना मेरे पास नहीं है। वे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों में हैं।

श्री मुरारका : क्या इन सभी योजनाओं में सरकार को लाभ होने की आशा है या हानि होने की ?

श्री एम० सी० शाह : कुछ योजनाएं बिना किसी लाभ या हानि के आधार पर होंगी। कुछ योजनाओं में हमें लाभ होता है, उदाहरण के लिये १९५३ में चीनी व्यापार में हमें लगभग २·८५ करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। कुछ अन्य योजनाओं में भी हमें लाभ की आशा ह; कुछ ऐसी भी हैं जिनमें हम किसी लाभ या हानि की आशा नहीं करते हैं।

हैदराबाद राज्य बैंक

*१००१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद राज्य बैंक ने भारत के रक्षित बैंक से विदेशी विनिमय में व्यवहार करने के लिये एक अनुज्ञप्ति दिये जाने की प्रार्थना की है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या अनुज्ञप्ति दी गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान्।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि विदेशी विनिमय में व्यवहार करने के लिये अनुज्ञप्ति किस आधार पर दी जाती है और भारत में अन्य बैंकों को अभी तक कितनी ऐसी अनुज्ञप्तियां दी गई हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। कुछ काल पूर्व मैंने यह सूचना सदन को दी थी। भारत में बहुत से ऐसे बैंक हैं जो विदेशी विनिमय में व्यवहार कर रहे हैं।

श्री एच० जी० वैष्णव: उस अनुज्ञप्ति के लिये उस बैंक ने क्या कारण बताये थे ?

श्री ए० सी० गुहा : अन्य बैंकों द्वारा विदेशी विनियम सन्बन्धी कुछ काम किया जा रहा था। रक्षित बैंक का अभिकर्त्ता होने के नाते उस ने यह अनुमति मांगी थी। अतः हमने उसे विदेशी विनिमय की सुविधायें दे दीं।

सरकारी प्रकाशनों का आदान प्रदान

*१००२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में सरकारी प्रकाशनों आदान प्रदान का कार्यक्रम कसा चला;

(ख) इस काल में प्राप्य हुई पुस्तकों का अनुमानित मूल्य कितना है ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अधीन किन्ही अन्य देशों के साथ ऐसे समझौते किये गये हैं; तथा

(घ) वर्ष १९५३ में कितनी पुस्तकें और प्रकाशन प्राप्त हुए थे ?

शिक्षा मत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) संतोषजनक रूप से ।

(ख) ज्ञात नहीं है ।

(ग) जी नहीं । अमरीका और तुर्की के संबंध में ही ऐसा प्रबन्ध है ।

(घ) ४,००० ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि जो किताबें मिली हैं उनकी कीमत गवर्नमेन्ट क्यों नहीं जानती है, क्या वह किताबों में लिखी नहीं रहती है ?

डा० एम० एम० दास : हमें केवल अमरीका से ही पुस्तकें मिली हैं । उन पुस्तकों म मूल्य नहीं लिखे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जाना सकता हूं कि हमारी ओर से कितनी किताबें भेजी गई हैं और उनकी कीमत कितनी है ।

डा० एम० एम० दास : हमें १०११ प्रकाशन प्राप्त हुए हैं । इन प्रकाशनों का कुल मूल्य केवल १,०६० रुपये होगा ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा

*१००३. **श्री धूसिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ की भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और उनमें से कितने परीक्षा में बैठे; तथा

(ख) कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित हुए थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) अनुसूचित जातियों के ५७ अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिये आवेदन किया था, जिनमें से २७ परीक्षा में बैठे थे ।

अनुसूचित अदिमजातियों के ७ अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिये आवेदन किया था, जिनमें से ३ परीक्षा में बैठे थे ।

(ख) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों का कोई अभ्यर्थी अर्ह घोषित नहीं हुआ है ।

श्री धुसिया : इनमें से कितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये थे, परन्तु मौखिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये तथा विलोमतः ?

श्री दातार : संघ लोक सेवा आयोग से यह विशेष विवरण हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या मैं यह जान सकता हूं कि पब्लिक सर्विस कमिशन में कोई शेड्यूल्ड कास्ट का मेम्बर है या नहीं, और अगर नहीं है तो उनका सेलेक्शन कैसे होता है ?

श्री दातार : संघ लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जातियों का कोई सदस्य नहीं है, परन्तु संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के अधिकार यथासंभव सुरक्षित रहें ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले तीन वर्षों में कोई शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी लिये गये हैं या नहीं ?

श्री दातार : गत तीन वर्षों में कुछ व्यक्तियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में,

कुछ को भारतीय पुलिस सेवा में और कुछ व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा, प्रथम श्रेणी, में भी लिया गया है ।

श्री धूसिया : ठीक ठीक संख्या कितनी है ?

श्री दातार : संख्या बहुत अधिक नहीं है ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल को बर्माशेल ट्राफी

***१००४. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सर्वश्री बर्मा-शेल ऑइल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, ने विभिन्न स्क्वाड्रनों के बीच वार्षिक प्रतियोगिता के लिये राष्ट्रीय सेना छात्र दल की विमान शाखा को एक ट्राफी भेंट की है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उसके साथ कोई शर्त जुड़ी हुई है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह एक चालू रहने वाली ट्राफी है और इसके लिये राष्ट्रीय सेना छात्र दल के सभी सीनियर डिवीज़न एयर स्क्वाड्रन्स के बीच प्रतिवर्ष प्रतियोगिता होती है । जो स्क्वाड्रन सब से उत्तम सर्वतोमुखी कुशलता दिखाता है, उसे यह इनाम में दी जाती है । इसके साथ और कोई शर्तें नहीं जोड़ी गई हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इस प्रतियोगिता में सार्वजनिक स्कूलों के सेना-छात्र भी भाग ले सकते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : सार्वजनिक स्कूलों में कोई सीनियर डिवीज़न नहीं होता है । यह ट्राफ़ी केवल राष्ट्रीय सेना छात्र दल के सीनियर डिवीज़न के एयर स्क्वाड्रन के लिये ही है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि यह ट्राफ़ी कितने मूल्य की है ?

श्री सतीश चन्द्र : हमें एक चांदी की शील्ड प्राप्त हुई है और हमने उसका १००० रुपये की बीमा करवाया है । मुझे शील्ड का वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं है ।

केन्द्रीय नमक गवषणा केन्द्र

***१००५. श्री गिडवानी :** (क) क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भावनगर स्थित केन्द्रीय नमक गवेषणा केन्द्र पर कितना वार्षिक व्यय होगा ?

(ख) वहां पर हुआ काम मीठापुर में हुए काम से किन बातों में भिन्न होगा ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) आशा है कि १९५३-५४ में आवर्त्तक व्यय २,६४,००० रुपये होगा ।

(ख) भावनगर का केन्द्रीय नमक गवेषणा केन्द्र मूलभूत और व्यावहारिक गवेषणा करने के लिये स्थापित किया गया है लाभ के लिये नहीं । इसके परिणाम उद्योग को मुक्त रूप से उपलब्ध होंगे । मीठापुर की संस्था एक वाणिज्यिक संगठन है, जो लाभ के लिये चलाई जा रही है और वहां पर खोज निकाले गये नये ढंग स्वाभाविक रूप से उस वाणिज्यिक संस्था द्वारा अपने ही लाभ के लिये काम में लाये जायेंगे ।

श्री गिडवानी : यह एक गैर-सरकारी संस्था है अथवा सरकारी ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मैं जानता हूं, यह सरकारी संस्था नहीं है ।

भारत में विदेशी

***१००६. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन पंजीबद्ध विदेशियों की संख्या जो १९५३ में रह रहे थे; तथा

(ख) उसी वर्ष में कितने नये विदेशी पंजीबद्ध किये गये ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १ जनवरी, १९५३ को भारत में पंजीबद्ध विदेशियों की संख्या ८२,३८१ थी;

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कितने व्यक्ति अमरीका से आये हैं; कितने रूस से आये हैं ?

श्री दातार : गत वर्ष में अमरीका से ६,२५१ व्यक्ति आये थे ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : भारत में इन व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या है ?

श्री दातार : वह विभिन्न प्रयोजनों से आये हैं, या तो अध्यापक की भांति, या धर्मोपदेशक की भांति या डाक्टर....

श्री सय्यद अहमद : या जासूस की भांति ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक किस राष्ट्रीयता के अन्तर्गत पंजीबद्ध है ?

श्री दातार : जहां तक संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों का सम्बन्ध है, उनके प्रति संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों जसा व्यवहार किया जाता है, अन्यथा उन की स्वयं की राष्ट्रीयता होती है ।

श्रीमती रेण चक्रवर्ती : क्या वह विदेशी पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध हैं; अथवा वह उन्मुक्त हैं ; और यदि वह पंजीबद्ध हैं, तो किस राष्ट्रीयता के अन्तर्गत वह पंजीबद्ध हैं ?

श्री दातार : जब भी उनको पंजीबद्ध किया जाता है, तो उनको उन के स्वयं के देश की राष्ट्रीयता के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया जाता है, अर्थात् उसी राष्ट्र विशेष के अन्तर्गत जिस के वह होते हैं; परन्तु जब वह संयुक्त राष्ट्र के कार्य से आते हैं तो शिष्टाचार के नाते उनका पंजीयन नहीं किया जाता है ।

काश्मीर से विस्थापित व्यक्ति

***१००७. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उन काश्मीरियों को जो अक्तूबर १९४७ में काश्मीर पर हुए आक्रमण के तुरन्त बाद काश्मीर छोड़ कर चले गये थे, विस्थापित व्यक्ति समझा गया है ;

(ख) यदि नहीं तो, तो किस श्रेणी के अन्तर्गत उन को रखा गया है ;

(ग) क्या इन प्रव्रजकों को भारत (जम्मू तथा काश्मीर राज्य के बाहर) नौकरी शिक्षा, ज़मीन की खरीद इत्यादि के सम्बन्ध में रियायतें दी गई हैं; तथा

(घ) क्या सरकार को उनकी ओर से इस सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). यह व्यक्ति जम्मू तथा काश्मीर राज्य से विस्थापित किये गये थे और उन का पुनर्वास इत्यादि राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है । इसलिये भारत सरकार की नीति काश्मीरी विस्थापित व्यक्तियों को अपनी सामान्य पुनर्वास योजनाओं म सम्मिलित

न करने तथा उनको केवल तदर्थ आधार पर ही सहायता तथा पुनर्वास के लिये पात्र होना समझने की है।

(ग) इन मामलों के अतिरिक्त कोई रियायतें नहीं दी गई हैं :—

(१) १ जुलाई, १९४९ से पूर्व दिल्ली में आये काश्मीरी विस्थापित व्यक्तियों को शिक्षा सुविधाओं, आवासों के आवंटन इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ पुनर्वास रियायतें दी गई हैं।

(२) कुछ काश्मीरी विस्थापित व्यक्तियों को, जो कि पहले योल कैम्प में थे, उस राज्य में भूमि इत्यादि की कमी होने के कारण जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त अन्य राज्यों में पुनर्वासित कर दिया गया है। इन सभी व्यक्तियों को नकद भिक्षादान तथा पुनर्वास ऋण इत्यादि दिये गये हैं।

(३) हाल ही में काश्मीरी विस्थापित व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में आयुसीमा सम्बन्धी वही छूट देने का निश्चय किया गया है जो पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को मिली हुई है।

(घ) समय समय पर कुछ व्यक्तियों से प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं, परन्तु इस प्रश्न के भाग (क) और (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में बताये गये कारणों से कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या मैं उन व्यक्तियों की कुल संख्या जान सकता हूं जो अक्तूबर, १९४७ में जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ कर भारत में आ गये थे ?

श्री दातार : जहां तक एक भाग का सम्बन्ध था संख्या कोई दो सौ थी, परन्तु जिन को अन्त में दो कैम्पों में रखा गया उनकी संख्या बहुत अधिक थी; वह ७५,००० थी।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या मैं उन व्यक्तियों की संख्या जान सकता हूं जिन्होंने स्वयं को भारत में विभिन्न एक्सचेंजों नौकरी दफ्तरों) में पंजीबद्ध कराया ?

श्री दातार : श्रीमान्, मेरे पास यह संख्या नहीं है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या मैं उन व्यक्तियों की संख्या जान सकता हूं जो सन् १९४७ में आये हुओं में से भारत सरकार द्वारा वापस भेज दिये गये थे ?

श्री दातार : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को विदित है कि जो व्यक्ति बम्बई राज्य में, उदाहरण के लिये अहमदाबाद भेजे गये थे, उन में से कुछ जलवायु सम्बन्धी अवस्थाओं के कारण सुविधापूर्वक नहीं रह सके हैं और उनमें से कुछ चले गये हैं और कुछ बुरी दशा में हैं ? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार उन को हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री दातार : सरकार को इस कथित असुविधा विशेष की जानकारी नहीं है, परन्तु सरकार इन व्यक्तियों को पुनर्वासित करने के लिए भी सभी संभव प्रयत्न कर रही है।

नेपाल का भूतत्वीय तथा खान सम्बन्धी सर्वेक्षण

***१००८. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधान तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नेपाल का भूतत्वीय तथा खान सम्बन्धी

सर्वेक्षण करने का काम अपने ऊपर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना खर्च होगा ; तथा

(ग) क्या नेपाल सरकार ने यह खर्च देने का वचन दिया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के०•डी० मालवीय) : (क) एक जियालाजीकल और मिनरल सर्वे द्वारा काम हो रहा है ।

(ख) खर्च का कोई ठीक अन्दाजा इस समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह कार्यक्रम जियालाजीकल सर्वे आफ़ इंडिया के सालाना कार्यों में शामिल कर दिया गया है ।

(ग) दोनों गवर्नमेन्टों के बीच किस तरह से खर्च का बंटवारा किया जाय इस सम्बन्ध में ग़ौर हो रहा है और बातचीत भी हो रही है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या नेपाल में कोई तेल के पाने की भी संभावना है ?

श्री के० डी० मालवीय : अभी यह ठीक तौर से नहीं कहा जा सकता कि तेल पाया ही जायेगा हालांकि कहीं कहीं तेल की गस के भूमि से निकलने की सूचना मिली है ।

श्री अमजद अली : प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर से उत्पन्न, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किस प्रकार के सवक्षण —भूकम्पीय, भारमितीय या वैमानिक करने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, अधिकांशत: पार्थिव अथवा भूमि सर्वेक्षण किया गया है ।

श्री अमजद अली : केवल पार्थिव ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : सरकार और किन किन स्थानों का सर्वे कराने की योजना कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार का तो एक सालाना प्रोग्राम बनता है । देश भर में जहां से सूचना मिलती है और भौगोलिक दृष्टि से जहां मुनासिब होता है वहां के लिये प्रोग्राम बनाया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर, यह सवाल तो नेपाल के लिये था ।

शास्त्री पंचाट

*१००९. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने शास्त्री पंचाट के विरुद्ध कोई अपील लम्बित हैं ;

(ख) क्या विवाद में सरकार ने अपने आप को एक पक्ष के रूप में रखा है, तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर हां में हो तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जी हां ।

(ख) औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० की धारा १३ के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुए सरकार अपीलीय न्यायाधिकरण के सामन चलने वाली कार्यवाही में उपस्थित हुई थी ।

(ग) ग्राम क्षेत्रों में बैंकिंग के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसा किया था । सरकार ने अपने प्रार्थनापत्र में यह कहा था कि ऐसे ग्राम और अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में जिनकी आबादी ३०,००० से कम है वर्तमान शाखाओं और कार्यालयों

के सम्बन्ध में यह पंचाट दो वर्ष तक तथा नई खुलने वाली शाखाओं आदि के सम्बन्ध में चार वर्ष तक लागू नहीं होना चाहिये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इस अपील के सम्बन्ध में कोई निर्णय सुना दिया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : न्यायाधिकरण ने यह निर्णय दिया है कि सरकार केवल उन बैंकों में से किसी एक की ओर से भाग ले सकती है जिन्होंने अपील दायर की है । सरकार ने यह अनुभव किया कि इस मुद्दे को लेकर किसी एक बैंक की ओर से लड़ना ठीक न होगा । न्यायाधिकरण ने अपील खारिज कर दी है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यदि इस मुकदमे में निर्णय सुना दिया गया है तो क्या सरकार अब भी यह विचार रखती है कि वह उन बैंकों की ओर से इस मांग पर आग्रह करे जिन्होंने ग्राम या अर्धनगरीय क्षेत्रों में काम करना आरम्भ किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस अवस्था पर यह प्रश्न पूछना समय से पूर्व है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि क्या सरकार अब भी समस्त बैंकों की ओर से यह मुकदमा लड़ने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि न्यायाधिकरण ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी ।

श्री बंसल : श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार अधिनियम में कोई संशोधन करने का है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे विचार में न्यायाधिकरण का निर्णय केवल एक सप्ताह पूर्व प्राप्त हुआ है । इसलिये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । कुछ भी हो, जब सरकार न्यायाधिकरण के सामने अपीलार्थी के रूप में प्रस्तुत हुई है तो सदस्यों को यह समझ लेना चाहिये कि सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरता से काम लेना चाहती है ।

पश्चिमी बंगाल को अनुदान

*१०१०. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने पश्चिमी बंगाल को राज्य में उच्च शिक्षा की लागत के लिये १९५३-५४ में कितनी अनुदान राशियां दी हैं; तथा

(ख) शिक्षा सम्बन्धी खर्चे को पूरा करने के लिये क्या राज्य सरकार ने संघ सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) यदि प्रश्न का निर्देश पश्चिमी बंगाल को दिये गये अनुदान से है तो मंत्रालय की शिक्षा सम्बन्धी विकास की पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बानीपुर क्षेत्र में पोस्टग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज के लिये १२,००० रुपये दिये गये थे ।

(ख) क्योंकि माननीय सदस्य ने प्रश्न में किसी निश्चित अवधि का निर्देश नहीं किया है इसलिये उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या इस प्रकार का अनुदान मंजूर करने से पहले सरकार कोई शर्त लगा देती है ?

डा० एम० एम० दास : शिक्षा मंत्रालय से राज्य सरकारों को अनेक मदों के अन्तर्गत

अनुदान दिये जाते हैं । इसलिये जब तक माननीय सदस्य यह नहीं बाताते कि वह किस मद का निर्देश कर रहे हैं तब तक उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

श्री एन० बी० चौधरी : विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये कितनी अनुदान राशि दी गई है ?

डा० एम० एम० दास : प्रश्न का सम्बन्ध उच्च शिक्षा तथा पश्चिमी बंगाल सरकार से है । विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का प्रश्न बिल्कुल अलग है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या राष्ट्रीय विस्तार योजना के अन्तर्गत कोई राशि दी गई है ? यदि हां तो कितनी ?

डा० एम० एम० दास : किसका राष्ट्रीय विकास ? कृषि का ?

श्री एन० बी० चौधरी : पश्चिमी बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या पिछले एक वर्ष में पश्चिमी बंगाल सरकार ने संघ सरकार से कभी आर्थिक सहायता की मांग की है जिससे वह शिक्षकों को बढ़ाया हुआ वेतन दे सके ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : जी नहीं ।

मऊ छावनी

*१०११. **श्री एन० एल० जोशी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मऊ के छावनी क्षेत्र में लोगों को चिकित्सा देने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : मऊ के छावनी क्षेत्र में रहनेवाले नागरिकों के लिये चिकित्सा सुविधाओं का प्रबन्ध स्थानीय कैन्टोनमेंट बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसने एक साधारण अस्पताल खोल रखा है । इस अस्पताल में रोगियों को रखा जाता है तथा बाहर भी इलाज होता है । इस में एक प्रसूति वार्ड, आपरेशन थेयटर और एक्‍सरे मशीन है तथा अन्य चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं ।

श्री एन० एल० जोशी : स्वतंत्रता के पश्चात् क्या सरकार ने छावनी में चिकित्सा सहायता के लिये दी जाने वाली राशि में कमी कर दी है ; यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

सरदार मजीठिया : वास्तव में, सरकार ने कोई सहायता कम नहीं की है । यह अस्पताल पूर्णतः स्थानीय कैन्टोनमेन्ट बोर्ड पर निर्भर है तथा वही इसको चलाता है । पहले वह इस पर ४५,००० रुपये खर्च करता था और अब ५०,००० रुपये खच कर रहा है ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई है कि छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं अब उपलब्ध हैं उन से वे संतुष्ट हैं अथवा स्वतंत्रता मिलने से पहले जो सुविधाएं उपलब्ध थीं उन से संतुष्ट थे ?

सरदार मजीठिया सरकार को यह बात नहीं बताई गई है कि चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं पर्याप्त नहीं और इसीलिये कोई जाच नहीं करवाई गई है । कुछ भी हो, परिस्थितियों के अन्तर्गत हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या सरकार की यह नीति है कि वह छावनी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिये किसी भी प्रकार का धर्मार्थ औषधालय चलाती रहे ?

सरदार मजीठिया: यदि कोई इस प्रकार का धर्मार्थ काय करने के लिये तैयार है तो हमें उसे स्वीकार करने में बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्री आर० के० चौधरी: क्या सरकार....

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं।

औद्योगिक खनिज प्रयोगशाला

*१०१२. **श्री के० सी० सोधिया**: (क) क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या औद्योगिक खनिज प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो कहां और उसमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

(ग) उसका वर्तमान कार्यक्रम क्या है ?

(घ) उससे उद्योगों को किस प्रकार की सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). उत्पन्न नहीं होते।

श्री के० सी० सोधिया: क्या किसी स्थान पर खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में प्रयोग किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय। जी हां। गुण सम्बन्धी परीक्षा-कार्य अलीपुर टेस्ट हाउस, कलकत्ते में हो रहा है। इसके अलावा सीमा-शुल्क विभाग ने उन खनिज पदार्थों की गुण-परीक्षा के लिये अलग प्रबन्ध कर लिया है जो देश से निर्यात किये जाते ह।

श्री के० सी० सोधिया: क्या कोई ग़ैर-सरकारी प्रयोगशालाएं भी यह कार्य कर रही हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझे पता लगा है कि खनिज पदार्थों के गुणों की परीक्षा कराने की ग़ैर सरकारी व्यवस्था भी है।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

*१०१३. **श्री वी० पी० नायर**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) १ जनवरी, १९५४ को हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में जिन वस्तुओं को डिस्पोज़ल के माल के रूप में वर्गीकृत किया गया था उनका मूल्य क्या था; तथा

(ख) ऐसी वस्तुओं के बेचने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) (क) १,३२,४७३ रुपये।

(ख) डिस्पोज़ल का माल बेचने के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने जो नियम बनाये हैं उसकी एक प्रति में सदन पटल पर रखता हूं। [देखिये परिशिष्ट ४, अनबन्ध सख्या ८].

श्री वी० पी० नायर: क्या यह सच नहीं है कि जिन वस्तुओं को डिस्पोज़ल के माल के रूप में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेच देता है उन्हीं वस्तुओं को वह फिर बहुत अधिक दाम देकर खरीदता है ?

श्री त्यागी: : सुझाव कुछ अजीब सा मालूम पड़ता है। मेरे विचार में जो वस्तु एक बार फालतू घोषित कर दी गई है उसे फिर से खरीदा नहीं जायेगा।

श्री वी० पी० नायर: क्या यह सच है कि न तो प्रधान मंत्री को और न ही रक्षा

संगठन मंत्री को डिस्पोज़ल भंडार पर ले जाया गया था जब कि हाल ही में वे हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड देखने पधारे थे ?

श्री त्यागी : मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता कि प्रधान मंत्री ने ऐसे भंडार देखे थे या नहीं पर मैं अपने बारे में तो यह मानता हूं कि मैं ने स्वयं वह नहीं देखे ।

श्री बी० पी० नायर : हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में कौन सा प्राधिकार यह निश्चित करता है कि कौन कौन सी वस्तु डिस्पोज़ल के माल में रखने के लायक है ?

श्री त्यागी : डिस्पोज़ल सम्बन्धी प्रत्येक मामले में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के प्रबन्ध-बोर्ड की पूर्वानुमति ली जाती है ।

पाकिस्तान से भारतीय पंजी को निकालना

*१०१४. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पाकिस्तान में जो भारतीय पूंजी लगी हुई है उसे भारतीय वापस ले सकते हैं ; तथा

(ख) क्या भारत में किसी उद्योग में पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा लगाई गई पूंजी को सरकार वापस ले जाने देती है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) तथा (ख). नहीं, श्रीमान् ।

श्री विश्वनाथ राय : भारतीय पूंजी को वापस लेने के सम्बन्ध में क्या सरकार का विचार पाकिस्तान सरकार से विचार-विमर्श करने का है ?

श्री बी० आर० भगत : इस मामले के सम्बन्ध में भारत और पास्कितान की सरकारें अनेक बार विचार-विमर्श कर चुकी हैं । दुर्भाग्यवश, अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या भारत सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन या अभिलेख हैं कि भारतीय नागरिकों द्वारा पाकिस्तान में कितनी भारतीय पूंजी लगाई गई है ?

श्री बी० आर० भगत : नहीं, श्रीमान् ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या पाकिस्तान तथा भारत स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में आपसी समझौते के फलस्वरूप भारतीय विनियोजित पूंजी की अदला-बदली हो गई है ?

श्री बी० आर० भगत : कुछ के सम्बन्ध में ऐसा हुआ है । इस प्रकार के हस्तान्तरण के मामले बहुत ही कम हैं तथा पूंजी भी बहुत ही कम है ।

श्री बंसल : क्या पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान में भारतीय उद्योग पतियों द्वारा प्राप्त किये गये लाभ को भारत भेजने के सम्बन्ध में कोई रोक लगाती है ?

श्री बी० आर० भगत : इस सम्बन्ध में हमें कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन है कि पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत में कितनी पूंजी लगा रखी है ?

श्री बी० आर० भगत : हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

लवडेल और सनावर के पब्लिक स्कूल

*१०१६. श्री एन० एम० लिंगम : क्या शिक्षा मंत्री १७ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करने की कृपा करेंगे तथा यह बतायेंगे :

(क) लवडेल और सनावर स्थित पब्लिक स्कूलों के प्रशासन और वित्त व्यवस्था पर सरकार का किस प्रकार का तथा किस सीमा तक नियंत्रण है ;

(ख) इन स्कूलों के स्वायत्त्र निकायों को सौंप दिये जाने के पश्चात् क्या कभी इनकी प्रशासन रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं ; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी रिपोर्टों की प्रतियां सदन-पटल पर रखी जायेंगीं ।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) लवडेल और सनावर की दो लारेन्स स्कूल स्वायत्र संस्थायें हैं और भारत सरकार उन्हें केवल सहायक अनुदान देती है ।

(ख) भारत सरकार को मालूम नहीं है कि ऐसी कोई प्रशासन रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं या नहीं ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ?

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं यह समझ लूं कि सरकार ने इन स्कूलों के बारे में अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है तथा नीति सम्बन्धी मामलों में भी वह कुछ नहीं कर सकती है ।

डा० एम० एम० दास : यह स्कूल स्वायत्र प्रशासन बोर्डों के अधीन हैं । अत: सरकार का उनकी प्रशासन नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री एन० एम० लिंगम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार की यह नीति है कि इन स्कूलों में जो शिक्षा दी जाये वह राष्ट्रीय शिक्षा के अनुकूल हो सरकार ने इस प्रकार का परिवर्तन करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

डा० एम० एम० दास : यह पब्लिक स्कूल अपने आपको इंग्लैण्ड के पब्लिक स्कूलों के समान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । अतः सरकार का यह विचार है कि जब तक इन निकायों को प्रशासन के सम्बन्ध में पूरी स्वायत्रता नहीं की जाती तब तक वे अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।

श्री वेलायुधन : क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लड़कों को इन स्कूलों में कोई विशेष रियायत दी जाती है और क्या उन में से कोई इन स्कूलों में भर्ती किये जाते हैं ?

डा० एम० एम० दास : हां, श्रीमान् । चालू वर्ष में सरकार ने योग्यता वाले गरीब विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की थी। कुल राशि लगभग एक लाख रुपये थी किन्तु जितने विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के लिये चुना गया है उन पर कुल ७०,००० रुपये का ही व्यय आयेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या भारत सरकार इस नीति को स्वीकार करती है कि हमारे यहां के पब्लिक स्कूल इंग्लैण्ड के पब्लिक स्कूलों के समानरूप होने चाहियें ? और क्या भारत सरकार ऐसे पब्लिक स्कूलों की संख्या बढ़ा रही है ?

डा० एम० एम० दास : यह पब्लिक स्कूल बहुत ही खर्चीले हैं । इन दो स्कूलों को सरकार को सहायता के लिये एक मुस्त रकम देनी पड़ती है । किन्तु अन्य पब्लिक स्कूल भी हैं जिन्हें गैर-सरकारी निकाय चलाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है । मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सरकार की नीति है ?

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है माननीय सदस्या उत्तर से सन्तुष्ट न हों। परन्तु इससे यह परिणाम तो नहीं निकलता कि प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवती : यह खतरनाक उत्तर है ।

भारतीय नौसना पोत-घाट कर्मचारी संघ, बम्बई

***१०१८. श्री एच० एन० मकर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई के भारतीय नौसेना पोत-घाट कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान नहीं की गई है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्यों नहीं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). संघ को सूचित कर दिया गया है कि उसे तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है जब तक उसकी कार्यपालिका में कोई बर्खास्त किया गया कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि सरकार ने छांट छांट कर ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर दिया जो प्रमुखरूप से मजदूर संघ के काम में लगे हुए थे और इस प्रकार अन्य कर्मचारियों को डराया कि वह उक्त संघ में भर्ती न हो ?

श्री सतीश चन्द्र : किसी को भी इस प्रकार शिकार नहीं बनाया गया । यदि सरकार के सामने ऐसा कोई विशेष मामला रखा जाये तो वह अवश्य उस पर विचार करेगी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : जब हमारे मजदूर संघ अधिनियम में यह व्यवस्था है कि मजदूर संघों की कमेटियों में कुछ प्रतिशत बाहरी व्यक्ति भी हो सकते हैं तो सरकार इस आधार पर उक्त संघ को मान्यता प्रदान करने से क्यों इन्कार करती है ?

श्री सतीश चन्द्र : मजदूर संघ अधिनियम, मजदूर संघों को पंजीबद्ध करने के लिये है । मजदूर संघ अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें यथाविधि पंजीबद्ध कर लिया जाता है, किन्तु सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किया जाना बिल्कुल अलग बात है । यह उचित नही समझा जाता है कि रक्षा संस्थानों में ऐसे संघों को मान्यता प्रदान की जाये जिनकी कार्यपालिकाओं में बर्खास्त किये गये कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति काम करते हों । इस विषेष मामले में, जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, अध्यक्ष, संचिव और कोशाध्यक्ष सभी या तो बर्खास्त किये गये कर्मचारी थे या बाहरी व्यक्ति थे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या भारत सरकार द्वारा बनाये गये कोई ऐसे नियम हैं जिनमें यह निर्दिष्ट है कि किसी विशेष विभाग में किसी संघ को मान्यता प्रदान करने में केवल एक अड़चन होगी और वह तब जब कि उसमें बाहरी व्यक्ति हों ।

श्री सतीश चन्द्र : कुछ व्यावाहारिक कठिनाइयां हैं । हाल ही में यह निश्चय किया गया है अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारियों के फडरेशन को सूचित भी कर दिया गया है कि भविष्य में हमारी नीति यही रहेगी ।

संघ लोक सेवा आयोग

*१०१९. **श्री पी० एन० राजभोज :** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कभी कभी प्रार्थी को उस के प्रार्थनापत्र का परिणाम बताने में संघ लोक सेवा आयोग लगभग चौदह पंद्रह महीने लगा देता है ?

(ख) इतनी अधिक देरी के लिए कौन उत्तरदायी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :(क) उम्मीदवारों को उन के प्रार्थनापत्रों का परिणाम बताने में औसतन नौ महीने से कम लगते हैं । १९५३ में २९३ मामलों में से २७ मामलों में नौ महीनों से अधिक समय लगा । इन में ऐसे नौ मामले भी सम्मिलित हैं जिन में चौदह महीने अथवा उस से भी अधिक समय लगा ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग और नियुक्त करने वाले प्राधिकारी उम्मीदवारों के शीघ्र चुनाव और नियुक्ति का हर संभव ध्यान रखते हैं । तो भी उम्मीदवारों को ध्यानपूर्वक चुनने में जो प्रक्रिया अपनानी पड़ती है उसके कारण कुछ देरी अनिवार्य है ।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या मैं जान सकता हूं कि बहुत सी एप्लीकेशन्स के जवाब अभी तक उनको नहीं मिले हैं, मेरे पास उनके नाम हैं और मैं मंत्री महोदय को बतला सकता हूं ।

श्री दातार : यदि माननीय सदस्य ऐसे व्यक्तियों के नाम दें तो मैं उनका आभारी हूंगा । मेरी जानकारी यह है कि सब प्रार्थियों को यथोचित सूचना दी जाती है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की कम संख्या होने के कारण इतनी अधिक देरी होती है ?

श्री दातार : नहीं यह कारण नहीं है ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या यह सच है कि उस उम्मीदवार को कोई सूचना नहीं दी जाती जिसे इंटर्व्यू के लिए नहीं बुलाया जाता अथवा उसे, जिसे नियुक्त नहीं किया जाता ?

श्री दातार : मेरी जानक़ारी यह है कि सब व्यक्तियों को सूचना दी जाती है, और उनको भी सूचना दी जाती है जिन के प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर दिये जाते हैं ।

श्री आर० के० चौधरी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यह शिकायत सदा रहती है । अगला प्रश्न ।

बिलासपुर का संविलयन

*१०२०. **श्री आनन्दचंद :** क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिलासपुर राज्य का हिमाचल प्रदेश में सम्पूर्ण संविलयन करने के लिए, कोई कार्यवाही करने से पूर्व बिलासपुर के लोगों को राज्य के भविष्य के सम्बंध में राज्य पुनर्संघटन आयोग के समक्ष अपने मत रखने का अवसर देने पर सरकार विचार कर रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जैसा गत चार दिसम्बर को इस सभा में बताया गया था, सरकार यह निर्णय कर चुकी है कि बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में संविलयन किया जाए । इस संविलयन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । इस सम्बंध में मैं यह भी कह दूं कि इस विषय सम्बन्धी एक विधेयक

आज अथवा शीघ्र ही दूसरे सदन में पुरः- स्थापित किया जायेगा ।

श्री आनन्दचंद : उस करार का ध्यान रखते हुए जो भारत सरकार ने बिलासपुर नरेश के साथ १५ अगस्त १९४८ को किया था और जिस में सरकार पर यह दायित्व रखा गया था कि वह बिलासपुर का प्रशासन पृथक राज्य के रूप में करेगी ? क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या करार में से इस शर्त को निकाल दिया गया है अथवा उस में किसी प्रकार का संशोधन किया गया है ?

श्री दातार : मुझे ऐसी शर्तों का पता नहीं जिन के अधीन भारत सरकार इसे अलग राज्य बनाये रखने के लिए बाध्य थी । इसे अलग राज्य बनाये रखना प्रशासनीय दृष्टिकोण बहुत कठिन है ।

श्री आनन्दचन्द : क्या सरकार को विदित है कि बिलासपुर के लोगों का बहुमत हिमाचल प्रदेश के साथ संविलयन के सर्वथा विरुद्ध है, और उन्होंने एक याचिका राज्य मंत्रालय को भेजी हुई है, जिस में उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया है और जिस पर लगभग पचास हज़ार लोगों के हस्ताक्षर हैं ?

श्री दातार : यह सच नहीं है ।

श्री ए० एम० टामस : राज्य का कुल क्षेत्र कितना है और नदी घाटी परियोजना से कितने क्षेत्र पर पानी आ गया है ?

श्री दातार : यदि मैं भूलता नहीं तो कुल क्षेत्र २९ वर्ग मील है ।

श्री ए० एम० टामस : नदी घाटी परियोजना से कुल कितने क्षेत्र पर पानी आ गया है ;

श्री दातार : मुझे इस का पता नहीं ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि बिलासपुर स्टेट के मर्जर के विरोध में एक आन्दोलन वहां के भूतपूर्व नरेश द्वारा किया जा रहा है और उस सम्बंध में आप को जो आवेदन पत्र मिलता है वह टाईप और साईक्लोस्टाईल उन्हीं के मकान पर होता है और वहीं लोगों से दस्तखत करवाये जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति ।

श्री आनंदचंद : क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में संविलयन करने के विचार का निरन्तर विरोध किया है ?

श्री दातार : यह प्रश्न सर्वथा प्रसंग-रहित है । बिलासपुर का संविलयन पंजाब में नहीं किया जा रहा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री के पास जानकारी है तो वे बतायें ।

श्री दातार : इस सम्बंध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं ।

पंजाब में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिमजातियां

*१०२१. **श्री राम दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में क्रमशः अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के सुधार के लिए पंजाब राज्य को कुल कितनी राशि का अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यह अनुदान किन मुख्य मदों पर व्यय किया गया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) अनुसूचित जातियों के सुधार के

लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया क्योंकि राज्य सरकार ने ब्योरा सहित योजनाएं नहीं भेजीं। तो भी आदिम जातियों के कल्याण हेतु और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए ६·० लाख रुपये की राशि राज्य के लिए नियत की गई है। इस में से ३·० लाख रुपये की राशि की मंजूरी दी जा चुकी है और बकाया राशि वित्तीय वर्ष के अन्त में वास्तविक व्यय आदि के सम्बंधी विवरण मिलने पर दी जायेगी। इस विवरण में राज्य सरकार द्वारा अपनी निधियों से चलाई जाने वाली योजनायें भी सम्मिलित होंगी।

(ख) शिक्षा तथा अर्थ व्यवस्था सम्बंधी विकास और चिकित्सा तथा संचार सुविधाओं की व्यवस्था।

श्री राम दास : क्या राज्य सरकार ने भी इन योजनाओं में अंशदान दिया है ?

श्री दातार : मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या अंशदान दिया है, परन्तु हमें उनकी विवरण सहित योजनाएं नहीं मिलीं।

श्री हेम राज : मैं जान सकता हूं कि लाहोल तथा स्पिति क्षेत्रों के विकास के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

श्री दातार : विभिन्न कार्यों के लिये विभिन्न राशियां हैं। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष कार्य के बारे में पूछें तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

श्री हेम राज : विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

श्री दातार : जहां तक छूत छात को समाप्त करने का सम्बंध है, पंजाब सरकार को देने के लिए ६ लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

श्री तिम्मय्या : क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बंध में जिन मदों पर व्यय किया जाता है वे देश भर में एक रूप हैं अथवा राज्यानुसार भिन्न भिन्न ?

श्री दातार : मदें सामान्यतः एक जैसी होती हैं। जहां तहां विवरणों में भिन्नता हो सकती है।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

*१०२२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास वित्त प्रशासन ने विस्थापित लोगों में ऋण वितरण करने के लिए, १ दिसम्बर १९५३ से अब तक कितनी राशि मंजूर की है?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : क्या प्रशासन ने १ दिसम्बर, १९५३ से २८ फरवरी १९५४ तक जिन ऋणों की मंजूरी दी उन की कुल राशि लगभग ८२·७३ लाख रुपये है।

डा० राम सुभग सिंह : इस मंजूर की गई राशि में से कितनी विस्थापित लोगों में बांटी गई है ?

श्री ए० सी० गुहा : इन तीन महीनों में ५५·१७ लाख रुपये बांटे गये हैं।

श्रीमती इला पाल चौधरी : श्रीमान् इस राशि में से कितनी पश्चिमी बंगाल शरणार्थियों के लिए नियत की गई है।

श्री ए० सी० गुहा : मेरे पास यहां आंकड़े नहीं हैं।

श्री आर० के० चौधरी : जिस ऋण की ओर निर्देश किया गया है क्या वह केवल पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को दिया जाता है अथवा पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को भी दिया जाता है ?

श्री ए० सी० गुहा : ये आंकड़े दोनों ओर से आये शरणार्थियों को दिये गये ऋण के सम्बंध में हैं।

श्री आर० के० चौधरी : क्या यह सच है कि जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को ऋण देने का सम्बंध है ऋण की पंजिका बन्द कर दी गई है और अब कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाता ?

श्री ए० सी० गुहा : जो प्रार्थना पत्र विचाराधीन थे अब उनकी मंजूरी दी जा रही है और उस की देनगी भी की जा रही है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार ने पुनर्वास वित्त प्रशासन और मंत्रणाकार बोर्ड की एक-मत-प्राप्त इस सिफारिश पर विचार किया है कि ब्याज की दर कम की जाए और यदि ऐसा है तो उस ने क्या निश्चय किया है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य को इस सम्बंध में धैर्य से काम लेना चाहिये ।

सरकारी कार्यसंचालन नियम

*१०२३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पुनरीक्षित कार्य संचालन नियमों को जिनका चुने हुए सचिवों की एक समिति ने परीक्षण किया है, अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केबिनेट ने उनकी अनुमति दी है ;

(ग) क्या पुनरीक्षित नियमों की एक प्रति सदन पटल पर रख दी जायेगी ; तथा

(घ) क्या इस बारे में आवश्यक कार्यवाही कर ली है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) पुनरीक्षित कार्य संचालन नियम बनाने का कार्य अभी जारी है ।

(ख) से (घ). इस अवस्था में ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, पुनरीक्षण का यह काम कब आरम्भ किया गया था ?

श्री दातार : लगभग दो वर्ष पहले ।

श्री एस० सी० सामन्त : नियमों का निरीक्षण करने में इतना अनावश्यक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्री दातार : श्रीमान्, कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है । हमें सब मंत्रालयों से परामर्श करना पड़ता है और उनके सुझावों पर विचार करना होता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि सिपारिशें सरकार को भेजी जा चुकी हैं और केबिनेट द्वारा उन पर विचार किया जाना था ?

श्री दातार : यह ठीक है, परन्तु अन्त में दो मामले बीच में आ खड़े हुए । श्री अप्लबी से परामर्श लिया गया और इसके अलावा एक पदाधिकारी श्री ए० के० चन्दा को विद्यमान नियमों तथा प्रक्रिया का पुनर्विलोकन करने को कहा गया ताकि सरकारी काम में अधिक कुशलता आ जाये । इस लिये मामला विचाराधीन है ।

पाकिस्तानियों का भारत में अनधिकृत प्रवेश

*१०२४. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में भारत में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले कितने पाकिस्तानी लोग हमारी पुलिस द्वारा पकड़े गये ;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कर्यवाही की गयी ; तथा

(ग) क्या उनमें से कुछ को भारत में रहने की अनुमति दी गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ७,६०० ।

(ख) ६,५९५ व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया । ३९ को या तो छोड़ा गया या विमुक्त किया गया । ९५१ के बारे में अभी परीक्षण होना है । ८५९ व्यक्ति पाकिस्तान वापस भेजे गये और १६ मामले अभी लम्बित हैं ।

(ग) १३० ।

श्री बहादुर सिंह : मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तानी लोग वहां से किस कारण उचित अनुमति-पत्र प्राप्त किये बिना भारत आ रहे हैं । वे यहां क्यों आना चाहते हैं जब कि विभाजन के समय उन्होंने पाकिस्तान में रहने की इच्छा प्रकट की थी ?

श्री दातार : सम्भव है की वे इस लिये भारत आ रहे हों क्योंकि वह समझते हैं कि यहां के हालात वहां के मुकाबले में अच्छे हैं ।

श्री बहादुर सिंह : उनको किन विशेष कारणों से भारत में ठहरने की अनुमति दी जाती है ?

श्री दातार : केवल विशेष मामलों में में ही उन्हे यहां और समय के लिये ठहरने की अनुमति दी जाती है । उदाहरणतः जब उनके रिश्तेदार अथवा उनके आश्रित यहां रह रहे हों और जब उनके पास पाकिस्तान में कोई तत्स्थानी सम्पत्ति न हो ।

श्री बहादुर सिंह : कितने व्यक्तियों को भारत में स्थायी रूप से रहने की अनुमति दी गई है ?

श्री दातार : मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं परन्तु संख्या बहुत थोड़ी है ।

श्री बहादुर सिंह : क्या सरकार उन लोगों को जिन्हें भारत में ठहरने और यहां बसने की अनुमति दी गई है उनके पुराने मकान तथा भूमि जो उनके पास विभाजन के पूर्व थी लौटाने पर विचार करती है ?

श्री दातार : यह प्रश्न पुनर्वास मंत्रालय के लिये है ।

अंग्रेज़ी बैंकों में हैदराबाद का रुपया

*१०२५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या राज्य मंत्री २३ नवम्बर १९५३ को पूछेगये तारांकित प्रश्न संख्या २०४ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) श्री मोइन नवाज़ जंग द्वारा पाकिस्तान के मुख्यायुक्त के हिसाब में अवैध रूप से स्थानांन्तरित किये गये रुपये को वसूल करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; तथा

(ख) सरकार द्वारा इंगलैन्ड में चलाये गये मुकदमें के बारे में क्या इंगलैंड के न्यायालयों ने कोई निर्णय दिया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) अनुप्राथियों (सालिसिटर्स) को निदेश दिया गया है कि तत्काल ही एक दावे का विवरण पेश करें ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या यह रुपया निज़ाम का है या कि हैदराबाद राज्य सरकार का ?

श्री दातार : मेरा विचार है कि रुपया हैदराबाद सरकार का है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या रुपया बैंक में इस लिये रखा गया था कि इस से शस्त्रास्त्र खरीदे जांय, जैसा कि भारत सरकार के हैदराबाद सम्बन्धी श्वेतपत्र (वाईटपेपर) में संकेत किया गया था ?

श्री दातार : मझे इस बात का ज्ञान नहीं परन्तु रुपया वेस्टमिन्स्टर बैंक में जमा किया गया था

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या इंगलैंड के न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि यह रुपया निज़ाम की निजी सम्पत्ति है और राज्य सरकार का इस से कोई सम्बन्ध नहीं ?

श्री दातार : मुझे तो यह पता है, परन्तु भारत सरकार के पास जो सूचना है उसके अनुसार रुपया राज्य सरकार का है ।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में सरकारी खजाने

***१०२६. श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि संघात्मक (फेडरेल) वित्तीय एकीकरण के पश्चात् त्रावनकोर-कोचीन राज्य के सरकारी खजाने केन्द्रीय सरकार की देय राशियों का प्रेषण लेते हैं जो कि पहले इम्पीरियल बैंक द्वारा प्रेसित की जाती थीं ?

(ख) एकीकरण से पूर्व इन प्रेषणों पर इम्पीरियल बैंक को कितना कमीशन दिया जाता था और इस प्रकार राज्य के खजानों द्वारा प्रेषण लिये जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार को १९५१ से अब तक कितनी वार्षिक बचत होती रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकारी कारबार के बारे में जो कमीशन इम्पीरियल बैंक को दिया जाता है वह सूप-अनुमाप के आधार पर दिया जाता है और यह अनुमाप पांच वर्ष में एक बार निर्धारित किया जाता है और भारत में इस बैंक की सारी शाखाओं द्वारा किये गये सरकारी कारबार की कुल राशि पर लागू होता है । किसी विशेष शाखा के बारे में दिये जाने वाला कमीशन निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार यह जानती है कि भारत सरकार के लिये रुपया इकट्ठा करने से काम बढ़ने के कारण राज्य के खजानों के कर्मचारियों को निश्चित समय से अधिक काम करना पड़ता है और कभी कभी काम पूरा करने के लिये बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे विचार में ऐसा होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि वित्तीय एकीकरण के पश्चात् खजानों का पुनर्संगठन किया गया था और अतिरिक्त कर्मचारी भी रखे गये । विशेषकर इन प्रेषणों सम्बन्धी अतिरिक्त काम को विचार में रखते हुए, नई शाखायें भी खोली गईं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या भारत सरकार त्रावनकोर-कोचीन के इन खजानों को उस अतिरिक्त काम के लिये, जो उन्हे भारत सरकार के लिये करना ही पड़ता है, कुछ धन राशि दे रही है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरा विचार है कि यह बात राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के सामान्य सम्बन्ध के अन्तर्गत आयेगी ।

श्री वी० पी० नायर : क्या त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि इन राज्यों के खजानों को निश्चित समय से अधिक कार्य करने के लिये कुछ रुपया दिया जाये और क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं नहीं समझता कि समय से अधिक कार्य का कोई प्रश्न है । अतिरिक्त कर्मचारी रखे गये हैं तथा कुछ और खजाने भी खोले गये हैं ।

पश्चिमी बंगाल के बैंकों का परिसमापन

***१०२९. श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में परिसमापित किये जाने वाले बैंकों में रुपया जमा करने तथा अन्य लेनदारों एवं बैंकों के कर्म-

चारियों को, न्यायालय परिसमापक की नियुक्ति में बिलम्ब होने के कारण जो परेशानी हो रही है उसके बारे में सरकार को ज्ञान है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उसकी नियुक्ति कब होगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जी हां ।

(ख) नियुक्ति कर दी गई है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक, परिसमापित किये जाने वाले बैंकों के वर्तमान कर्मचारियों को नौकरी में रखें क्योंकि इन बैंकों के वर्तमान परिसमापकों की भूलों एवं अनियमितताओं के बारे में बिना इन कर्मचारियों की सहायता के पता नहीं चल सकता ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति ! मैं समझता हूं कि यह प्रश्न न्यायाधीन है, परिसमापक से काम लेने का क्षेत्राधिकार तो न्यायालय का है न कि सरकार का ; सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : न्यायालय-परिसमापक की नियुक्ति शीघ्र ही की जाने वाली है ।

अध्यक्ष महोदय : न्यायालय द्वारा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : केन्द्रीय सरकार द्वारा ।

श्री ए० सी० गुहा : कर्मचारियों के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा नियक्त परिसमापक से कहा गया है कि वह अधिक से अधिक संख्या में पुराने कर्मचारियों को रखें । किन्तु माननीय सदस्यों को मैं यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि अधिनियम में संशोधन करने का अभिप्राय खर्चे में कमी करना है, अतः लगभग ७० परिसमापक कार्यालयों में कार्य करने वाले सभी पुराने कर्मचारियों को काम देना तो संभव नहीं होगा । एक ही मनुष्य के हाथ में जब काम दे दिया जायगा तो इसका अभिप्राय यह होगा कि कर्मचारियों की संख्या में कुछ कमी हो ; किन्तु मेरा विचार है कि पुराने कर्मचारियां को निकाल कर कोई नया आदमी नहीं लिया जायगा ।

श्री एच० एन० मूकर्जी : जब तक स्थायी पदधारी की नियुक्ति हो तब तक के लिये क्या सरकार परिसमापन के अधीन बैंकिंग कम्पनियों का कार्य करने वाले कलकत्ता उच्च-न्यायालय से सम्बन्धित कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति तुरन्त ही करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री ए० सी० गुहा : मैंने अभी बताया था कि न्यायालय परिसमापक की नियुक्ति हो गई है । और चार या पांच दिन पूर्व ही उन्होंने कार्यभार संभाला है ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि०

*१०३०. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० के अविवाहितों के पुराने क्वार्टरों तथा 'फ' वर्ग के परिवार वाले क्वार्टरों के निवासियों के लिये वैकल्पिक आवास की कोई व्यवस्था करने का विचार है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : इन क्वार्टरों के निवासियों के लिये हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० ने वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कर दी है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० के दौरे के समय माननीय मंत्री जी ने इन क्वार्टरों को देखा था ?

श्री त्यागी : : अविवाहितों के क्वार्टरों को तो नहीं देखा किन्तु विवाहितों के क्वार्टरों को देखा था ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि ये क्वार्टर मनुष्यों के रहने के लिये उपयुक्त नहीं हैं ; यदि इन क्वार्टरों में व्यक्ति रहते हैं तो यह खतरे से खाली नहीं है ।

श्री त्यागी : मैं जानता हूं कि ये क्वार्टर रहने योग्य नहीं थे । पिछले वर्ष ही ये बने थे । वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जा रही है । भारत सरकार की आवास योजना के अधीन दो सौ क्वार्टर पिछले वर्ष बनाये गये थे । १३०० क्वार्टर और भी बनाने का विचार है । इनमें रहने वाले सभी परिवार नये क्वार्टरों में बस गये हैं । कुछ नये लोग भी आ रहे हैं ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या मैं केवल एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

स्लेट के निक्षेप

***१०३१. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश के छः राज्यों में स्लेट के जो निक्षेप हैं उनम से पूर्ण रूप से स्लेट का पत्थर निकाला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो हमारी खपत का कितना भाग इसके द्वारा पूरा होता है तथा कितना भाग बाहर से ;

(ग) क्या कुछ मात्रा में निर्यात भी किया जाता है ; तथा

(घ) यदि हां, तो कितना ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, वस्तुतः ये निक्षेप निम्न नौ राज्यों में मिलते हैं आंध्र, बिहार, बम्बई, हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश ।

(ख) से (घ). सभी प्राप्य स्लेट की खपत देश में हो जाती है, न तो निर्यात ही किया जाता है और न आयात ही ।

श्री एस० सी० सामन्त : लिखने के अतिरिक्त और किन कामों के लिये स्लेट का प्रयोग किया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : छत पर बिछाने, फर्श डालने, तथा बिजली के कामों के लिये इसका उपयोग किया जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि भारतवर्ष में स्लेट के प्रयोग में कमी आ गई है अतः स्लेट का खदान कार्य भी धीमी गति से चल रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मैं जानता हूं इसको खदान से निकालने की प्रगति में तो कोई कमी नहीं आई है । किन्तु इसकी मांग के बारे में विशेष रूप से मैं कुछ कह नहीं सकता ।

फिरोज़ा (हरित मणि)

***८५६. श्री बहादुर सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३-५४ में भारत-वर्ष के किसी भी भाग में फिरोज़ा के किसी नये साधन का पता चला है ; तथा

(ख) इस खनिज का उपयोग किस औद्योगिक कार्य तथा अन्य कार्यों में किया जाता है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) अणुशक्ति के प्रयोग के अतिरिक्त उद्योगों में काम आने वाली मिलावटी धा-

तुओं के बनाने में यह फिरोज़ा काम में लाया जा सकता है ।

श्री बहादुर सिंह : १९५३-५४ में कितनी मात्रा में फिरोज़ा उत्पादन होने की आशा है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे खेद है कि इस समय मुझे यह जानकारी नहीं देनी चाहिये । इस समय बताना अभीष्ट नहीं होगा ।

श्री बहादुर सिंह : क्या फिरोज़े का हम निर्यात करते हैं, यदि हां, तो किन देशों को ?

श्री के० डी० मालवीय : विशिष्ट रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री अमजद अली : क्या आंध्र में भी फिरोज़ा मिलने की कोई संभावना है ?

श्री के० डी० मालवीय : काम करने वालों का एक दल खोज करने के लिये मद्रास क्षेत्र में भेजा गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मध्य भारत में सैनिक केन्द्रों की बेकार भूमि

***१०१५. श्री आर० सी० शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य भारत में सैनिक केन्द्रों में कितने एकड़ भूमि बेकार पड़ी है ;

(ख) क्या सेनाओं के एकीकरण के समय केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) मध्य भारत के सैनिक केन्द्रों में भूमि बिल्कुल भी बेकार नहीं है, यदि माननीय सदस्य शिविर डालने के स्थानों की ओर निर्देश कर रहे हैं तो ऐसे स्थान ३८ हैं जिनको भूतपूर्व रियासत की सेनायें शिविर डालने तथा प्रशिक्षण कार्यों के लिये प्रयोग में लाया करती थीं ।

(ख) तथा (ग). विलय के समय केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच भूतपूर्व रियासत की सेनाओं की आस्तियों को लेने के सम्बन्ध में जो सामान्य समझौता हुआ था उसके अतिरिक्त कोई और विशष प्रबन्ध नहीं किया गया था । सामान्य समझौते में कहा था कि संघ वित्त एकीकरण के समय भूतपूर्व रियासत की सेनाओं के उपयोग में जो कुछ भी था वह सभी केन्द्रीय सरकार को मिलेगा ।

सीमा शुल्क विभाग का गश्तीदल

***१०१७. श्री रघुरामय्या** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या करवर-गोआ सीमा भूमि में कार्य करने वाले सीमा शुल्क विभाग के गश्ती दल ने काफी मात्रा में सोना पकड़ा है जो टैक्सी द्वारा चोरी से भारतवर्ष को ले जाया जा रहा था ; तथा

(ख) यदि हां तो उस सोने का मूल्य क्या होगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) (क) तथा (ख). सीमाशुल्क विभाग के गश्ती दल सूंपा, ने कुल १५,८५० तोला सोना एक मोटर टैक्सी में पकड़ा है जो करवर से हुबली जा रही थी; ऐसा सन्देह है । कि यह सोना चोरी से भारतवर्ष को ले जाया जा रहा था ।

ओरियंटल गवर्नमेंट सीक्योरिटी लाइफ एश्योरेस कम्पनी

***१०२७. श्री रघुरामय्या** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि ओरियंटल गवर्नमेंट सीक्योरिटी लाइफ एश्योरेस कम्पनी का अपने आपको बीमा कराने वालों की कम्पनी में (म्यूच्युल) परिवर्तित करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव के बारे में अपनी स्वीकृति दे दी है ; तथा

(ग) वे शर्तें क्या हैं जिनके आधार पर स्वीकृति दी गई है !

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) बीमा अधिनियम की धारा ६० के अधीन कम्पनी की ओर से सरकार को कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

सौराष्ट्र में तेल की खोज करना

***८५९. श्री बंसल** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक** गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सौराष्ट्र तथा आस-पास के क्षेत्र में तेल के खोजने में कहां तक प्रगति हुई है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मत्री (मौलाना आज़ाद) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९]**

राष्ट्रय भौतिक तथा रासायनिक प्रयोगशालायें

***८९०. श्री गिडवानी** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना तथा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली का वार्षिक आवर्तक व्यय कितना है ?

(ख) प्रत्येक प्रयोगशाला के कर्मचारियों के वेतन पर कितना खर्च होता है ?

(ग) क्या इन में से किसी प्रयोगशाला में, विद्यार्थियों को, स्नातकोत्तर डिग्री के लिये भर्ती किया गया है ?

(घ) यदि हां, तो क्या, इन प्रयोगशालाओं को बदल कर सम्बद्ध विश्वविद्यालय प्रयोगशाला बना देने का विचार है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। (देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०).

(ग) हां।

(घ) नहीं।

सामाजिक कल्याण संस्थायें

१८७. श्री एन० राघवैय्या : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसी सामाजिक कल्याण संस्थाओं की संख्या कितनी है जिनको ३१ जनवरी १९५४ तक मैसूर राज्य के केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड के द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है ; तथा

(ख) अब तक राज्य को कुल कितने रुपये की सहायता दी गई है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) २७।

(ख) ६८,२०० रुपया।

निर्वाचन

१८८. श्री के० सी० सोधिया : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) (१) निर्वाचन सूची की तैयारी तथा प्रकाशन में तथा (२) निर्वाचनों तथा उपनिर्वाचनों के कराने में चालू वर्ष में कुल कितना रुपया खर्च हुआ ;

(ख) क्या राज्य सरकारों को इस कार्य के लिये कोई धन राशि दी गई थी ; तथा

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक को कितनी कितनी ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री श्री बिस्वास) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११**]

(ख) तथा (ग). संसद् तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचनों तथा उपनिर्वाचनों का खर्चा तथा निर्वाचन-सूचियों की तैयारी तथा प्रकाशन का खर्चा मूल रूप से तो राज्य सरकारें ही करती हैं । परीक्षण किये गये आंकड़ों के आधार पर अन्तिम समायोजन तो बाद में होता है परन्तु वित्तीय वर्ष का अन्त निकट आने पर, राज्य सरकारों को अस्थायी रूप से उतने रुपये का भुगतान कर दिया जाता है जो कि खर्चे में भारत सरकार का अंश समझा जाता है । खण्ड (क) में उपर्युक्त निर्दिष्ट विवरण के कालम ४ में, राज्य सरकारों को, चालू वित्तीय वर्ष में, किये जाने वाले भुगतानों की धनराशियां दी हुई हैं । इन भुगतानों में, चुनाव के खर्चे का भारत सरकार का केवल वही अंश नहीं है जो कि चालू वित्तीय वर्ष का है परन्तु इसमें पिछले वर्षों के भारत सरकार के हिस्से का वह रुपया भी सम्मिलित है जो राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिये और अभी तक बाकी पड़ा है ।

हिन्दुस्तान एअरक्रैफ्ट लिमिटेड

१८९. श्री वी० पी० नायर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर के रेलकोच विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या को थिनर्स तथा नाइट्रो सेलूलोज़ पेन्ट्स के छिड़काव के फलस्वरूप श्वास के साथ विषैली वायु सूंघने का खतरा रहता है ; तथा

(ख) रेल कोच "हैंगर" शेड में कर्मचारियों की रक्षा के लिये क्या कोई उपाय किये गये हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की रेलकोच फैक्टरी में थिनर्स तथा नाइट्रोसैलूलोज़ का छिड़काव नहीं किया जाता है । अतः इसके परिणाम स्वरूप विषैली वाय के सूंघे जाने का कोई खतरा नहीं है । परन्तु रेल कोच विभाग में सामान्य रूप से रोगन करने का कार्य होता है जिसके लिये हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने निम्नलिखित प्रबन्ध किये हैं :—

(१) सब से अलग एक अच्छा हवादार भवन ;

(२) मज़दूरों के लिये ऐसे कपड़े जिनको पहन कर सुरक्षा पूर्वक कार्य किया जा सकता है;

(३) स्वास्थ्य बनाये रखने के लिये दूध का निश्शुल्क संभरण;

(४) सूंघी जाने वाली हवा को छानने के लिये पतल तारों का एक यंत्र ; तथा

(५) हाथ मुंह धोने तथा सफाई करने की पर्याप्त सुविधायें ।

१५ लाख रुपया खर्च के, एक समुचित पेन्ट फ्यूम बाहर फेंकने की प्रणाली स्थापित करने की तैयारियां की जा रही

Par. S. 18. II. 23. 54
285

अंक २

संख्या २३

सोमवार,

१५ मार्च, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक २ में संख्या १६ से संख्या ३० तक हैं)

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

१. रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन [पृष्ठ भाग १४६५]

२. अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ८१२ [पृष्ठ भाग १४६६]

३. सम्पदा शुल्क नियम तथा सम्पदा शुल्क (नियंत्रित समवाय) नियम [पृष्ठ भाग १४६६]

पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिए गए ऋण के व्याज की दर में कमी सम्बन्धी विवरण [पृष्ठ भाग १४६७—१४६८]

वित्त विधेयक सम्बन्धी याचिकाओं का उपस्थापन [पृष्ठ भाग १४६८]

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—पुरःस्थापित [पृष्ठ भाग १४६८]

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा—असमाप्त [पृष्ठ भाग १४६८—१४९१]

राष्ट्रमण्डलीय वित्त मंत्री सम्मेलन सिडनी [पृष्ठ भाग १४९१—१५३८]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली।

20 PSD

(मूल्य ६ आने)

संसदीय वाद विवाद

(भाग २ प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-

(शासकीय वृत्तान्त)

लोक सभा

सोमवार, १५ मार्च १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

[देखिए भाग १]

३ म० प०

सदन पटल पर रखे गए पत्र

(१) रक्षा सेवाओं के १९५१-५२ के विनियोग लेखे और उनका वाणिज्यिक परिशिष्ट, लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित

(२) रक्षा सेवाओं सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९५३

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अधीन निम्नलिखित पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं:—

(१) वर्ष १९५१-५२ के लिये रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिए संख्या एस-७०/५४**]

(२) रक्षा सेवाओं सम्बन्धी वर्ष १९५१-५२ के विनियोग लेखों का वाणिज्यिक परिशिष्ट और उनका लेखा परीक्षा प्रतिवेदन । [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिए संख्या एस-७१/५४**]; और

(३) रक्षा सेवाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस-७२/५४**]

अधिसूचना सख्या एस० आर० ओ० ८१२

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं गृह-कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० ८१२ तिथि ७ मार्च १९५४ की एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं जिसमें राष्ट्रपति की वह उद्घोषणा प्रकाशित हुई है जिस द्वारा उन्होंने अपनी ४ मार्च १९५३ की उद्घोषणा को रद्द किया हैं [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए एस-७३/५४**]

(१) सम्पदा शुल्क नियम

(२) सम्पदा शुल्क (नियंत्रित समवाय) नियम

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं सम्पदा शुल्क अधिनियम १९५३ की धारा ८५ की उपधारा (३) के अधीन निम्नलिखित नियमों में से प्रत्येक की एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं ।

(१) सम्पदा शुल्क नियम १९५३ ; [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए सं० एस-७४/५४**]; और

(२) सम्पदा शुल्क (नियंत्रित समवाय) नियम, १९५३ । [**पुस्तकालय में**

[श्री सी० डी० देशमुख]

रखा गया। देखिए सं० एस-७५/५४]

पुनर्वास वित्त प्रशासन ऋण

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : भारत सरकार कुछ समय से उन ऋणों पर व्याज की दर घटाने के प्रश्न पर विचार करती रही है जो ऋण पुनर्वास वित्त प्रशासन दिया करता है। यह तो याद होगा कि गत सत्र में संसद् में पुनर्वास वित्त प्रशासन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के समय जब ऐसे सुझाव रखे गये तो मैंने इस विषय की जांच करने का विश्वास दिलाया था।

इस समय पुनर्वास वित्त प्रशासन ६ प्रतिशत की दर से व्याज लेता है और नियमित भुगतान पर १ प्रतिशत छूट देता है। पुनर्वास वित्त प्रशासन शरणार्थियों की सहायता के लिये सरकार के अन्य उपायों से इस रूप से भिन्न है कि यह व्यापारिक सिद्धान्तों पर कार्य करता है। प्रशासन को दी गई निधियों पर सरकार पहले ही ३ प्रतिशत व्याज लेती है जो कि सरकार की अपनी उधार की दरों से कम है। तो भी शरणार्थियों की पुनर्वास सम्बन्धी सहायता के विचार से सरकार ने १ अप्रैल १९५४ से यह निश्चय किया है कि २०,००० रुपये और २०,००० रुपये तक के उन सब ऋणों पर जो पुनर्वास वित्त प्रशासन ने दिये हैं अथवा देने हैं, पहले पांच वर्ष के लिए ४ १/२ प्रतिशत व्याज की दर होनी चाहिये और बाद में ५ प्रतिशत व्याज होना चाहिये और जब तक किश्तों और व्याज के भुगतान में कोई चूक न हो तो दोनों दशाओं में १ प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिये। २०,००० रुपये से अधिक राशियों के ऋण पर उसी तिथि से ५ १/२ प्रतिशत व्याज लिया जायगा और जब तक भुगतान में कोई चूक न हो १ प्रतिशत की छूट दी जायगी।

प्रशासन को कहा जा रहा है कि वह इस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिये विनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

वित्त विधेयक

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री जांगड़े (विलासपुर—रक्षित अनुसूचित—जातियां) : मैं वित्त विधेयक १९५४ के सम्बन्ध में एक प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं वित्त विधेयक १९५४ के सम्बन्ध में सात प्रार्थियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अस्पृश्यता बरतने अथवा उससे उत्पन्न कोई निर्योग्यता थोपने के लिये दण्ड निहित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

श्री दातार : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सामान्य आय-व्ययक

अध्यक्ष महोदय : अब हम सामान्य आय-व्ययक पर चर्चा आरम्भ करेंगे। माननीय सदस्यों के लाभ के लिये मैं

उनका ध्यान नियम २२५ (१) की ओर दिलाता हूं जो वित्त विधेयक से भिन्न आय-व्ययक के क्षेत्र के सम्बन्ध में है। आय-व्ययक की चर्चा करते हुए सभा को सारे आय-व्ययक अथवा उस में किसी सैद्धान्तिक प्रश्न पर चर्चा करने का अधिकार होगा। ऐसी शिकायतों की चर्चा जो वित्त मंत्री के भाषण से अथवा प्रस्तावित व्यय से न उत्पन्न होती हों अनियमित समझी जायेगी। प्रत्येक सदस्य के लिए १५ मिनट और वित्त मंत्री के लिए एक घंटे का समय रहेगा।

विशेष दलों के नेताओं को तीस मिनट तक का समय दिया जा सकता है परन्तु अतिरिक्त समय उक्त दल के लिए नियत समय में से काट लिया जायेगा।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उनकी वित्त सम्बन्धी नीति स्थायी और निर्बाधित रही है। इसका कारण यह है कि उन्होंने गत चार वर्षों में योजना की आवश्यकताओं के लिए अनुदार नीति अपनाई है।

मैं इस को इस लिए अनुदार नीति कहता हूं क्योंकि वे सदा राजस्व और पूंजी आगम का कम अनुमान लगाते रहे हैं और व्यय का अधिक अनुमान लगाते रहे हैं। १९५१-५२ के आयव्ययक में ७८ करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान था, संशोधित आयव्ययक में ९६ करोड़ रुपये के घाटे का और वस्तुतः १ करोड़ रुपये की बचत हुई थी। इसी प्रकार १९५२-५३ में ७६ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया, संशोधित आयव्ययक में ९२ करोड़ रुपये का और वस्तुतः ४६ करोड़ रुपये का घाटा रहा। १९५३-५४ में १३८ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। संशोधित आय-व्ययक में १२८ करोड़ रुपये का और वस्तुतः क्या होगा यह तो अगले वर्ष ही पता लगेगा।

राजस्व और व्यय के सम्बन्ध में भी यही बात है। १९५१-५२ में आय-व्ययक के आगम का अनुमान ४९७ करोड़ रुपए था संशोधित आयव्ययक में ४९७ करोड़ रुपये का, जबकि वस्तुतः ५१५ रुपये का आगम प्राप्त हुआ। १९५१-५२ के काम का अनुमान ही लीजिये। वह ३७५ करोड़ रुपये का था, संशोधित अनुमान ४०५ करोड रुपये का था और वस्तुतः ३८७ करोड रुपए का व्यय हुआ। १९५२-५३ में आयव्ययक में ३८७ करोड़ का अनुमान था, संशोधित अनुमान १२३ करोड़ था और वास्तव में ३९६ करोड़ का व्यय हुआ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इससे मैं यह बताना चाहता हूं कि वस्तुतः हित के लिए यह अनुदार नीति नहीं अपनाई गई। इसका अभिप्राय यह था कि सरकार की आवश्यकताओं से भी अधिक कर लगा रहे।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जो घाटा है उसका क्या होगा ?

श्री तुलसीदास : मैं पिछले वर्षों के सम्बन्ध में कह रहा हूं। १९५४-५५ के सम्बन्ध में बाद में कहूंगा।

माननीय मंत्री को कर व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन करते हुए डर लगता है। मै नहीं समझ सका कि जब वे कर व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक समझते हैं तो उत्पादन बढ़ाने और देश की बचत के हेतु कर जांच समिति के प्रतिवेदन से पूर्व ही वे परिवर्तन क्यों नहीं कर दिये गये। यदि कर जांच समिति की

[श्री तुलसीदास]
सिपारिश भिन्न प्रकार की हुई तो तदनुसार परिवर्तन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

मेरा विचार है कि इस में उन से भूल हुई है। सब बड़े बड़े देश अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनी कर व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। हमारी कर व्यवस्था युद्ध के बाद वाले तेजी के काल से ऐसी ही चली आ रही है। अधिक बचत, अधिक पूंजी और अधिक उत्पादन के लिए तथा देश की आवश्यकताओं के अनुसार इसे बदलना चाहिये।

अधिक कर की वर्तमान व्यवस्था से लोग हतोत्साह हो गये हैं और वे उद्योग में पूंजी नहीं लगाते। योजना में व्यापार तथा उद्योग दोनों में पूजी लगाने का अत्यधिक दायित्व गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र पर रक्खा गया है। परन्तु वह क्षेत्र इस कर व्यवस्था में अपने दायित्व को पूरा नहीं कर सकेगा। सरकार ने अनुभव किया है कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में पूंजी की कमी है। इस कारण उन्होंने उद्योग वित्त निगम चलाये हैं रक्षित। बैंक ने श्राफ समिति भी नियुक्त की है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह भी बताया है कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के संसाधन बढ़ाने के लिये और नये निगम खोले जायेंगे परन्तु इस सम्बंध में यह बात महत्वपूर्ण है कि उधार व्यवस्था भी गैर-सरकारी क्षेत्र में सफल नहीं हुई। इससे पता चलता है कि गत वर्षों से चले आते हुए यह कर अधिक है और आवश्यकताओं के अनुसार नहीं।

अन्य स्रोतों से भी आगमों में कमी हो रही है। उच्च आय-कर और बाजार की तेजी दोनों के कारण औद्योगिक पूंजी में करोड़ों रुपये की कमी हो गई है। इसका विशेष कारण यह भी है कि प्रतिस्थापन की लागत की बजाय पहले की लागत के आधार पर अवक्षण की गणना की जाती है जो ठीक ढंग नहीं है। इस कारणवश उद्योगों को पुनर्निर्माण और अधिक पूंजी वस्तुओं के लिए पर्याप्त आन्तरिक स्रोत नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को आन्तरिक स्रोतों का अधिक भाग देना चाहिए। उच्च कर व्यवस्था इस आधार पर बनाये रखी गई थी कि इससे पूंजी गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र से स्थानान्तरित हो कर सरकारी क्षेत्र में आ जाती है। परन्तु सरकारी क्षेत्र की पूंजी द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की हानि की पूर्ति नहीं हो सकी।

मेरे विचार में उद्योग तथा व्यापार पर कर का उच्च स्तर इसलिये रखा गया था कि कतिपय स्तर तक उद्योग में पूंजी लगाई जा सके। परन्तु लोगों पर कर का भार इतना अधिक है कि विकास द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ उसके बराबर नहीं। माननीय वित्त मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वे देखें कि क्या गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में पूंजी न होने का यही वास्तविक कारण तो नहीं है। घाटे की वित्त व्यवस्था के सम्बंध में श्री सी० डी० देशमुख ने ठीक कहा था कि यह कठिन कार्य है। मैं समझता हूं कि श्री सी० डी० देशमुख के हाथों में हम सुरक्षित हैं और वित्त मंत्री समझते हैं कि अब घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा उत्पादन बढ़ गया है। मैं मानता हूं कि हमारा उत्पादन बढ़ा है लेकिन फिर भी जरा सा सन्तुलन बिगड़ने पर बहुत सी कठिनाइयां खड़ी हो सकती हैं। इसलिये वित्त मंत्री जी को बहुत सावधान रहना होगा और मुझे विश्वास है कि वह

रहेंगे भी परन्तु इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिये कि हमें सामान्य स्थिति उत्पन्न करने के लिये प्रयत्न करने हैं और यह स्थिति तीन या चार वर्ष के अन्दर उत्पन्न हो जानी चाहिये । हमें अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आरंभ करनी है जिसमें पहली योजना की अपेक्षा बहुत ज्यादा रुपये की जरूरत पड़ेगी । पहली योजना की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि बचत को जो शुरू में ५ प्रतिशत थी, बढ़ा कर योजना के अन्त में ६.७५ प्रतिशत कर दिया जायगा । मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह किस प्रकार हमें बता सकते है कि वचत में वृद्धि हुई है या नहीं और यदि हुई है तो कितनी । यदि वृद्धि नहीं हुई है तो मैं नहीं जानता कि किस प्रकार गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये पैसा मिल सकेगा । यदि हम नोट छाप कर इस पैसे की व्यवस्था करेंगे तो भी बड़ी कठिनाई होगी । मैं आशा करता हूं कि जितना भी रूपया व्यय किया जायगा, वह उत्पादक कार्यों के लिये ही व्यय किया जायगा और माननीय वित्त मंत्री इस विषय में सावधानी से कार्य करेंगे । माननीय मंत्री ने कहा कि इस वर्ष और अगले वर्ष नोट छाप कर जितने रुपये की व्यवस्था की जायेगी उसका अधिकांश भाग राज्यों को उनकी विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया जायगा । यह एक बड़ा महत्व-पूर्ण प्रश्न है । हम घाटे की अर्थ व्यवस्था करने के लिये स्वीकृति दे रहे हैं परन्तु इसका बहुत सा पैसा राज्यों को दिया जायेगा । जब हम इतनी बड़ी राशि उनको दे रहे हैं तो क्या यह उचित नहीं है कि राज्यों के खर्च की जांच करने के लिये इस सदन का एक आयोग नियुक्त किया जाय ? मैं राज्यों की नीति की आलोचना करना पसन्द नहीं करता; परन्तु ऐसे कई मामले होते हैं जिनमें राज्यों के व्यय पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है । राज्यों के उद्यमों पर संसद द्वारा नियंत्रण रखे जाने के बारे में सरकार द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं किया गया हालांकि सदस्यगण एक समिति नियुक्त करने पर काफी ज़ोर देते रहे हैं । इन राज्य उद्यमों के जो अब प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां हो गई हैं, हिसाब के अधिकतर आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । मुझे एक या दो लेखे ही मिले हैं । चितरंजन फैक्टरी का हिसाब देखने से पता लगेगा कि २१ करोड़ की पूंजी में से केवल २ या ३ करोड़ ही उत्पादन के लिये खर्च होते हैं । इसी तरह अम्बरनाथ प्रोटोटाइप मशीन टूल फैक्टरी (नमूने के मशीन औजार बनाने की फैक्टरी) में जो कुछ हो रहा है उसका कुछ पता नहीं । उसमें बहुत कुछ पूंजी लगाई गई है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कुछ नहीं किया गया है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस स्थिति पर प्रकाश डालेंगे । कम से कम उन कम्पनियों के बारे में जो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां बना दी गई हैं, हमें यह सूचना होनी चाहिये कि वहां क्या हो रहा है । इसलिये मैं यह सुझाव देता हूं कि सरकार को इन मामलों में जांच करने के लिये कम से कम अब एक संसदीय समिति या आयोग की नियुक्ति करने पर सहमत होना चाहिये । भारत की संसद् होने के नाते, हमें एकमत हो कर इस प्रकार की एक समिति बनाने की स्वीकृति देनी चाहिये जो राज्यों की परियोजनाओं के व्यय और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के कार्य की जांच करे ।

मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी मेरी बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर) : मैं वित्त मंत्री को उनके

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

द्वारा प्रस्तुत किये गये आय-व्ययक पर बधाई देता हूं । स्वतंत्रता के साथ हमारे देश में बहुत कुछ कार्य हुआ है और हो रहा है । उद्योग-धंधों में वृद्धि हुई है। मूल्यों में स्थिरता आई है और खाद्यान्नों का उत्पादन भी बढ़ा है । सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं आदि से काफ़ी सुधार हुआ है। इसके अलावा, देश में उद्योगों को विकसित करने के लिये औद्योगिक विकास निगम बनाये जा रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से राय ली गई है कि वह हमें इन निगमों के स्थापित करने में किस प्रकार सहायता दे सकता है । इस संबंध में मैं नोट छाप कर अर्थ-व्यवस्था करने के बारे में चेतावनी देना चाहूंगा। एक बार यदि हमें इसकी आदत पड़ गई तो हो सकता है कि हम गलत रास्ते पर चलने लगें । इसलिये माननीय वित्त मंत्री को बहुत सतर्कता से कार्य करना होगा जिससे जब और जहां आवश्यक हो, इसे रोक दिया जाय ।

इस आय-व्ययक को मुख्यतः पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति को ध्यान में रख कर ही तैयार किया गया है । मूल योजना में २०६९ करोड़ रुपये के खर्चे की व्यवस्था थी परन्तु अब यह राशि बढ़ा कर २२४४ करोड़ रुपये कर दी गई है । इसमें से लगभग एक हज़ार करोड़ रुपया पिछले तीन वर्षों में खर्च हो चुका है । हमारी समस्या यह है कि शेष राशि कहां से प्राप्त की जाये । यदि हम विवरण को देखें तो पता चलेगा कि हमारे पास ४७४ करोड़ रुपये की कमी है जिसे बाज़ार से उधार ले कर, और विदेशी सहायता, छोटी बचत, विविध देय व प्रेषण तथा नोट छाप कर अर्थ-व्यवस्था करके पूरा करने का विचार है । जहां तक विदेशी सहायता का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए हमें इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिये । इसी प्रकार सीमा-शुल्क से होने वाली आय भी कम होती जा रही है । इसलिये हमें चाहिये कि हम राजस्व प्राप्त करने के अन्य साधनों का पता लगाने का प्रयत्न करें ।

मैं यह अनुभव करता हूं कि योजना को क्रियान्वित करने में एक रुकावट राज्य सरकारों की कमज़ोरी भी है । बहुत से राज्य अपने हिस्से का व्यय करने के लिये समुचित राशि इकट्ठी ही नहीं कर पाये हैं । उदाहरण के लिये मद्रास राज्य को ही लीजिये वहां की सरकार शिक्षा और सामाजिक सेवाओं के लिये रुपया प्राप्त नहीं कर पा रही है । उनके यहां २.५ करोड़ की कमी है; पता नहीं केन्द्रीय सरकार राज्यों की इतनी बड़ी बड़ी ज़रूरतों को किस तरह पूरी करेगी । केन्द्र द्वारा उन्हें रुपया दिया जाना ही काफी न होगा; उसके लिये यह भी आवश्यक है कि वह राज्यों को आय के साधन प्राप्त करने में सहायता दे ताकि अपने हिस्से का खर्च वे स्वयं कर सकें । यह दुर्भाग्य का विषय है कि शिक्षा तथा समाजिक सेवायें राज्यों के हिस्से में आई हैं । मेरे विचार में उचित प्रकार की शिक्षा राष्ट्रीय उत्थान और जनता की उन्नति के लिये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है । केन्द्र ने शिक्षा के लिये बहुत कम उत्तरदायित्व लिया है । बहुत से राज्य शिक्षा के संबंध में अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिये रुपया प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं । मैं मानता हूं कि कृषि, विद्युत-शक्ति और खाद्य उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, परन्तु शिक्षा का भी स्थान बहुत ऊंचा है और उसकी

किसी प्रकार उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। इसका इतना महत्व होते हुए भी इसे पूर्ण रूप से राज्यों के हिस्से में रखा गया है। यह योजना की एक कमज़ोरी है। मेरा यह सुझाव है कि जहां तक शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का संबंध है हमें राज्यों को यथासंभव सहायता देनी चाहिये।

मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं, जिन पर आप विचार करें। हमें लोक लेखा समिति की रिपोर्ट मिली है, जिससे पता चलता है कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर बहुत काफी अपव्यय हुआ है। हमें यह देखना चाहिये कि जो रुपया खर्च किया जाये उसका उचित रूप से उपयोग हो। इन परियोजनाओं पर हमारा वित्तीय नियंत्रण होना आवश्यक है। हमारे कुछ ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जो इस बात को देखें कि इन परियोजनाओं पर आवश्यकता से अधिक एक पैसा भी खर्च न किया जाये।

फिर, लोगों से श्रम के रूप में कर वसूल करने का सुझाव मैं पहले भी दे चुका हूं। आज राज्यों में जो कार्य किये जा रहे हैं उनमें से अधिकतर गांव वालों की सुख-सुविधाओं के लिये ही किये जा रहे हैं। अतः यदि लोग श्रम के रूप में अपना सहयोग दें तो हमारे यहां बहुत कुछ हो सकता है।

तीसरी चीज़ यह है कि हमें लोगों में योजनाओं के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिये ताकि इन को क्रियान्वित करने का काम जल्दी पूरा हो सके।

अन्त में मैं लंका स्थित भारतीयों की दिन पर दिन बिगड़ती हुई हालत की ओर सदन का ध्यान दिलाऊंगा। माननीय सदस्यों को पता है कि भारत और लंका के प्रधान मंत्रियों के बीच एक समझौता हुआ था। हमें पता चला है कि लंका में कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिनसे इस समझौते का ठीक प्रकार से पालन नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और देखना चाहिये कि इन अभागे लोगों को अपने रोज़गार से अलग न किया जाये, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग उसी देश में पैदा हुए हैं और वहीं पले हैं।

श्री गाडगील (पूना मध्य): मैं इस सदन का बहुत दिनों से सदस्य हूं और मैं यह कह सकता हूं कि अभी तक कोई ऐसा बजट पेश नहीं किया गया है जिस की सभी वर्गों द्वारा प्रशंसा की गई हो। कुछ न कुछ आलोचना तो होती ही रहती है। फिर भी, इस बजट के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं। इस बजट में पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित करने के लिये काफी राशि की व्यवस्था कर दी गई है। और यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें उसे कार्यान्वित करने में सफल नहीं होती हैं तो इसका दोष वित्त मंत्री पर नहीं मढ़ा जा सकता है। मेरे विचार में नोट छाप कर जो वित्त की व्यवस्था की गई है वह उचित ही है क्योंकि वर्त्तमान नियंत्रित परिस्थितियों में हम ऐसा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री हमारी आर्थिक व्यवस्था में हेरफेर किये बिना कभी भी घाटे की व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं। अतः इस विषय में मैं उन से पूर्णतः सहमत हूं। किन्तु इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। और वह यह कि इसका भार सारे समाज पर पड़ता है, यह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है। यदि प्रत्यक्ष करारोपण में कुछ वृद्धि कर दी गई होती तो मुझे कोई आपत्ति न होती। आप करारोपण

[श्री गाडगील]

जांच आयोग का नाम ले सकते हैं। परन्तु मेरे विचार में यह आयोग किसी गहरे परिवर्त्तन की सिफारिश नहीं करेगा क्योंकि जो लोग इसके सदस्य हैं उनसे इस प्रकार की आशा नहीं की जा सकती। दूसरे यह आयोग उन्हीं आर्थिक सीमाओं में काम करेगा जो सरकार ने बना दी हैं। क्योंकि सरकार ने उद्योग के निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बारे में अभी तक कोई निश्चित नीति की घोषणा नहीं की है। मैं चाहता हूं कि अब सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट कर दे।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं तो यही चाहता हूं कि आय की एक न्यूनतम सीमा निश्चित कर दी जाये, जो मान लीजिये ५००० रुपये प्रति वर्ष हो और इस पर कोई कर न लगाया जाये। दूसरी ओर अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाये, जो मान लीजिये ३०,००० रुपये प्रति वर्ष हो और इस से अधिक किसी की भी आय न होनी चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि संपदा शुल्क अधिनियम बन चुका है और इससे काफ़ी सीमा तक असमानता दूर हो सकेगी। मैं अप्रत्यक्ष करों के लगाये जाने का विरोधी नहीं हूं किन्तु साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि इस प्रकार जो कर लगाये जायें उनसे नागरिकों के बीच समानता लाने का प्रयत्न किया जाये। यह न हो कि एक को अधिक बलिदान करना पड़े और दूसरा कम करे ोर धनवान बनता जाये।

४ म० प०

मैं देखता हूं कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अधिक ज़ोर निज़ी क्षेत्र पर दिया जाने लगा है। कुछ लोग यह समझते हैं कि यदि सरकार निजी क्षेत्र अर्थात् उद्योगपतियों की हां में हां नहीं करेगी तो वह बेकारी की समस्या का सामान नहीं कर पायेगी। इसीलिये उन्हें हर प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं। लेकिन छोट पैमाने के उद्योगों और कुटीर उद्योगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी स्थिति बहुत ही गम्भीर हो गई है। बहुत से छोटे छोटे उद्योग जो युद्ध काल में उठ खड़े हुए थे उन्हें पनपने नहीं दिया जा रहा है। बिस्कुट, रंग, टीन आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी ओर मैं आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये उद्योग युद्ध काल में चल निकले थे किन्तु पता नहीं कि अब सरकार उनकी ओर से क्यों आंखें फेर लेना चाहती है। विदेशी उद्योग-पतियों को अब भी अधिमान 'दिया जाता है। उनके साथ अलग स्तर पर व्यवहार किया जाता है। अब समय आ गया है जब यह सब बातें खत्म होनी चाहियें। मेरे विचार में हम ने अपने उद्योगों को अभी ठीक तरह से जमने नहीं दिया है। हमें चाहिये कि हम उनकी ऐसी व्यवस्था करें कि यदि युद्ध हो तो हम उनको युद्ध की वस्तुएं तैय्यार करने में लगा सकें।

सुपारी पर कर लगा कर माननीय वित्त मंत्री ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। यही तो गरीबों के लिये एक ही ऐश्वर्य की वस्तु रह गई थी उस पर भी कर बढ़ा दिया गया है। यह तो गरीबों के साथ ज्यादती है। यदि आप इस कर को हटा लें तो अच्छा होगा। इस राशि को आप घाटे की अर्थ व्यवस्था से भी पूरा कर सकते हैं।

सरकार को विदेशी रुई के आयात से ४ करोड़ रुपये की आय होती थी किन्तु उसे हटा दिया गया है। इस कमी को मोटे और बीच के कपड़े पर कर बढ़ा कर पूरा किया जा रहा है। यह कहां का न्याय है। यदि कमी पूरी ही करनी है तो महीन कपड़े पर कर क्यों नहीं बढ़ा दिया जाता। मेरे विचार में मोटे और बीच के कपड़े

पर से कर हटा दिया जाना चाहिये और महीन कपड़े पर बढ़ा देना चाहिये। नकली रेशम उद्योग को महीन कपड़े से प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। रेशम का उद्योग अधिकतर सूरत में केन्द्रित है और किसी किसी के पास एक या दो बिजली से चलने वाले करघे भी हैं। मेरे विचार में कुटीर उद्योगों के साथ साथ उन जुलाहों को भी इस कर से मुक्त कर दिया जाये जिनके पास बिजली से चलने वाले एक या दो करघे हैं। जब सरकार उस रुई पर कर नहीं लगा रही हैं जिससे महीन कपड़ा बनता है तो नकली रेशम पर ही क्यों लगाया जाये। इस प्रकार का भेद भाव नहीं किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं यही चाहता हूं कि इस घाटे की अर्थ व्यवस्था का पूरा पूरा लाभ उठाया जाये और लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा किया जाये, और गरीबों और अमीरों के बीच अन्तर धीरे धीरे बिल्कुल हटा दिया जाये।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मुझे इस बजट से बहुत निराशा हुई है। इस में जिन करों का उल्लेख किया गया है उनसे मध्यम वर्ग के लोगों पर सब से अधिक भार पड़ेगा। साबुन, सीमेन्ट, जूतों आदि पर कर लगाना ठीक नहीं है। अप्रत्यक्ष करों का बोझ अधिकतर मध्यम वर्ग के लोगों और गरीबों पर पड़ता है। इस बजट का उद्देश्य है पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना। मैं नोट छाप कर वित्त व्यवस्था करने के भी विरुद्ध हूं। मेरे विचार में इससे मुद्रा-स्फीति होने की सम्भावना है। यह बजट इस बात को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है कि हमें संकट का भी सामना करना है। हमें यह ज्ञात ही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का वचन दे दिया है। इस पर भी हम सामुदायिक योजनाओं और कोलम्बो योजना के स्वप्न देख रहे हैं। वित्त मंत्री अब भी विदेशों से ४८ करोड़ रुपये की सहायता की आशा रखते हैं। इस से पता लगता है कि वह यह समझते हैं कि अब तक जैसा हो रहा है वही होता जायेगा। मेरे विचार में ऐसा समय आ सकता है जब हमें यह ४८ करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त ही न हो।

एक दूसरी बात यह है कि हमारे वित्त मंत्री को पाकिस्तान के उद्देश्यों में पूर्ण विश्वास है। किन्तु हम अनेक बार कह चुके हैं कि हमें उसके उद्देश्यों में ज़रा भी विश्वास नहीं है। पाकिस्तान समझौतों को कार्यान्वित नहीं करता है। वित्त मंत्री ने पाकिस्तान से १८ करोड़ रुपये मिल जाने की वर्षों से आशा प्रकट की है किन्तु आज तक उनकी आशा पूरी नहीं हुई है और न होगी। मेरे विचार में इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखा गया है और इसीलिय यह बजट अवास्तविक और ग़लत है।

आप इंग्लैंड के मामले को लें। वह एक युद्ध-अभिलाषी देश नहीं है। फिर भी उसने अपने रक्षा-कार्यक्रम के लिए अमेरिका से १२०० लाख पौण्ड की सहायता ली है। जहां ब्रिटिश द्वारा रक्षा के लिए इतनी तैयारी है, हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में केवल छः करोड़ रुपये के व्यय को ही बढ़ाया है। वे चार करोड़ रुपये तो केवल दिल्ली में बंगले बनाने पर ही खर्च कर रही है। मेरा विचार है कि स छः करोड़ रुपये की राशि को भी रक्षा के सम्बन्ध में किसी सारभूत सुधार के लिये नहीं, बल्कि विमान बल सम्बन्धी कुछ वस्तुओं की ख़रीद पर व्यय किया गया है।

[श्री वी० जी० देशपांडे]

हमारी सबसे बड़ी त्रुटि हमारी विदेश नीति है जिसके गलत होने से हम इतनी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। यदि हमारे प्रधान मन्त्री तथाकथित 'सक्रिय तटस्थता' की नीति का अनुसरण न करते तो आज हम इस परिस्थिति में न होते। हमने कोरिया में कठिनाई को अपने सिर पर लिया तथा हिन्द-चीन में युद्ध-विराम की अपील की। परन्तु जहां तक अपनी समस्याओं का सम्बन्ध है, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता दिये जाने पर भी हमने युद्ध के ख़तरे का अनुभव नहीं किया है तथा इसके लिए तैयारी नहीं की है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तथा भारत के सम्बन्ध इतने अच्छे न होने पर भी अमृतसर तथा सहारनपुर में हज़ारों की संख्या में मुसलमान वापस आ रहे हैं और हम उनका भव्य स्वागत करते हैं। हमें यथार्थवाद से काम लेना चाहिए। यदि आप यह कहें कि यहां के कम्युनिस्टों पर रूसी प्रभाव है तो क्या इन हज़ारों मुसलमानों पर पाकिस्तानी प्रभाव नहीं है? क्या उन्हें वापस लाने तथा इस देश में फिर से बसाने से देश की सुरक्षा को ख़तरा नहीं पहुंचेगा?

आप इन को बसाने के लिए तो बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु आपने अपने शरणार्थियों को बसाने के लिए क्या किया है? आप इस मद पर केवल चार करोड़ रुपये का व्यय कर रहे हैं। न तो आप रक्षा पर कुछ व्यय कर रहे हैं और न ही शरणार्थियों के बसाने पर। मेरा मत है कि जब तक आप जनता को देश की रक्षा के लिये आह्वान नहीं करते, देश का भविष्य अन्धकारमय है।

इस दिशा में सर्वप्रथम हमें अपनी विदेश नीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन करना होगा। यदि आप अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता दिये जाने का विरोध करते हैं तो आपको स्वयं भी अमेरिका से कोई सहायता नहीं लेनी चाहिये। यद्यपि मैं अमेरिका के पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मेरी अपनी भावना यह है कि हमें किसी न किसी देश से सहायता लेनी पड़ेगी। राजनीति में मित्र तथा शत्रु का कोई भेद नहीं होता है। यदि अमेरिका आपका शत्रु हो जाता है तो अमेरिका के शत्रु रूस को हमें अपना मित्र बनाना चाहिये। राजनीति में आज के शत्रु कल को मित्र बन जाते हैं। भारत को कोई न कोई फैसला अवश्य करना होगा। यह अच्छा होगा कि यह फैसला शीघ्र से शीघ्र कर लिया जाय।

मैं किसी गुट का समर्थन नहीं करता हूं। मैं समझता हूं कि अमेरिका तथा रूस दोनों अपने अपने साम्राज्यों की स्थापना करना चाहते हैं। मैं तो केवल अपने देश के हित का समर्थन करता हूं। मेरा समर्थन कोरे सिद्धान्तवाद पर नहीं है, यह बुद्धिपूर्ण प्रगतिशील स्वार्थ पर आधारित है। अपनी विदेश नीति को इसी सिद्धान्त के अनुसार बना कर देश की रक्षा की तैयारी करनी चाहिए। किसी विदेश से सहायता मांगने के अतिरिक्त हमें स्वयं अपने रक्षा उद्योगों को चलाना चाहिये। हमें अपने दल विशेष के प्रचार पर धन व्यय नहीं करना चाहिये। कुल आयव्ययक का रक्षा सम्बन्धी व्यय तो एक काफ़ी बड़ा भाग है, परन्तु स्वयं रक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे देश को रक्षा सम्बन्धी तैयारी के लिए युद्ध सम्बन्धी उद्योग चलाने चाहियें। इस से भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जनता को

आह्वान किया जाय । इससे समर्थक तथा विरोधी वर्गों का पता चल जायगा ।

दूसरी बात यह है कि हमें देश के सभी स्वस्थ युवकों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देना चाहिये । इसके अतिरिक्त उन्हें छापामार युद्ध के तरीकों में भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । हम अमेरिका और इंग्लैण्ड की भांति इतना अधिक धन तो खर्च नहीं कर सकते, परन्तु हमें कम खर्च वाले युद्ध के ढंग का विकास करना चाहिये जिससे हम अपनी महान् जन-शक्ति का उचित प्रयोग कर सकें ।

तीसरी बात यह है कि काश्मीर के सवाल पर युद्ध का छिड़ जाना सम्भव है । पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका से सहायता मिलने पर काश्मीर समस्या सुगमता से हल हो सकेगी । इसका अर्थ यह है कि वह शस्त्रों की सहायता से इसे हल करना चाहता है। हमें इस चेतावनी को स्वीकार करते हुए काश्मीर के सवाल को संयुक्त राष्ट्रसंघ से वापस ले लेना चाहिये । काश्मीर के भारत के साथ एकीकरण को सम्पूर्ण घोषित कर देना चाहिये ।

यहां पर यह आशा प्रकट की गई है कि सम्पदा शुल्क को पंचवर्षीय योजना के पूरा करने के लिये लगाया गया है । परन्तु इस से जो थोड़ी सी धन-राशि प्राप्त होगी, उस से यह आशा पूरी होती दिखाई नहीं देती है । इन करों से तथा नोट छाप कर धन की व्यवस्था करने से कोई लाभ नहीं होगा । मैं समझता हूं कि जब तक हम अपने आयव्ययक के बनाने में कुछ खतरों को सामने नहीं रखेंगे, हमारी अर्थ-व्यवस्था में परिव॰ नहीं हो सकेगा ।

श्री वेलायुधन : श्रीमान्, इस आयव्ययक पर बोलते समय मैं इस संसद् के बारे में अपनी भावना को व्यक्त करना चाहता हूं । जब मैं इस संसद् का सदस्य बना था तो मुझे आशा थी कि यह संसद् प्रजातन्त्र का प्रतीक होगी तथा लोगों की इच्छा को व्यक्त करेगी । पांच वर्ष के बाद मेरी यह आशा निराधार सिद्ध हो रही है । स्वयं अपने ही नियमों से इस संसद् ने अबाध अभिव्यक्ति के अधिकार को संकुचित कर दिया है ! इस संस्था से प्रजातंत्र तथा प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं का विकास होना था । परन्तु मुझे निराशा हुई है कि यह संसद् उन विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर रही है तथा प्रजातंत्र और प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं का विकास नहीं हो रहा है ।

भारत जैसे देश में बहुसंख्यक दल के नेता का उत्तरदायित्व बहुत अधिक होता है । नेता चुने जाने पर उसे दल का एकमात्र अधिकारी नहीं समझा जा सकता है । दल के अधिकांश सदस्यों को मंत्रि-मण्डल के चुनाव से संतोष होना चाहिये तथा यथासम्भव दूसरे दल के किसी व्यक्ति को मंत्रिमण्डल में लेने की प्रथा को अपनाना नहीं चाहिये ।

मैं कुछ बातें प्रशासन के बारे में भी कहना चाहता हूं । प्रशासन का क्षेत्र एसा है जिसमें प्रजातंत्र का जनता के कल्याण के लिए विकास होना चाहिये । परन्तु प्रत्येक प्रयत्न के होने पर भी वही नौकरशाही का ढांचा चला आता है समय आ पहुंचा है जब सरकार को यह अनुभव होना चाहिये कि अच्छी सरकार तथा वर्तमान कर्मचारी वर्ग का एक साथ चलना सम्भव न

[श्री वैलायुधन]

जहां तक आयव्ययक का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री ने पंच वर्षीय योजना के लिए बहुत बड़ी धन-राशि रखी है । मुझे इस योजना की प्रगति के बारे में कुछ मालूम नहीं है । यह एक स्पष्ट तथ्य है कि इस योजना से जनता के मनोविज्ञान पर कोई सुखद प्रभाव नहीं पड़ा है जिससे गरीब तथा मध्यम श्रेणी के लोगों में बहुत असंतोष है । मैंने योजना के बारे में प्रकाशित साहित्य का अध्ययन किया है तथा मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि इसमें त्रावनकोर-कोचीन राज्य में युद्धोत्तर पुनर्निमाण समिति द्वारा चलाई गई सभी योजनाएं शामिल हैं । अतएव पंच वर्षीय योजना कोई नई योजना नहीं है ।

त्राबनकोर-कोचीन राज्य की सारे विश्व में चर्चा हो रही है । वहां की जनता ने हाल में हुए चुनावों में अपना निर्णय दे दिया है । मुझे त्रावनकोर की जनता पर गर्व है । सत्य तो यह है कि आज सारे भारत में राजनीतिक ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक संकट विद्यमान है । ब्रिटिश सत्ता के समाप्त होने पर कांग्रेस इस संकट को समाप्त नहीं कर सकी है । मेरा कहना है कि सारे भारत का भविष्य त्रावनकोर-कोचीन पर निर्भर करता है । मुझे किसी दूसरी तरह की सरकार से कोई भय नहीं है । मुझे भारत की दशा के सुधारने के लिए हिंसात्मक क्रान्ति से भी कोई भय नही है । भारत के करोड़ों व्यक्ति अनपढ़ हैं गरीब हैं तथा भूखे है । यह काम सत्तारूढ़ कांग्रेस दल का है कि राज्यों तथा केन्द्र में लोकतंत्रात्मक शासन स्थापित करे तथा लोगों की हालत को सधार ।

श्रीमान, त्रावनकोर कोचीन के साढ़े बारह लाख अनुसूचित जातियों के एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते, मैं कुछ शब्द इस समुदाय के बारे में कहना चाहता हूं । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत के अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों ने पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में काफी उन्नति की है । फिर भी उन पर अभी तक बहुत निर्योग्यतायें लागू हैं । जब तक भारत से जाति पांति का विभेद पूर्णतः समाप्त नहीं होता भारत एक पूरा प्रजातंत्र नहीं बन सकेगा । महात्मा गांधी ने इस जाति पांति के विरोध में कई वार आवाज़ उठाई थी ।

विभिन्न प्रस्तावित करों के बारे में मुझे यह कहना है कि इन से जन-साधारण पर ही अधिक बोझ पड़ा है । इसके अतिरिक्त पिछले साधारण चुनावों में दलीय नेताओं ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विचित्र सा रुख अपनाया था उदाहरणार्थ यह प्रचार किया गया था कि कांग्रेस परिवार-आयोजन के पक्ष में है तथा वह स्त्रियों को बच्चे जनने से भी मना कर देगी ।

साबुन, चप्पल और सुपारी आदि वस्तुओं से गरीब जनता को लाभ पहुंचता है । और इन्हीं पर कर लगाया गया है । अपने देश में बहुत कम लोग जूता पहनते हैं । जूतों पर कर लगाया गया है जो इस देश के लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

नकली रेशम को पहनने का चाव बच्चों और स्त्रियों को होता है, किन्तु नकली रेशम पर कर लगा कर लोगों को असुविधा उत्पन्न कर दी गई है ।

सुपारी पर जो कर लगाया गया है वह बहुत अधिक है वह कम होना चाहिये था। भारत आर्थिक और राजनैतिक अव्यवस्था की स्थिति में है, जब तक हमारी कोई निश्चित विचार-धारा नहीं बनती, हम समय का डट कर सामना नहीं कर सकते हैं। यह कहने का कुछ अर्थ नहीं है कि हम संसार में एक "तृतीय खण्ड" बना रहे हैं। हमें भी अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा को अपनाना चाहिये। प्रजातंत्र में मेरा विश्वास है क्योंकि यह देश में शान्ति-पूर्ण सामाजिक क्रान्ति लाने में समर्थ होगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री तथा मंत्रिमण्डल योग्य मार्ग प्रदर्शन करेंगे।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम्) : रक्षा सेवाओं के लिए जो उपबन्ध किया गया है उसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं। किन्तु भारत जैसे देश के लिये सामूहिक शस्त्रीकरण ठीक मार्ग नहीं है। आर्थिक स्थिरता पर ही राष्ट्र की स्थिरता निर्भर है। मैं एक माननीय सदस्य से यह सुन कर लज्जित हुआ हूं कि भारत को अमरीका या रूस से शस्त्र सहायता लेनी चाहिये। हम ने प्रधान मंत्री के वक्तव्य से सहमति प्रकट की थी, किन्तु इसका आशय यह नहीं है जो माननीय सदस्य ने व्यक्त किया है।

इस आय व्ययक को कुछ लोग विकासात्मक तथा प्रगतिशील समझते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग इसे निराशाजनक आय-व्ययक मानते हैं। इसके विरुद्ध यह आरोप निर्मूल है कि यह उत्साहवर्द्धक नहीं है। पंचवर्षीय योजना को प्रत्येक वर्ष के आयव्ययक में मुख्य स्थान दिया जाता है। सब कठिनाइयों के होते हुए भी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प के कारण यह प्रगतिशील आयव्ययक है। प्रथमार्द्ध में कुछ कमी रखी गई है, किन्तु जो प्रगति हुई है वह निराशा उत्पन्न करती है। यह दुख की बात है कि स्थानीय निर्माण कार्यों के लिए जो उपबन्ध किया गया था, उस धन का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। प्रारम्भिक तथा सामाजिक शिक्षा के उपबन्ध में भी कमी हुई है। जब तक आयव्ययक उपबन्धों का शीघ्र उपयोग नहीं किया जायेगा उस का परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा।

औद्योगिक गृह निर्माण योजना अत्युत्तम उपक्रम है। औद्योगिक मालिकों के सहयोग होने के कारण मैं योजना की मन्द प्रगति को समझ सकता हूं, किन्तु जहां पचास प्रतिशत धन सहायता के रूप में तथा पचास प्रतिशत राज्यों को ऋण के रूप में दिया जाता है, उस की क्या स्थिति है? राज्यों और केन्द्र के बीच पत्र व्यवहार होता रहता है किन्तु मंजूरी आदि कुछ नहीं दी जाती है। इन मामलों को हमें स्थानीय परिस्थितियों और समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए तथा राज्य सरकारों को अधिक स्वतन्त्रता देनी चाहिए। व्यय पर उचित निरीक्षण होना चाहिए किन्तु अनुदान मंजूर करने में भी अधिक उदारता से काम लेना चाहिए। संसाधनों के उपयोग करने में बाधा उत्पन्न करना अथवा मंजूरी देने में देरी करना अच्छा नहीं है। मैं प्रशासनिक संस्थापना के विकेन्द्रीकरण की नीति का समर्थन करता हूं।

योजना आयोग के प्रथम प्रगति प्रतिवेदन में कहा गया है कि गांव पंचायतों को स्थानीय सहयोग प्राप्त करने के लिए विकास कार्यक्रमों को चलाने के मामलों में

[श्री ए० एम० टामस]

पूर्णतया उत्तरदायी होना चाहिए, हमें यह विश्वास भी दिलाया गया था कि स्थानीय पंचायतों के द्वारा बहुत सा धन इस काम के लिए खर्च किया जाएगा।

राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन, सिडनी

उपाध्यक्ष महोदय: अब राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन सिडनी के सम्बन्ध में चर्चा होगी। प्रत्येक सदस्य पांच से दस मिनट तक बोलेंगे।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : महत्वपूर्ण मामला होने के कारण सदन को कम से कम दो घंटे चर्चा करने के लिए मिलने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय: आयव्ययक वाद-विवाद के बीच इस प्रकार के मामलों को लाना ठीक नहीं है। परन्तु क्योंकि कई सदस्य बोल नहीं सके हैं, इसलिए इस के लिए समय नहीं बढ़ाया जा सकता है।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : सिडनी सम्मेलन के सम्बन्ध में कुछ बोलने से पहले मैं इस बात का विरोध करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में सूचना देने से इन्कार क्यों किया जा रहा है। हाउस आफ कामन्स में तो इसी प्रश्न पर एक स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में वाद विवाद हुआ था।

मैं वित्त मंत्री और संसद् कार्य मंत्री से इस के सम्बन्ध में श्वेत पत्र जारी करने के लिए कह रहा था, किन्तु कुछ प्राप्त नहीं हुआ, केवल १८ फरवरी को वित्त मंत्री ने जो कुछ इस सदन में कहा उन शब्दों की पुनरुक्ति तथा आधा पृष्ठ आंकड़ों समेत विवरण हमें दिया गया। श्री बंसल ने १८ जनवरी को इंगलिस्तान और जापान के बीच होने वाली सन्धि के विषय में पूछा था, किन्तु वह जानकारी भी नहीं दी गई। माननीय वित्त मंत्री को याद रखना चाहिए कि यह संसद् है। मंत्रालय की टिप्पणियों में कहा गया है कि विस्तृत वाद विवाद गोपनीय हैं। सदन को बहुत थोड़ी जानकारी दी गई है, जबकि सिडनी में अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, मुद्रा विनिमय, वस्तु विनिमय, मजूरी और नौकरी तथा अनेकों दूसरे मामलों पर चर्चा हुई थी।

सिडनी से इस वर्ष १५ जनवरी को जारी हुई विज्ञप्ति के अर्थ और भाषा से मुझे हैरानी हुई थी। श्री बटलर ने श्री देशमुख को श्रद्धाञ्जली पेश की थी कि इन्होंने विज्ञप्ति की भाषा को सुधारने में बहुत उत्तम काम किया है किन्तु "**लन्दन इकनामिस्ट**" लिखता है कि सुविचारित खण्डनों तथा व्याकरण से रहित भाषा का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार का मत "**फाइनेंशल टाइम्स**" का है। न केवल यहां अपितु अन्य देशों में भी जानकारी देने से इनकार करने की प्रवृत्ति है। मैं सदन का ध्यान सिडनी से जारी की गई विज्ञप्ति की प्रस्तावना की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में कहा गया है कि हमारा प्रतिनिधान किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वस्तुस्थिति क्या है और अनुमानतः प्रवृत्तियां क्या होंगी।

श्री देशमुख ने सदन में वक्तव्य देते हुए कहा था कि पहले जो कार्यवाहियां की गई थीं, उन के द्वारा घाटे का बजट लाभ के बजट में परिवर्तित हो गया है। यह

बात देश को संरक्षण का विश्वास दिलाने के लिये कही गई थी। किन्तु श्री बलटर ने हाउस आफ कामन्स में कहा था कि १९५२-५३ में स्टर्लिंग क्षेत्र में ४० करोड़ पौंड का लाभ हुआ है। इस पर श्री ह्यू गैटसकेल ने पूछा, कि क्या लाभ केवल २५ करोड़ ७० लाख पौंड का नहीं है तथा क्या इस में ११ करोड़ ८० लाख पौंड की रक्षा सहायता तथा ४ करोड़ ५० लाख स्टर्लिंग क्षेत्र में कार्यवाइयों के लिय अन्य पूंजी अनुदानों की राशि सम्मिलित नहीं है। जिस का परिणाम यह है कि लाभ केवल ९ करोड़ ४० लाख पौंड का है ४० करोड़ पौंड का नहीं है। सूचना देने से इनकार करने से यह आपत्ति उत्पन्न हुई हैं।

जनवरी १९५४ की रिजर्व बैंक पत्रिका में छपा था कि अप्रैल जून १९५३ के चतुर्थांश में भारत को ०.२ करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। मैं ने वित्त मंत्रालय के नाम से परिचालित हुई टिप्पणी का यथासंभव परीक्षण करने का प्रयत्न किया है। पिछले छः अर्धवार्षिक अवधियों में हमारा अंशदान नहीं था और छः अर्धवार्षिक अवधि में हमारा अनुदान था।

हमारा वास्तविक अंशदान १९०० लाख डालर था और हमने ४१२० लाख डालर वापस लिए थे। इस प्रकार हमने कुल २२२० लाख डालर वापस लिये। माननीय वित्त मंत्री यह समझते हैं कि उनके शासनकाल में भारत की डालर अर्जन की स्थिति में सुधार हुआ है।

सिडनी विज्ञप्ति में अन्तर्ग्रस्त दो अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह विज्ञप्ति राष्ट्रमण्डलीय वित्त मंत्रियों के सम्मेलन के सम्बन्ध में जारी की गई है। मुझे खेद है कि इस सदन को जितने भी दस्तावेज उपलब्ध किए गए हैं, उनमें से किसी में भी 'साम्राज्यीय अधिमान' शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं तो एक 'रुपया क्षेत्र' के निर्माण का स्वागत करूंगा ताकि छिन्न भिन्न होते हुए स्टर्लिंग क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए रुपया स्टर्लिंग के चंगुलों से मुक्त हो सके।

मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि लगभग एक वर्ष पूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने सदन को वचन दिया था कि वे 'साम्राज्यीय अधिमान' सम्बन्धी अपनी जांच पड़ताल के परिणाम सदन के सामने रख देंगे। पर उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। मैं मानता हूं कि चालू आयव्ययक में माननीय वित्त मंत्री ने, प्रतीकात्मक सीमा तक, साम्राज्यीय अधिमानों को समाप्त कर दिया है, विशेष रूप से कुछ प्रकार की मोटर गाड़ियों के आयात के सम्बन्ध में। परन्तु ब्रिटिश राजकोष मंत्री, श्री बटलर ने अभी हाल ही में हाउस आफ कामन्स में जो कुछ कहा है, उससे तो स्थिति कुछ और ही प्रकट होती है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि श्री बटलर ने हाउस आफ कामन्स में जो बातें कही हैं, उनके प्रति माननीय वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया क्या है। श्री बटलर ने एक स्थान पर यह कहा कि पूरा राष्ट्रमण्डल विद्यमान अधिमानों को बनाए रखना चाहता है। आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार के चल रहे रवैये से स्टर्लिंग क्षेत्र की अपेक्षा ब्रिटेन को अधिक लाभ होता है, क्योंकि जिन वस्तुओं के

[डा० लंका सुन्दरम्]

मूल्य कम हो जाते हैं और इसलिए जिनसे राष्ट्रमण्डल की आमदनी कम हो जाती है, वे ही हमारे आयात को आसान बना देती हैं, और ब्रिटेन की स्थिति को सुधार देती हैं। इंगलैंड की सम्पन्नता से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मैं जानना यह चाहता हूं कि हमारी स्थिति क्या है ? ब्रिटिश राजकोष के मंत्री और सिडनी में हुई कार्यवाही का हमारे देश की अर्थ व्यवस्था पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है ? क्या श्री देशमुख और अधिक अबाधित व्यापार के पक्ष में हैं, और यदि हां, तो वह इस काम को किस प्रकार करने का विचार करते हैं ?

दूसरी चीज पूंजी नियोजन और विकास के सम्बन्ध में है। रैंडल आयोग प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का १९५३ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक प्रकाशन मेरे सामने हैं। ये सभी प्रकाशन तीन या चार महत्वपूर्ण बातों पर अन्तिम रूप से एक ही बात कहते हैं। विश्लेषण के अनुसार वे बातें ये हैं : बढ़े हुए पूंजी नियोजन के साथ साथ मुद्रा स्फीति को कम किया जाना चाहिये; अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अबाधित होना चाहिए; अमरीकी अर्थ व्यवस्था अपना हाथ खींचेगी और विदेशों को दी जाने वाली अमरीकी आर्थिक सहायता में भारी कटौती की जायेगी। अमरीका के राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा नियुक्त किये गये रैंडल आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ नौ में कहा गया है कि कम विकसित क्षेत्र अमरीकी आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार जताते हैं। परन्तु हम ऐसे किसी अधिकार को नहीं मानते हैं। निश्चय ही भविष्य में अमरीका की आर्थिक, वित्तीय और सैनिक नीति भी इसी सिद्धान्त पर आधारित होने जा रही है--इस बात को हमें ध्यान में रखना है।

श्री बटलर ने हाउस आफ कामन्स में बताया कि उनके विचार से भारतीय अर्थ व्यवस्था की सब से अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि उसने मुद्रास्फीति को समाप्त कर दिया है। यह बात श्री बटलर ने ३ फरवरी, १९५४ को कही थी। तब से लेकर २७ फरवरी तक कई ऐसी चीजें हुईं जिनके परिणामस्वरूप माननीय वित्त मंत्री को इस वर्ष के लिये २५० करोड़ रुपये के घाटे की वित्त व्यवस्था की घोषणा करनी पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी दो वर्षों में यह राशि बढ़कर ५०० और ६०० करोड़ रुपयों के बीच पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में वह मुद्रास्फीति को किस प्रकार समाप्त करने का विचार करते हैं ?

श्री बटलर ने यह भी कहा कि वस्तुतः भारत अपने पौंड पावने का उपयोग विकास कार्यों में नहीं कर रहा है, और यदि उसको इन कार्यों के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे कहीं और हाथ नहीं पसारना पड़ेगा; यह धन उसे वहीं मिल जायेगा।

देश के विभाजन के समय हमारा जितना पौंड पावना था, उसमें से हम एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का पौंड पावना खर्च कर चुके हैं। अब केवल ७२३ करोड़ रुपये शेष बचे हैं। ऐसी परिस्थिति में और अमरीका की उक्त नीति को ध्यान में रखते हुए हम विकास कार्यों के लिए धन कहां से प्राप्त करेंगे ? मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री हमको यह बतायें कि सिडनी में की गई घोषणा के अनुसार ब्रिटेन किस प्रकार हमारे अपने पौंड पावने के अतिरिक्त धन उपलब्ध करने का विचार कर रहा है।

ब्रिटेन के एक भूतपूर्व राजकोष मंत्री श्री गेट्सकेल का, जो आजकल दिल्ली आए हुए हैं, कहना है कि एक भूतपूर्व राजकोष मंत्री की हैसियत से वह स्टर्लिंग क्षेत्र के कार्यबहन से बहुत संतुष्ट नहीं थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री देशमुख का इस संबन्ध में क्या विचार है । अभी तक जैसी स्थिति है, उससे तो यही पता चलता है कि स्टर्लिंग क्षेत्र छिन्न भिन्न हो रहा है । केवल भारत ने ही पूरी तौर से अपने रुपये का अवमूल्यन किया है--उस सीमा तक जहां तक ब्रिटेन ने अपने यहां अवमूल्यन किया है । पाकिस्तान, कनाडा और लंका आदि देशों ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन बिलकुल नहीं किया है । इन सब बातों को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि वाणिज्यिक क्षेत्र में राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से भारत को क्या लाभ पहुंचे हैं ।

वित्त मंत्री के विरुद्ध मेरी एक शिकायत यह है कि वह इस सदन को मांगी गई और उचित जानकारी उपलब्ध नहीं करते हैं । इस सदन को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है । मैंने यह बात इसलिये उठाई है ताकि देश को स्टर्लिंग क्षेत्र एवं राष्ट्रमण्डल की हमारी सदस्यता से प्राप्त होने वाले लाभों से सम्बन्धित वास्तविक तथ्य ज्ञात हो सकें ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं अपने पूर्ववक्ता के इस विचार से सहमत हूं कि सिडनी में हुए सम्मेलन के विषय में हमें सारी बातें जानने का पूरा अधिकार है । खेद है कि वित्त मंत्री ने सदन के इस अधिकार की अवहेलना की है । कुछ बातें हमें इसलिए नहीं बताई गई हैं, क्योंकि उनके विचार से वे 'गोपनीय' हैं । सिडनी से जो विज्ञप्ति जारी की गई है, वह अत्यन्त अपर्याप्त और अधूरी सी है । ऐसी दशा में हमारे लिए इस विषय में किसी निर्णय पर पहुंच सकना असंभव सा है । मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सदन वित्त मंत्री का समर्थन तभी कर सकता है, जब उसको सारी बातें विस्तृत रूप से बताई जायेंगी ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

सिडनी में वित्त मंत्रियों ने भुगतान संतुलन की समस्याओं पर विचार किया है । यह एक महत्वपूर्ण समस्या है । इस सम्बन्ध में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है । वित्त मंत्री ने अपने आयव्ययक सम्बन्धी भाषण में कहा कि इस वर्ष भुगतान संतुलन की स्थिति कुछ अच्छी है । परन्तु इस के लिए हमें भारी मूल्य देना पड़ा है ऐसा तब हुआ है जब हमारे विदेशी व्यापार में कमी हो गई है । गत वर्ष की अपेक्षा आयात और निर्यात दोनों ही घट गए हैं । इस प्रकार हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ है । विदेशी व्यापार के घट जाने से वस्तुतः हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है ।

वित्त मंत्री ने कहा कि हम लोग अपने फालतू संचित धन का उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से रुपये का सिक्का खरीदने में करेंगे ताकि हमें सूद न देना पड़े । उन्होंने यह भी कहा कि वह पाकिस्तान का ऋण चुकता कर देंगे ।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जब कि हमें अपनी विकास सम्बन्धी परियोजनाओं के लिये बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, तो फिर यह उचित नहीं है कि हम अपने बाहरी साधनों का उपयोग ऋण चुकता करने और रुपये का सिक्का

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

खरीदने में करें। ये चीज़ें बाद में की जा सकती हैं। इस फालतू धन राशि को हम अपने विकास कार्यों के काम में ला सकते हैं। हम विदेशी सहायता क्यों लें जब कि हमारे पास स्टर्लिंग साधन काफ़ी हैं? यदि वित्त मंत्री इस फालतू धन को विकास कार्यो को बित्त पोषित करने के काम में नहीं लगाना चाहते हैं, तो म यह सुझाव दूंगा कि वह उसे किसी ऐसे विदेशी व्यवसाय में लगा सकते हैं, जिस से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

हमारे विदेशी व्यापार से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि हम आंग्ल-अमरीकी गुट में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। हमारा अधिकांश विदेशी व्यापार ब्रिटेन और अमरीका के साथ है। यह अत्यन्त शोचनीय बात है। हमें अपने आप को इस बन्धन से मुक्त करना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक न तो हम अपने आप को स्वतंत्र कह सकते हैं और न ही हमारी आर्थिक नीति स्वतंत्र हो सकती है। सिडनी सम्मेलन में साम्राज्यीय अधिमानों के सम्बन्ध में क्या निर्णय हुए—यह हमें नहीं मालूम है। हमें यह भी नहीं मालूम है कि हमारे व्यापार का ढांचा ज्यों का त्यों रहेगा और वह सदैव आंग्लअमरीकी देशों से संबद्ध रहेगा या उसमें कोई परिवर्तन होगा।

इस सम्बन्ध में एक दूसरी महत्वपूर्ण बात स्टर्लिंग देशों के प्रति अमरीकी नीति है। अमरीकी नीति अच्छी नहीं है।

अमरीका अपनी विदेशी व्यापार नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। वह स्टर्लिंग क्षेत्रों से आयात नहीं करना चाहता है। साथ ही वह अपना निर्यात बढ़ाना चाहता है। इस प्रकार वह सारी दुनियां पर अपना आर्थिक आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। मैं समझता हूं कि अमरीका की इस नीति से स्थिति में सुधार होना सम्भव नहीं है। हमें ऑग्ल-अमरीकी शक्तियों के आर्थिक चंगुलों से छुटकारा पाना चाहिए, और सभी देशों के साथ समान रूप से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहियें। तभी हमारा दृष्टिकोण सच्चे अर्थों में अन्तर्राष्ट्रीय हो सकता है।

श्री बंसल : श्रीमान्, डा० लंका सुन्दरम ने चर्चा को आरम्भ करते हुए अपने भाषण में सिडनी सम्मेलन की समस्याओं का बड़े समुचित ढंग से वर्णन किया है। परन्तु मुझे संदेह है कि उन्होंने हैंसर्ड के बारे में तथा रुपया मुद्रा वाले क्षेत्र की समस्या को ठीक से नहीं समझा है। आज हमारी व्यापारिक स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है। हाल के महीनों में हमारे व्यापार की मदों की संख्या १२२ से कम होकर ८९ रह गई है। इस अवस्था में रुपया क्षेत्र की अथवा पौंड–मुद्रा–क्षेत्र से किसी छोटे क्षेत्र की बातें करना केवल एक धोखा है।

मेरी एक शिकायत भी है और बह यह कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का आरम्भ स्वयं प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाना चाहिए। दो घंटे की चर्चा से सारी बातों पर विचार भी नहीं हो सकता है। अस्तु समय के अभाव से मैं सिडनी सम्मेलन के बारे में माननीय वित्त मंत्री से कुछ सीधे प्रश्न करना चाहता हूं।

यह स्पष्ट है कि अमेरिका में वस्तुओं के दाम गिर रहे हैं। मैं पूछना चाहता

हूं कि क्या राष्ट्रमंडलीय वित्त मन्त्री सम्मेलन ने इस सम्बन्ध में किसी सामान्य नीति का फैसला किया है ? यदि नहीं तो हमारे वित्त मंत्री के इस बारे में क्या विचार हैं।

श्री गैट्स्केल ने एक सुझाव दिया था कि डालर सम्बन्धी स्थिति के बिगड़ जाने से हमें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के प्रत्येक देश को उसके अपने डालर साधनों पर छोड देना होगा। इस पर ध्यान देने आवश्यकता है। मैं इस बारे में वित्त मन्त्री की प्रतिक्रिया को जानना चाहता हूं।

मेरा तीसरा प्रश्न ब्रिटेन तथा जापान के पौंड–पावना समझौते के बारे में है। सिडनी सम्मेलन के तुरन्त पश्चात ब्रिटेन ने नितांत रूप से यह एक पक्षीय समझौता किया है। इसका भारत पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। अतएव मैं जानना चाहता हूं कि क्या ब्रिटेन ने इस समझोते को करते समय भारत को अपना विश्वासपात्र बनाया था ?

सम्भवतः श्री गैटस्केल ने ही कहा था कि सिवाय पिछले कुछ महीनों के व्यापार की शर्तें प्राय: ब्रिटेन के हित में नहीं रही हैं। भारत की स्थिति भी यही है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि ब्रिटेन तथा राष्ट्रमंडलीय देशों से हमारी व्यापारिक शर्तों की स्थिति क्या है ?

मेरा अगला प्रश्न व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते के बारे में है। मै इस समझौते के बारे में भारत सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं। इस समझौते सम्बन्धी पिछले सम्मेलन में मैं मौजूद था। ब्रिटेन उस समय 'कोई नया अधिमान नहीं' उपबन्ध से छूटने के लिए भारत से सहायता की प्रार्थना कर रहा था। परन्तु जब भारत ने कुछेक विदेशों से किए गए समझौतों से छूटने की साधारण रियायत चाही तो उसके प्रति उपेक्षा का व्यवहार किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन मामलों में भारत सरकार ब्रिटेन तथा अमेरिका के नेतृत्व में चलेगी या अपनी स्वतन्त्र नीति अपनायेगी ? मैं चाहता हूं कि यदि व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते में कोई अच्छी बात है तो हम इसके सदस्य बने रहें। हमें अपनी स्वतन्त्र नीति अपनानी चाहिए।

मेरा अन्तिम प्रश्न गृह नीति के सम्बन्ध में है। सिडनी सम्मेलन के तुरन्त पश्चात एक प्रेस विज्ञप्ति में ठोस प्रकार की आन्तरिक आर्थिक नीति के महत्व को जतलाते हुए कहा गया था कि आयात की मांग के बढ़ जाने से निर्यात उद्योगों के साधनों में कमी आ जायगी जिससे भुगतान अन्तर सम्बन्धी स्थिति में संतुलन नहीं रह सकेगा। निस्संदेह मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि हमारे जैसे कम विकसित सभी देशों में बड़ी बड़ी योजनाओं के लिये नोट छाप कर धन की व्यवस्था करने के प्रबन्ध को स्वीकार कर लिया गया है। उक्त विज्ञप्ति में एक वाक्य इस अभिप्राय का है कि राष्ट्रमण्डल के सदस्य देश विभिन्न सम्मेलनों में तय पाई हुई आंतरिक आर्थिक नीति चा अनुसरण करते रहेंगे। यदि तय पाई हुई नीति यही है तो मैं आयव्ययक सम्बन्धी अपनी नीति को देख कर आश्चर्य में पड जाता हुं।

अन्त में मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण आर्थिक विषयों पर सरकार स्वयं चर्चा पहले किया करे तथा इसे विरोधी दल पर न छोड़ दिया जाय।

डा० लंका सुन्दरम । मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान **हैन्सर्ड** की तिथि सम्बन्धी गलती की ओर दिलाया है । वास्तव में चर्चा की तिथि ४ फरवरी है ।

श्री के० के० बसु : आज की चर्चा का विषय निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण है । कम विकसित देशों को, जो अपना औद्योगिक विकास करना चाहते हैं, अपने हित में राष्ट्रमंडलीय वित्त-मंत्री सम्मेलन के फैसले पर विचार करना होगा ।

श्रीमान् दुर्भाग्यवश ये फ़ैसले तीन आधारों पर किए गये हैं । सम्मेलन ने स्वीकार किया है कि अमेरिका में दामों को नहीं गिरने दिया जायगा । दूसरा तथ्य यह है कि हमारी सरकार ने यह वागवद्धता की है कि हमारे राष्ट्र के हित ब्रिटेन तथा राष्ट्रमन्डल के सदस्य देशों से सम्बद्ध हैं । तीसरी बात यह है कि हमने यह स्वीकार कर लिया है कि हमारी प्रत्येक आर्थिक नीति किसी गुट विशेष द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए ।

जहां तक हमारे अपने देश का सम्बन्ध है, हमें देश के आर्थिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए । हमें बताया गया है कि हमारे भुगतान के अंतर की स्थिति सुधर गई है । यह ठीक है कि पिछले एक दो वर्षों में हमने विदेशों से अनाज का आयात नहीं किया है परन्तु विचारणीय बात तो यह है कि हमारी आयात तथा निर्यात नीति हमारे राष्ट्रीय हित तथा देश के औद्योगीकरण से कहां तक संगत हैं । स्वतंत्रता प्राप्ति के आठ वर्ष बीत जाने पर भी इन उद्योगों के लिए अपेक्षित कच्चे माल का निर्यात करते जा रहे हैं तथा हमारी आयात की मदों में मशीनें तथा दूसरी पूंजीगत वस्तुएं यथापूर्व चली आ रही हैं । इसके कारण ब्रिटेन तथा राष्ट्रमंडल के देश अपनी इच्छानुसार हमसे दाम मांग सकते हैं । हमारी आयात वस्तुओं के दामों में उस सीमा तक कमी नहीं हुई हैं जिस सीमा तक कि हमारे निर्यात वस्तुओं के दाम गिर रहे हैं । ऐसी अवस्था में व्यापार अंतर को अनुकूल बतलाना कहां तक ठीक है ।

एक और बात है जिस पर मैं ज़ोर देना चाहता हूं । हमें बताया गया है कि पौंड रक्षित राशि में वृद्धि हुई है । इससे हमें क्या लाभ पहुंचा है ? हम तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मुक्त की गई धन राशि का भी प्रयोग नहीं कर पाए हैं । इसका कारण यह है कि पौंड मुद्रा वाले क्षेत्र के देश भारत की अपेक्षित वस्तुओं को नहीं दे सके हैं । कहा गया है कि पिछले वर्ष १६०० लाख पौंड दिये गये हैं परन्तु प्रश्न यह है कि हमने उनसे क्या लाभ उठाया है ।

हमें बताया गया है कि हमारे निर्यात आयात व्यापार की स्थिति सुधर रही है । श्री बंसल ने बताया है कि सूती कपड़े के निर्यात व्यापार में जापान हमारी प्रतियोगिता करने वाला है । अतएव हमें देखना है कि राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन से हमारे देश के उद्योगों को क्या लाभ पहुंचने वाला है । केवल इस आशा पर निर्भर रहना कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि डालरों को मुक्त करेगी ठीक नहीं है ।

कहा गया है कि पिछले वर्ष पौंड रक्षित राशि में वृद्धि हुई है तथा अब हम लन्दन के निजी बाज़ार में अधिक धन एकत्र कर सकेंगे। हम जानते हैं कि विदेशी धन-विनियोजकों ने हमारे देश का किस प्रकार से शोषण किया है। इस विषय सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति के पृष्ठ ९ को पढ़कर पता लगता है कि वे हमें इस धन को अपने देश में उन उद्योगों पर नहीं लगाने देंगे जिनसे ब्रिटिश हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। अतएव अब समय आ गया है जब हमें किसी देश से अपने व्यापारिक सम्बन्धों पर विचार करते समय स्वयं अपने देश के औद्योगिक विकास पर दृष्टि रखनी चाहिये। इसके बिना हमारे देश का भविष्य भयंकर ही है।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : श्रीमान डा० लंका सुन्दरम तथा श्री बंसल ने सिडनी सम्मेलन में साम्राज्यिक अधिमान तथा अमेरिका में वस्तुओं के दामों में कमी किये जाने सम्बन्धी फैसलों पर जानकारी चाही है। साथ ही सदन में प्रायः यह विचार पाया गया है कि इन फैसलों में सदन को विश्वास का पात्र नहीं बनाया गया है।

हमारे सामने रखे गए पत्रों से मालूम होता है कि सम्मेलन ने साम्राज्यिक अधिमान आदि विधेयक पर अवश्य विचार किया था।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : क्या उन्हें इन पत्रों में साम्राज्यिक अधिमान सम्बन्धी कोई निर्देश मिला है ?

श्री वी० बी० गांधी : क्षमा कीजिये। मैं समझा था कि श्री बंसल ने ऐसा निर्देश किया है।

सदन में यह विचार पाया गया है कि वित्त मंत्री सदन से किसी सूचना को छुपा रहे हैं। अब इस विषय में हमें अपने तथा वित्त मंत्री के प्रति न्याय करना होगा। सिडनी सम्मेलन कोई राजनीतिज्ञों का सम्मेलन नहीं था, न ही यह कोई संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा की कोई बैठक थी। यह तो वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन था जो अपने देशों की सरकारों के प्रति उत्तरदायी थे। इस बात को भी छोड़ दीजिये। व्यापार के मामलों में, विशेषतः जब कि वे अमेरिका में दामों के गिरने जैसे काल्पनिक मामले हों, तो प्रत्येक फैसले का प्रकाशित करना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। डा० लंका सुन्दरम तथा श्री बंसल के प्रश्न दूसरे व्यक्तियों द्वारा भी किए गए हैं। श्री बटलर तथा श्री मेन्ज़ीज़ के बाद के वक्तव्य में भी इनका निर्देश मिलता है। उन्होंने इस वक्तव्य में व्यापार को विशेषाधिकारों के आधार पर चलाने का निर्देश किया है तथा कहा है कि विषय के विस्तृत होने तथा किसी निश्चित निष्कर्ष पर न पहुंचने से प्रेस विज्ञप्ति में इसका वर्णन नहीं हो सका है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे विषय पर कोई सामान्य वक्तव्य देना कठिन है। इस विचार से कि श्री मेन्ज़ीज़ के देश को यह शिकायत थी कि आस्ट्रेलिया के गेहूं को ब्रिटेन ने केवल इस कारण नहीं खरीदा था कि वह कुछ महंगा था और इसके स्थान पर केनाडा से डालर मुद्रा द्वारा गेहूं को खरीद किया गया था; यह वक्तव्य कुछ विचित्र सा दिखाई देता है।

डा० लंका सुन्दरम : मैं ने यह नहीं कहा था।

श्री वी० बी० गांधी : गत वर्ष सौ करोड़ पौंड की कमी थी और यदि उस कमी को पूरा करने के बाद इस वर्ष ९४० लाख पौंड ही अतिरिक्त हो गये हैं, तो भी यह सराहनीय बात है ।

इस देश के भुगतान संतुलन की स्थिति तथा यहां के व्यापार की गिरी हुई दशा के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कही गई थीं । इस स्टर्लिंग क्षेत्र प्रबन्ध के विषय में हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य किसी एक देश को लाभ पहुंचाना नहीं है । इसका उद्देश्य इस प्रबन्ध के सम्पूर्ण समुदाय के लिए व्यापार के उच्चतर स्तर पर भुगतान संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना है ।

डा० लंका सुन्दरम ने रैंडल आयोग प्रतिवेदन की आलोचना की है । मैं ने वह प्रतिवेदन देखा नहीं है । परन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि ब्रिटिश समाचार पत्रों ने इस प्रतिवेदन का स्वागत किया है और इसे अमरीकी नीति में उदारता लाने की ओर बढ़ाया गया एक क़दम बताया है । बस मुझे इतना ही कहना है ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : यह एक अत्यन्त ही प्रविधिक विषय है । किसी भी सदस्य के लिए पांच या दस मिनट के भाषण के द्वारा इसके साथ न्याय कर सकना सम्भव नहीं है ।

मैं इस शिकायत से सहमत हूं कि इस सदन के सदस्यों को इस विषय से संबधित सारी सूचनाएं नहीं दी गई हैं। राष्ट्र मण्डलीय वित्त मन्त्री सम्मेलन और उस में किये गये निर्णय विवाद के विषय हैं । एक आरोप यह लगाया गया है कि हमारा विदेशी व्यापार पुराने ढंग पर चल रहा है—जैसा कि युद्ध से पूर्व था । मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं । युद्ध के बाद से हमारे विदेशी व्यापार का सारा ढांचा ही बदल गया है । अब हम अधिक निर्मित माल निर्यात कर कर रहे हैं । हमें स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के साथ ही व्यापार करना है । यदि हम इस क्षेत्र से हट जाते हैं, तो क्या स्थिति होगी ? आज जापान को अपना माल बेचने में कठिनाई हो रही है क्योंकि उसको उतनी स्टर्लिंग की उपलब्धि नहीं है जितनी कि स्टर्लिंग क्षेत्र के किसी देश को है । मैं तो यह समझता हूं कि स्टर्लिंग संचय में रहना हमारे लिए एक अच्छी और लाभकारी बात है । यह तो एक क्लब के समान है और उसके सदस्यों को उचित रूप से कार्य करना है । मशीनों आदि के लिए जब जब हमें डालर की आवश्यकता पड़ी है, तब तब हमें स्टर्लिंग संचय से डालर प्राप्त हुए हैं । यदि हम इस से अलग हो जायें और अमरीका आदि देशों से मिलने वाली विदेशी सहायता से दूर हट जायें, तो निश्चय ही हमारी स्थिति खराब हो जायगी ।

वित्त मन्त्री ने अपने आय व्ययक भाषण में यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी है कि स्टर्लिंग क्षेत्र का प्रत्येक देश अपनी आर्थिक नीति के सम्बन्ध में बिलकुल स्वतन्त्र है । किसी प्रकार की अनिवार्यता या बन्दिश का कोई प्रश्न नहीं है । ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि स्टर्लिंग क्षेत्र में रहना हमारे और हमारे विदेशी व्यापार के हित में भी अच्छा है। इससे अलग होने पर पता नहीं हमारी स्थिति क्या हो ।

अब देखना यह है कि हमारा आर्थिक ढांचा किस प्रकार का है। विज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येक देश कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है, बशर्ते कि अन्य देशों को देखे उस देश का व्यवहार संतोषजनक रहा हो। अब बहुमुखी मुद्रा विनिमय का प्रश्न आता है। मैं समझता हूं कि जब तक कि अन्ततोगत्वा यह स्टर्लिंग संचय बहुमुखी मुद्रा विनिमय का एक शक्तिशाली निकाय नहीं बन जाता है तब तक कुछ असुविधा बनी रहेगी। यदि यह उद्देश्य प्राप्त हो गया तो इस सारी व्यवस्था में और अधिक स्वतन्त्रता आ जायेगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु हमें इस व्यवस्था से अलग नहीं होना चाहिए। अलग होने पर हमारी दशा और भी खराब हो जायेगी।

म समझता हूं कि वित्त मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया है, उस में सब से महत्व-पूर्ण बात यह है कि प्रत्येक देश को अपनी आन्तरिक नीतियां इस प्रकार बनानी चाहिएं ताकि अनुचित मांगों के द्वारा अनावश्यक रूप से स्टर्लिंग संचय खाली न होता रहे। मेरे विचार से हमारे देश के लिए श्री आइजनहोवर का यह कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण है, कि "किसी भी देश के लिए आर्थिक तैयारी उतनी ही आ-वश्यक है जितनी कि सैनिक तैयारी" अतः हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहिए। इसके बिना कोई प्रगति संभव नहीं है। यदि हमें विदेशों से सहायता लेनी है, तो निश्चय ही हमें किसी ऐसे क्लब में सम्मिलित होना पड़ेगा जिस से हमें अधिक लाभ हो। यदि हम बिलकुल अलग रहेंगे, तो सहायता प्राप्त करने के लिए हमें सभी को प्रसन्न रखना होगा। अतः मैं समझता हूं कि स्टर्लिंग क्षेत्र में रहना हमारे लिए लाभ-प्रद है। जब तक कि हमारा निर्यात व्यापार बहुत नहीं बढ़ जाता, तब तक हम पूर्णरूप से इस से अलग नहीं हो सकते हैं। हमें पूंजीगत माल आदि आयात करने हैं, और इस लिए मैं समझता हूं कि इस स्टर्लिंग क्षेत्र से दूर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा): जहां तक वित्तीय अथवा आर्थिक मामलों का संबंध है, इस सदन को विषय संबन्धी सभी बातें विस्तारपूर्वक बताई जानी चाहिएं। देश के भविष्य को प्रभावित करने वाले किसी भी महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करने का इस सदन को अधिकार है। इसी जान-कारी को प्राप्त करने के लिए मैंने आज तीन प्रश्नों के पूछने की सूचना अध्यक्ष महोदय के पास भेजी है।

कुछ सदस्यों ने ब्रह्मा को दिए गय ऋण की चर्चा करते हुए यह पूछा है कि ब्रह्मा उस ऋण को कब तक वापस करेगा। यह ऋण ब्रह्मा को उस समय दिया गया था, जब उस पर संकट के काले बादल छाय हुए थे। शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए उसे यह ऋण दिया गया था। हम न मालूम कितना धन बेकार की जीज़ों पर बहा देते हैं। ब्रह्मा, मिस्र, लंका, अफ़ग़ानिस्तान, चीन आदि हमारे मित्र देश हैं। उन से सहायता के रूप में दिये गये किसी ऋण को वापस पाने के लिए हमें व्यग्र नहीं होना चाहिए। ऐसा करना हमारे लिए शोभनीय नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जिस समय ब्रिटेन ने डालर क्षेत्र के चंगुल से बाहर निकलने के लिये अपने पौण्ड का अव-मूल्यलन किया था, तो उस को प्रसन्न करने

[श्री जोकीम आल्वा]

के लिये हमने अपने रुपये का भी अवमूल्यन कर दिया था और यह बात हमने पाकिस्तान से छुपा कर की थी। भारत को यह बात पाकिस्तान से छुपानी नहीं चाहिये थी। इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान में भारत की ओर से एक सन्देह पैदा हो गया, जो अभी तक जड़ पकड़े हुए है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कोई भी चीज़ छुपा कर या पर्दे में नहीं करनी चाहिये। इसीलिय मैं कहता हूं कि इस वित्त और घाटे की वित्त व्यवस्था के जटिल विषय के सम्बन्ध में हमें विस्तार पूर्वक पूरी पूरी जानकारी दी जानी चाहिये थी। परन्तु खेद है कि हमारे वित्त मंत्रालय ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। पर्दे की ओट में सारा काम किया जा रहा है, और धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्यवाद हमारी नीतियों को प्रभावित करता जा रहा है। ब्रिटेन पौण्ड को मुद्रा विनिमय का माध्यम बना कर उसे सर्वोपरि स्थान देने का प्रयत्न कर रहा है।

गत ३ फरवरी को श्री बटलर ने एक ऐसी बात कही थी, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ एक स्टर्लिंग क्षेत्र और सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ उत्तर अटलांटिक क्षेत्र की समस्याओं में घनिष्ठ संबंध है। वाणिज्यिक दृष्टि से उत्तर अटलांटिक क्षेत्र को स्टर्लिंग क्षेत्र द्वारा सहारा दिये जाने की योजना है। पाकिस्तान को अमरीकी जाल के द्वारा इस कार्य में सम्मिलित कर लिया गया ह। अब श्री बटलर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा भारत को भी इसमें घसीटना चाहते हैं। यह विषय विचारणीय है कि अब हम स्टर्लिंग क्षेत्र में रहें या न रहें। मैं तो समझता हूं कि हमें इस मकड़ी के जाले से दूर ही रहना चाहिए और अपनी नीतियों को ब्रिटेन द्वारा प्रभावित न होने देना चाहिये। भारत में आकर स्थापित होने वाली विदेशी फर्मों से हमारे देश को बहुत खतरा बढ़ता जा रहा है।

व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार को ही लीजिये। इसका सदस्य होने के नाते भारत को अपनी इच्छानुसार अपने प्रशुल्क को घटाने बढ़ाने के अधिकार पर बहुत से प्रतिबन्ध स्वीकार करने पड़े हैं। हम न तो अपना प्रशुल्क बढ़ा सकते हैं और न घटा ही सकते हैं। इस करार में रूस को कोई स्थान नहीं दिया गया है। आज स्थिति यह है कि हम गैर स्टर्लिंग क्षेत्र से कोई भी माल नहीं खरीद सकते हैं। हमें सारा माल स्टर्लिंग क्षेत्र से ही खरीदना है, क्योंकि ब्रिटेन यही चाहता है। नतीजा यह है कि हम रूस और चीन जैसे देशों से कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। इस प्रकार इस करार और स्टर्लिंग क्षेत्र के बन्धन ने हमें बिल्कुल जकड़ लिया है और हम अपनी स्वेच्छानुसार कुछ भी करने में असमर्थ हैं। कोलम्बो योजना सम्मेलन में ब्रिटेन ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि भारत कृषि सम्बन्धी उत्पादन करे। वे यह चाहते हैं कि हम कृषि सम्बन्धी माल तैयार करें और वे औद्योगिक माल का उत्पादन करके उसे हमारे देश में भर दें। यह बहुत गलत चीज़ है और हमें इस स्थिति को कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिये। अब पुराने नौकरशाही तरीकों से काम नहीं चलेगा। इस संबंध में हमें कड़ा और स्वतन्त्र रुख अपनाना चाहिए। राष्ट्रमण्डल के नाम पर भारतीय हितों का हनन हो रहा है। हमें इस चीज़ को रोकना है। राष्ट्रीय एकता के हितों में इस स्थिति को सहन नहीं किया जा सकता है।

अब मैं रूसी सोने के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। इसकी आजकल पश्चिमी देशों में भरमार है। इस सोने से संसार भर की अर्थ व्यवस्था प्रभावित होगी। फिर क्या होगा? आज संसार में सोने का अभाव है। हम डालर का मूल्य स्टर्लिंग के द्वारा चुकता कर रहे हैं और जब स्टर्लिंग बाजार में सोने का भाव बहुत बढ़ जायगा तब क्या होगा? इन्हीं सब बातों के सम्बन्ध में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अभी तक हमें जो जानकारी दी गई है, वह अत्यन्त अपूर्ण एवं अपर्याप्त है।

श्री मुरारका : (गंगानगर-झुंझनूं): हमारे विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भारत द्वारा सिडनी सम्मेलन में भाग लिये जाने जाने की कड़ी आलोचना की है। विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर मुझे उनकी इस आलोचना में कोई सार प्रतीक नहीं होता है। हमें स्टर्लिंग गुट के साथ क्यों रहना चाहिये—इसके कई कारण हैं। सबसे पहला और प्रमुख कारण तो यह है कि हमारे खाते में ७०० करोड़ रुपये के मूल्य से अधिक का स्टर्लिंग है, और अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के हेतु हमें यह देखना है कि स्टर्लिंग मुद्रा मजबूत स्थिर और विनिमय योग्य हो। स्टर्लिंग क्षेत्र की सुरक्षा करना हमारे ही हितों में अच्छा है। हमें अपने पौण्ड पावने को सुदृढ़ और अबाधित रूप से विनिमय योग्य रखना है ताकि हम अपने इन ७०० करोड़ रुपयों का सदुपयोग कर सकें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

दूसरी बात, जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, स्टर्लिंग क्षेत्र से हमारा ऐतिहासिक सम्बन्ध है। पिछली कुछ शताब्दियों से स्टर्लिंग वाले देशों से हमारा सम्बन्ध रहा है। आज भी हमारा अधिकांश विदेशी व्यापार स्टर्लिंग वाले देशों से है और लगभग उतना ही व्यापार अमरीका से भी है। किन्तु तीसरे क्षेत्र से—साम्यवादी क्षेत्र—हमारा विदेशी व्यापार नहीं के बराबर है। पिछले कुछ वर्षों के विदेशी व्यापार के हमारे आंकड़े देखने से, मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि स्टर्लिंग क्षेत्र में हमारा रहना अत्यावश्यक है।

आजकल आत्मनिर्भरता का विचार अथवा प्रत्येक बात में अलग रहने की नीति राजनैतिक दृष्टि से ही अनुचित नहीं है अपितु मेरे विचार में आर्थिक दृष्टि से भी बेकार है।

इस सम्मेलन का मूल एवं सर्व-प्रथम सिद्धांत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास एवं विस्तार है। दूसरे, भेदभावपूर्ण नीति का विरोध करना है। तीसरे ऐसे साधन एवं ढंग बनाने हैं कि संचित सोने तथा डालर में अनुचित रूप से कोई कमी न हो, एवं मुद्रा परिवर्तन का कार्य आसानी से चलता रहे। अन्त में सार्वजनिक हित की बातों पर स्वतन्त्र एवं स्पष्ट रूप से चर्चा करना है।

माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि इसके बारे में सदन को यथेष्ट जानकारी नहीं दी गई है। मैं इससे असहमत नहीं हूं, हो सकता है कि यथेष्ट जानकारी न दी गई हो किन्तु जो कुछ भी जानकारी दी गई है उसे भी बहुत से माननीय सदस्यों ने पढ़ा नहीं है।

स्टर्लिंग क्षेत्र के प्रत्येक देश को पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता है और जैसी चाहे वह अपनी व्यापारिक नीति रख सकता है।

मेरा विचार है कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि सम्मेलन ने जिन

[श्री मुरारका]

समस्याओं का उल्लेख किया है उनसे हमारी समस्यायें विभिन्न हैं। केन्द्रीय संचित कोष के आंकड़े देखने से प्रकट होता है कि १९४८ के अन्त में भारतवर्ष का दायित्व ८२ प्रतिशत के लगभग था, और १९५२ के अन्त में भारतवर्ष ने कुल धन का लगभग ४४ प्रतिशत अंशदान दिया। अतः आंकड़े देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्मेलन में भाग लेने वाले किसी देश विशेष को न तो दूसरे देश के आधार पर लाभ हुआ है अथवा न एक देश का दूसरे देश द्वारा शोषण हुआ है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि भारतवर्ष का स्टर्लिंग क्षेत्र में रहना ठीक है क्योंकि उसका आधार स्पष्टतः आर्थिक है; अतः कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि स्टर्लिंग क्षेत्र में रहने के कारण अथवा इन सम्मेलनों में भाग लेने के कारण भारतवर्ष को कोई हानि हुई है अथवा होने की संभावना है।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर देने से पूर्व मैं दो बातें कहना चाहता हूं जो कि एक प्रकार से आधारभूत बातें हैं। प्रसंगानुसार आंग्ल-जापानी भुगतान तथा १९५४ के लिए किये गये व्यापार समझौते के बारे में प्रश्न उठाया गया है, किन्तु यह प्रश्न यदि न पूछा जाता तो अच्छा होता। नवम्बर १९५३ में ब्रिटिश सरकार ने हमें बताया कि चूंकि जापान के साथ किया गया यह वर्तमान भुगतान समझौता ३१ दिसम्बर, १९५३ को समाप्त हो रहा है अतः उन्होंने जापान सरकार से कहा है कि १९५४ में भुगतान प्रबन्ध सम्बन्धी चर्चा करने के लिए वह अपना एक प्रतिनिधि लंदन भेजे। उन्होंने हमारे तथा जापान के बीच सन् १९५४ में होने वाले आयात तथा निर्यात विषयक भुगतान सम्बन्धी प्राक्कलन के बारे में हमसे भी पूछा। अतः इस प्रकार भारत सरकार को पूर्व ही यह सूचना मिल गई थी कि भुगतान समझौता के काल विस्तार के सम्बन्ध में बातचीत होने वाली है। नया भुगतान तथा व्यापार समझौता वस्तुतः २९ जनवरी, १९५४ को हस्ताक्षरित हुआ था। चूंकि इस समझौते में—जो कि दूसरा समझौता था—कोई ऐसी नई बात नहीं थी जिसका प्रभाव भारत पर पड़ता, अतः इस समझौते पर वस्तुतः हस्ताक्षर होने से पूर्व हम से परामर्श करना आवश्यक नहीं था। इस नये समझौते का आधार भी वही है जो ३१ अगस्त, १९५१ को किये गये समझौते का था। इस दूसरे समझौते के सम्बन्ध में—जो कि टोकियो में हुआ था—बातचीत करने के बारे में ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से बातचीत करने वाले प्रतिनिधि टोकियो स्थित हमारे प्रतिनिधियों को बराबर बताते रहे थे और समझौता सम्बन्धी व्यौरों के बारे में भारत सरकार को समय समय पर सूचना भी मिलती रही थी।

इस भुगतान समझौते की मुख्य बातें ये थीं कि स्टर्लिंग क्षेत्र के निवासियों तथा जापान निवासियों के बीच सभी भुगतान पहले की भांति स्टर्लिंग में ही होंगे। और जापान को यह अनुज्ञा होगी कि वह गैर स्टर्लिंग क्षेत्रीय कुछ देशों से प्रत्यक्षः चालू सौदों के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए अपने स्टर्लिंग का उपयोग कर सके और जापान के पौंड पावने को उचित सीमा में बनाये रखने के लिए यह आवश्यक होगा कि दोनों दल एक दूसरे से परामर्श करेंगे। जापान के पास इस

समय स्टर्लिंग की कमी है । किन्तु उस समय स्थिति कुछ दूसरी ही थी । किन्तु समझौते के अधीन मुद्रा परिवर्तन सम्बन्धी वह पुराना खंड समाप्त कर दिया है जिसके अनुसार समझौता अवधि की समाप्ति के समय यदि जापान के पास स्टर्लिंग की निश्चित सीमा की अपेक्षा कुछ अधिक स्टर्लिंग होते तो उन्हें डालरों में परिवर्तित कर दिया जाना था ।

अतः सभी स्टर्लिंग क्षेत्रीय देशों ने इस समझौते का स्वागत किया क्योंकि अब वे जापान के साथ अधिक स्वतन्त्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे क्योंकि डालरों में भुगतान करने का डर अब जाता रहा था । इस भुगतान समझौते से पूर्व जापान तथा स्टर्लिंग क्षेत्रीय देशों में आगामी वर्ष में अनुमानित भुगतान का संतुलन करने के लिए वार्षिक व्यापारिक बातचीत हुआ करती थी । इस वार्षिक व्यापारिक बातचीत में हम भी सम्मिलित हुआ करते थे। अगस्त १९५१ के भुगतान समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद जापान से सम्पूर्ण रूप से कोई और समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसके बाद प्रत्येक देश द्वारा जापान के साथ सावधानी पूर्वक भुगतान संतुलन करना आवश्यक नहीं रहा ।

सन् १९५४ का नया भुगतान समझौता १९५४, १९५१ के समझौते से थोड़ा सा ही भिन्न है । सन् १९५३ में जापान को स्टर्लिंग की जो कमी हुई थी उसे दृष्टिगत रखते हुए स्टर्लिंग को डालरों में परिवर्तित करने के रूप में जापान को कुछ अतिरिक्त ऋण सुविधाओं की अनुज्ञा मिली थी। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश साम्राज्य तथा औपनिवेशिक सरकारों की ओर से ब्रिटिश सरकार ने—जिनके लिए कि वह उत्तरदायी है—जापान से आयात करने में उदारता दिखाने के लिए अपनी सहमति दे दी थी ताकि जापान अधिक स्टर्लिंग कमा सके । यह समझौता स्टर्लिंग क्षेत्रीय स्वतंत्र देशों जैसे भारत आदि के जापान के साथ अपनी व्यापार नीति निश्चित करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालता है ।

जहां तक भारतवर्ष का सम्बन्ध है, २० अक्तूबर, १९५१ से जापान के साथ हमने सुलभ मुद्रा वाले देश की तरह सम्बन्ध रखा है । हालांकि स्टर्लिंग क्षेत्रीय देशों में से बहुत से देशों ने जापान के साथ दुर्लभ मुद्रा वाले देश की तरह क बर्ताव रखा है । अतः नया व्यापार तथा भुगतान समझौता जापान के साथ हमारे व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसी बीच एक संसद् सदस्य ने—मैं कह नहीं सकता कि उसका उत्तर दिया गया है अथवा नहीं—व्यापार तथा उद्योग मंत्री से एक प्रश्न पूछा था कि क्या वह नया समझौता जिस पर ब्रिटिश सरकार ने जापान के साथ हस्ताक्षर किये थे, और जो जापान से आयात के सम्बन्ध में उदारता से काम लेने के लिए है, इन क्षेत्रों में हमारे सूती कपड़े के निर्यात पर प्रभाव नहीं डालेगा तथा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व क्या ब्रिटिश सरकार को हमसे परामर्श नहीं करना चाहिये था ? जब उपनिवेशों में सूती कपड़े के निर्यात के लिए स्वयं ब्रिटिश सरकार रुचि रखती है तो हमें यह सोच लेना चाहिये कि जापानी सूती कपड़े से संभावित प्रतिस्पर्द्धा के भय के बारे में ब्रिटिश सरकार ने अवश्य ही ध्यान रखा होगा । मुझे विश्वास है कि इस समझौते के करने से पूर्व इसके बारे में ब्रिटिश संसद् में

[श्री सी० डी० देशमुख]

अवश्य ही चर्चा हुई होगी। अतः जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार स्टर्लिंग क्षेत्रीय स्वतंत्र देशों को निजी व्यापारिक नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, उसी प्रकार ब्रिटिश सरकार अपनी तथा उपनिवेशों की ओर से किसी भी देश से किये जाने वाले अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में भारतवर्ष से परामर्श करने की कोई आशा नहीं की जानी चाहिये।

भारतवर्ष स्टर्लिंग क्षेत्र का एक सदस्य है यह एक सामान्य प्रश्न है। मुझे खेद है कि इसे बताने में मैं अधिक समय लूंगा क्योंकि भारतवर्ष के स्टर्लिंग क्षेत्र का सदस्य होने में क्या क्या बातें छिपी हैं उसकी विषद व्याख्या करने का मेरा यह पहिला ही अवसर है। स्टर्लिंग क्षेत्र विकास के विस्तृत इतिहास की देन है। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व स्टर्लिंग प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा थी और लंदन संसार का आर्थिक केन्द्र था। स्टर्लिंग को सोने म परिवर्तित किया जा सकता था, किन्तु जब से विनिमय के आधार के रूप में तथा शक्ति क्रय के भांडार के रूप में इसका अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग होने लगा तो यह कहा जाता था कि स्वयं सोना भी स्टर्लिंग मान पर था।

युद्ध काल में मुद्रा प्रणाली तथा विनिमय दर समस्त संसार में प्रभावित हुई थी और पुराना सुवर्णमान चालू न रह सका। सन् १९२५ में ब्रिटिश साम्राज्य को फिर से सोने की मुद्रा जारी करनी पड़ी। किन्तु यह थोड़े दिन ही रही क्योंकि उन दिनों संसार में भारी कमी थी और सन् १९३१ में सोने की मुद्रा हटानी पड़ी और स्टर्लिंग ने एक सुव्यवस्थित मद्रा का स्थान ले लिया। भारतवर्ष ने अपना सम्बन्ध स्टर्लिंग से ही बनाये रखा क्योंकि उस समय भारतवर्ष के पास कोई विशेष चयन का साधन नहीं था, और बहुत सी उपनिवेशिक सरकारों तथा कुछ स्वतंत्र देशों ने भी यही रास्ता अपनाया था। इस प्रकार, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ़्रीका, मिस्र, इराक़, पुर्तगाल, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ईरान, जापान अर्जेंटाइना, यूगोस्लेविया तथा ग्रीक—औपनिवेशिक क्षेत्रों के बिना—ने स्टर्लिंग गुट बनाया। इसे स्टर्लिंग क्षेत्र का प्रारम्भ कहा जा सकता था।

बहुत से देशों ने अपने यहां की मुद्रा का सम्बन्ध स्टर्लिंग क्षेत्र से बनाये रखने का निर्णय इस दृष्टि से किया कि कम से कम यह मुद्रा ऐसी तो थी जिसका अस्तित्व अपेक्षाकृत स्थायी प्रतीत होता था। स्टर्लिंग क्षेत्र में सम्मिलित होना अथवा उससे अलग होने में कोई औपचारिकता नहीं थी। दोनों ही मामलों में ब्रिटिश सरकार की अनुज्ञा कोई आवश्यक नहीं थी ; और क्षेत्र के देश अपनी मुद्रा का बाहरी मूल्य उसी प्रकार बदल लेते थे जो कि उन्हें सबसे अच्छा लगता था।

स्टर्लिंग क्षेत्र का यह वर्तमान रूप युद्धकालीन तथा युद्ध के बाद की आवश्यकताओं की देन है। यह छोटा तथा एक प्रकार से संगठित गुट्ट है। जैसा कि 'अन्तर्राष्ट्रीय समझौता बैंक' के प्रतिवेदन में कहा गया है कि स्टर्लिंग क्षेत्र शब्द का प्रयोग लगभग सन् १९४० में हुआ था; प्रतिवेदन में कहा है कि "इसने एक अकेले मुद्रा क्षेत्र के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया जिसमें कुछ विकल्पों को छोड़कर भुगतान की स्वतन्त्रता बनाई रखी गई थी, तथा साथ ही विभिन्न सदस्यों

द्वारा बाहरी देशों के आपसी सम्बन्ध में आयात सम्बन्धी प्रतिबन्ध लागू किये गये थे।"

चूंकि, युद्ध काल में तथा युद्धोत्तर काल में डालरों का अभाव, सब से बड़ी समस्या रही है; इसलिये, पौण्ड क्षेत्र के देश, अपनी अपनी डालर रक्षित निधि का समूहीकरण करते रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर इस क़रार के अनुसार, जो इंगलैण्ड के साथ किया गया है, सभी देश, इस समूहन से, डालर प्राप्त करते हैं। डालर एकत्रित करने के लिये आवश्यक नियमों तथा नियन्त्रणों का बनाना तथा लागू करने का उत्तरदायित्व प्रत्येक सदस्य देश पर निजी रूप से है, परन्तु सिडनी सम्मेलन जैसे सम्मेलनों में, जहां राष्ट्रमण्डल के मंत्री परस्पर मिलते हैं तथा समान समस्याओं पर वार्ता करते हैं, वादविवाद द्वारा तथा इंगलैण्ड के साथ परामर्श द्वारा इन उपायों का पर्याप्त रूप से समन्वय कर लिया जाता है। भारत चूंकि राष्ट्रमण्डल का तथा पौण्ड क्षेत्र का एक प्रमुख सदस्य है, इस लिये वह ऐसे सम्मेलनों में भाग लेता है।

पौण्ड क्षेत्र में आजकल इंगलैण्ड तथा औपनिवेशिक देशों के अतिरिक्त भारत, पाकिस्तान, लंका, ब्रह्मा आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड, दक्षिणी अफ़्रीका, आयरलैण्ड, इराक़, आइस लैण्ड, जौर्डन तथा लीबियां सम्मिलित हैं। कनाडा का डालर अलग से है। वह राष्ट्र मण्डल का सदस्य है परन्तु पौण्ड क्षेत्र का सदस्य नहीं है। पौण्ड क्षेत्र में संसार की जनसंख्या का एक चौथाई भाग है। पौण्ड क्षेत्र के देशों का कुल व्यापार, संसार के विदेशी व्यापार का लगभग २५ प्रतिशत है। पौण्ड क्षेत्र का सारा व्यापार तो पौण्ड के द्वारा होता ही है; यहां तक कि पौण्ड क्षेत्र के बाहर के व्यापार का भी एक अंश, लंदन से वित्त प्राप्त करता है। पौण्ड क्षेत्र देशों का ऐसा सब से बड़ा समूह है जहां विनिमय के सौदों के सम्बन्ध में सब से अधिक स्वतंत्रता है। यद्यपि पौण्ड ने समय का उलट फेर बहुत देखा है तथा पौण्ड क्षेत्र के देशों की मुद्राओं का स्वर्ण मूल्य बहुत घट गया है फिर भी तुलनात्मक रूप से इस क्षेत्र की मुद्राओं के स्थायित्व का बहुत लम्बा रिकार्ड है। १९१३ से लेकर १९५२ तक, जब कि बैल्जियम, फ्रांस तथा इटली जैसे योरपीय देशों की मुद्राओं का स्वर्ण मूल्य ९५ से लेकर ९९ प्रतिशत तक घट गया था, तो इंगलैण्ड के पौण्ड तथा उस से सम्बन्धित मुद्राओं के मूल्य में लगभग ६६ प्रतिशत कमी हुई थी। १९४९ में पौण्ड ने, अपना मूल्य कम किया, तो अनेक देशों ने, जिन का समस्त व्यापार संसार के कुल व्यापार का दो तिहाई भाग होता है, इंगलैण्ड का अनुकरण किया। इस से स्पष्ट है कि विश्व व्यापार में पौण्ड का कितना बड़ा स्थान है। इस से प्रमाणित होता है कि यहां गुप्त रूप से कोई अवमूल्यन नहीं किया गया था।

पौण्ड क्षेत्र में भारत की दिलचस्पी होने के बहुत से कारण हैं। उस का ३८ प्रतिशत निर्यात पौण्ड क्षेत्र के देशों को किया जाता है। ओ० ई० ई० सी० (योरुपीय देशों) के साथ होने वाले भुगतान संतुलन में भारत आम तौर से घाटे की अवस्था में रहता है। पौण्ड क्षेत्र का सदस्य होने के कारण ई० पी० यु० द्वारा पौण्ड लेकर इस की व्यवस्था करने में बड़ा सुभीता रहता है। भारत के पास ७४५ करोड़ का पौण्ड पावना है इस लिये जितना ही इंगलैण्ड का पौण्ड दृढ़ होगा उतना ही हमारे लिये अच्छा है।

[श्री सी० डी० देशमुख]

ऐतिहासिक कारणों से. भारत के विदेशी व्यापार के संचालन में, लंदन के साथ हमारे जो बैंकों के तथा अन्य आर्थिक सम्बन्ध हैं उस का बहुत प्रमुख हाथ है। इस लिए पौण्ड क्षेत्र की सदस्यता भारत के लिए कोई मुद्रानीति नहीं है वरन् व्यापार तथा बैंकिंग की सुविधा ह । डॉलरों के सम्बन्ध में भारत की भी एक समूहन व्यवस्था ह । हम अपनी डॉलर की आय इसी समूहन में एकत्रित करते ह, फिर जहां तक युद्ध के बाद के समय का सम्बन्ध है, कई वर्षों से हमने डॉलर समूहन से डालर प्राप्त अधिक किये हैं और एकत्रित कम किये हैं। इस से स्पष्ट है कि जब कभी भी जो पौण्ड हमारे पास है हमें उन को डॉलर में बदलने की आवश्यकता होती है, हमें डॉलर मिल जाते हैं । इस लिए हमें केन्द्रीय डॉलर समूहन को अपने हित में काम में लाने में कभी कोई कठिनाई नहीं होती है ।

पौण्ड क्षेत्र की सदस्यता के कारण, मुद्रानीति के सम्बन्ध म स्वतंत्रता से कार्य करने में हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है । आज की परिस्थितियों में स्वतंत्र मुद्रा नीति का अर्थ है विनिमय की स्थिरता । यह नहीं कहा जा सकता है कि इंगलैण्ड का पौण्ड अस्थिर मुद्रा है जिस के साथ सम्बन्ध रखने का को. मूल्य नहीं है । एक स्वतंत्र मुद्रा को भी संसार की बड़ी बड़ी मुद्राओं के साथ कुछ न कुछ सम्बन्ध रखना ही पड़ता है । पौण्ड क्षेत्र का प्रत्येक सदस्य इस सम्बन्ध में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय कर सकता है । कोई भी देश जब चाहे अपनी विनिमय दर बदल सकता है परन्तु उसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता से उत्पन्न होने वाली ज़िम्मेदारियों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम सभी को विदित है कि १९४९ में पाकिस्तान को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने के लिए विवश नहीं किया गया था। दिसम्बर १९५१ में आस्ट्रेलिया ने अपनी मुद्रा का अधिमूल्यन किया । यदि कोई विनिमय दर बदलने के लिये स्वतंत्र है तो वह अपने देश की मुद्रा नीति बदलने के लिए भी स्वतंत्र है । वह आवश्यकता अनुसार मुद्रा के अन्तर्देशीय संचालन का विस्तार तथा संकुचन कर सकता है तथा आयात निर्यात नियंत्रणों को अपनी आवश्यकता के अनुकूल बदल सकता है। यदि कुछ अर्से से हम पौण्ड रक्षित नीधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इस का कारण यह नहीं है कि पौण्ड क्षेत्र का सदस्य होने के कारण हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध है । इस का कारण तो यह है कि कृषि उत्पादन पर्याप्त हुआ है तथा वर्षा लाने वाली दवायें एक बड़ी सीमा तक हमारे अनुकूल रही हैं। हम सोचते थे कि हमें २ करोड़ ९० लाख टन खाद्यान्न आयात करना पड़ेगा परन्तु मेरा अनुमान है कि बीते हुए वर्ष में हमें लगभग १० लाख टन कम आयात करना पड़ा। हमारी रुई की फ़सल अच्छी हुई, इस लिये, हमने जितनी अमरीकन रुई आयात करने का अनुमान किया था, उस से बहुत कम आयात हमें करना पड़ा । ऐसी बातों का पहले से कोई अनुमान नहीं किया जा सकता है । फिर भी हम स्थिति के सुधार के लिए उपाय कर सकते हैं । और अब वही उपाय किये जा रहे हैं । अपने आर्थिक विकास के लिये हमने जो घाटे की वित्त व्यवस्था की है उस में यदि किसी प्रकार की मुद्रास्फीति की आशंका हो तो उस को

रोकने के लिये हम इस प्रकार के बहुत से उपाय कर सकते हैं ।

लंदन में जो हमारा रुपया जमा है उस के सम्बन्ध में शिकायत की गई थी कि ब्याज की दर बहुत कम है। ब्याज की दर के ही कारण अब उस का निराकरण हो गया है क्योंकि अब ब्याज की दर बढ़ गई है और अब हम अपने पौण्ड पावने पर पर्याप्त ब्याज प्राप्त कर रहे हैं । राज कोषीय दर ही २½ प्रतिशत है । स्वतंत्र मुद्रा प्रणाली वाले देशों को भी कुछ न कुछ विदेशी विनिमय रक्षित निधि रखनी पड़ती है। यह निधियां विभिन्न मुद्राओं में हो सकती हैं तथा इन में कुछ के मूल्यों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव भी हो सकता है । कभी कभी तो लेन देन के अन्तर का निपटारा करने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है (जसा कि योरूपीय देशों ने योरोपियन भुगतान संघ बना कर किया है) जिस से वे अल्प समय के लिए एक दूसरे से ऋण का प्रबन्ध कर लेते हैं । अन्यथा उन्हें विनिमय नियंत्रणों को एक विस्तृत व्यवस्था बनाना पड़ती है जिस के साथ साथ अनेक विनिमय दरें होती हैं तथा वैसी ही पेचीदगियां तथा रुकावटें पैदा होती हैं । उदाहरण के लिए, आर्जेन्टाइना में अनेकों विनिमय दरें हैं तथा 'कर्ब' दरें बहुत अधिक हैं तथा उन में बहुत उतार चढ़ाव हुआ करता है। ब्राजील में भी इसी प्रकार 'कर्ब' दरें हैं जिन में तथा सरकारी दरों में बड़ा अन्तर रहा करता है ।

व्यापार को नई दिशाओं में ले जाने में अथवा आयात निर्यात में नये सम्बन्ध स्थापित करने में पौण्ड क्षेत्र का सदस्य होने के कारण हमारे सामने कोई रुकावट नहीं आई है। युद्ध के पहले अमरीका तथा कनाडा के साथ हमारा व्यापार कुल व्यापार का आठ या दस प्रतिशत था जब कि अब यह लगभग बीस प्रतिशत है। इस में १९५१-५२ के खाद्य आयात की असाधारण राशियां सम्मिलित नहीं हैं। हमारा खाद्य, पेय तथा तम्बाकू था आयात १९३८ में कुल आयात का १४ प्रतिशत था, १५५१ में २८ प्रतिशत था तथा १९५२ में ३१ प्रतिशत था । हमारा कच्चे माल का आयात १९३८ में २४ प्रतिशत था, १९५१ में २९ प्रतिशत था तथा १९५२ में ३० प्रतिशत था। तय्यार माल का हमारा आयात १९३८ में ६२ प्रतिशत था, १९५१ में ४३ प्रतिशत था तथा १९५२ में ३९ प्रतिशत था। खाद्य, पेय तथा तम्बाकू का निर्यात १९३८ में २४ प्रतिशत था, १९५१ में २२ प्रतिशत था तथा १९५२ में २५ प्रतिशत था । हमारे कच्चे माल का निर्यात १९३८ में ४६ प्रतिशत था जो १९५१ में घट कर २२ प्रतिशत हो गया तथा १९५२ में २४ प्रतिशत हो गया। इसी के साथ साथ तय्यार माल का हमारा निर्यात १९३८ में ३० प्रतिशत था उस से बढ़ कर १९५१ में ५६ प्रतिशत हो गया तथा ११५२ में ५१ प्रतिशत हो गया। इसलिए हमारे व्यापार की रचना में भी बहुत परिवर्तन हुआ है ।

लंदन के वित्तीय सम्बन्धों का हम अब भी प्रयोग कर रहे हैं। यह सच है कि अपने विदेशी व्यापार के लिए हम अधिकांश धन एक्सचेंज बैंकों से प्राप्त करते हैं। इसका कारण यह है कि इन में से अधिकांश बैंकों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध हैं। ऐसे ही सम्बन्ध हम भी पैदा करने के प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु इस में अभी कुछ समय लगेगा । भारतीय बैंकों ने हाल में ऐसे देशों में जहां भारतीय प्रजाजन हैं जैसे ब्रह्मा, सिंगापुर, हाँगकांग, इण्डोनेशिया

[श्री सी० डी० देशमुख]

तथा पूर्वी अफ्रीका, अपनी शाखाएं खोलना आरंभ किया है। फिर भी अपने विदेशी व्यापार को यदि हमें एक दम से भारी धक्का नहीं पहुंचाना है तो हमें अभी लंदन के अत्यधिक विकसित वित्तीय संस्थाओं का प्रयोग कुछ समय तक और करना पड़ेगा।

आजकल पौण्ड का सब से बड़ा दोष यह है कि उस में परिवर्त्यता (मुद्रा विनिमय) नहीं है। पौण्ड की स्थिति तो एक वर्ष या अट्ठारह महीने पहले की स्थिति से बहुत अच्छी है। सोने तथा डॉलर की रक्षित निधि २५० करोड़ डालर हो गई है परन्तु अभी यह परिवर्त्यता (मुद्रा विनिमर्म) के योग्य नहीं है। परिवर्त्यता को बढ़ाने के लिए, प्रत्येक सदस्य देश को अपने हित में दृढ़ आर्थिक नीति का अनुसरण करना चाहिए तथा विकास को बढ़ाना चाहिए जिससे उस की तथा पौण्ड क्षेत्र की भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हो। अलग अलग देशों तथा राष्ट्रमण्डल अथवा पौण्ड क्षेत्र के हितों में कोई विरोधाभास नहीं है। आरंभ में परिवर्त्यता को सहारा देने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फेडरल रिज़र्व प्रणाली, अथवा अमरीका की सरकार के वाह्य समर्थन की आवश्यकता है। इस की संभाव्याताओं की खोज की जा रही है।

निस्सन्देह, यह कोई नहीं भुला सकता कि इस समय स्टर्लिंग की मुख्य कठिनाई इसे बदलने की है। इस की स्थिति में कुछ कठिनाइयां हैं—इसी कारण सिडनी में कोई बड़ा निश्चय नहीं किया गया था—जैसे संयुक्य राज्य अमेरिका में आगे और कितनी मन्दी आयेगी और उसका स्टर्लिंग क्षेत्र की आय तथा इस रक्षित धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वे क्या व्यापार नीति अपनायेंगे, इस के अतिरिक्त यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसी को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सम्भवतः कितनी सहायता मिल जाये और ओ० ई० ई० सी० के देश न जाने क्या रुख अपनायें ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया। यद्यपि दिसम्बर १९५२ में सिडनी में हुए प्रधान मंत्रियों के आर्थिक सम्मेलन में विनिमय की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये किसी न किसी रूप में काफ़ी देर तक विचार हुआ किन्तु वहां केवल घटनाचक्र का सिंहावलोकन और स्थिति को सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में ही विचार हो सका। अनिश्चितता के बड़े बड़े कारण अर्थात् अमेरिका की सरकार का रुख, उस की व्यापार नीति, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किस प्रकार की सहायता मिलने की आशा की जा सकती है और ओ० ई० ई० सी० के देशों से कहां तक सहयोग मिलने की सम्भावना है, अब भी विद्यमान हैं। सिडनी में जो कुछ भी हुआ था उसे मैं जहां तक बता सकता था मैं ने बताने का प्रयत्न किया है। और ऐसे किसी निश्चय को जान-बूझ कर दबाने का प्रयत्न नहीं किया गया है जो कि वहां किया गया हो और जिस का इस देश की अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

यहां साम्राज्यिक अधिमान का उल्लेख किया गया है, किन्तु मैं माननीय सदस्यों को चुनौती देता हूं कि वे विज्ञप्ति में या सरकारी रूप से प्रकाशित किसी भी अन्य पुस्तक में से एक भी ऐसा दृष्टान्त दें जिस में साम्राज्यिक अधिमान का कहीं उल्लेख किया गया हो। वे केवल इसीलिए ऐसा नहीं कर सके हैं, क्योंकि

सिडनी में इस विषय कर चर्चा नहीं हुई थी ।

श्री बंसल : श्रीमान्, यद्यपि सरकारी विज्ञप्ति में इस का कोई उल्लेख नहीं था, किन्तु सिडनी से समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले कई एक वक्तव्यों में निरन्तर इस का उल्लेख किया गया था ।

श्री सी० डी० देशमुख : वे सब उल्लेख ग़लत और भ्रमपूर्ण थे, क्योंकि वहां इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी और संसद् को इस विषय में मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए कि हमने इस विषय पर चर्चा नहीं की ।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं माननीय मंत्री की बात मानने को तैयार हूं । मैं ने तो यह कहा था कि हमें जो दस्तावेज़ बांटे गये हैं उन में साम्राज्यिक अधिमान के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है, किन्तु श्री बटलर ने इस का कई बार उल्लेख किया था ।

श्री सी० डी० देशमुख : ब्रिटेन के कोषाध्यक्ष ने जो कुछ कहा था उस के लिये मैं उत्तरदायी नहीं हूं । कोषाध्यक्ष ने अधिमानिक व्यापार का उल्लेख किया था जो कि एक बिल्कुल अलग चीज़ है । उन के मन में जी० ए० टी० टी० तथा अन्य बैठकों में साम्राज्यिक अधिमान के सम्बन्ध में यदा कदा हुई चर्चा का विचार विद्यमान था जिस का कि एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था । साम्राज्यिक अधिमान के सम्बन्ध में हमारा जो रुख है वह सामान्यता सब को ज्ञात है । साम्राज्यिक अधिमान के विषय में हमें अच्छी प्रकार वाद विवाद करने का अवसर न मिला, किन्तु हम ने इस प्रश्न का बड़े ध्यान से अध्ययन किया है और मुझे इस में ज़रा भी सन्देह नहीं है कि मेरे सहयोगी, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री उपयुक्त अवसर आने पर सदन को यह बता देंगे कि सरकार के इस विषय में क्या विचार हैं । इस समय तो हमारे विचार में ऐसा कोई साम्राज्यिक अधिमान नहीं है जिस से हमें क्षति पहुंचती हो, और यह सिद्ध किया जा सकता है कि यदि सम्पूर्ण रूप से देखा जाये तो साम्राज्यिक अधिमान की वर्तमान व्यवस्था से, जो कि जी० ए० टी० टी० में किये गये क़रारों के कारण अब सीमित हो गई है हमें लाभ हो है । और सम्भवतः वहां केवल जी० ए० टी० टी० को फिर से नया करने के सम्बन्ध में, जो कि व्यापार तथा प्रशुल्क के सम्बन्ध में सामान्य करार हैं राष्ट्रमण्डल के देशों के रुख को जानने के लिये—जून, जुलाई या सितम्बर में—किसी समय प्रारम्भिक परामर्श करने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था । लन्दन में जी० ए० टी० टी० की प्रत्येक बैठक होने से पहल इस प्रकार की चर्चा होती है । राष्ट्रमण्डल के देश या उन के प्रतिनिधि, जब कभी भी इकट्ठे होते हैं, तो इस पर चर्चा करते हैं । इस के अतिरिक्त इस विषय में और कोई उल्लेख नहीं किया गया था । जी० ए० टी० टी० का दूसरी बार उलेख वहां किया गया है जहां यह कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियमों तथा विनियमों के साथ साथ सम्भवतः जी० ए० टी० टी० के नियमों में परिवर्तन करने के लिए भी कोई अभ्यावेदन किया जाये । उस के सम्बन्ध में भी हमारा रुख सब को विदित है कि हम सामान्यतया किसी देश या देशों को नये साम्राज्यिक अधिमान बनाने की स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं हैं । मैं ने इस विषय का उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि जैसा कि मैं ने बताया सिडनी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

इस विषय पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई थी ।

श्री जोकीम आल्वा : मुझे एक शंका है । माननीय मंत्री इस देश के विदेशी मुद्रा विनिमय बैंको के कार्य की, जिन्हों ने हमारी अर्थव्यवस्था का गला घोंट दिया है, प्रशंसा कैसे कर रहे हैं या उन के विषय में अतिशयोक्ति कैसे कर रहे हैं ? मध्यपूर्व के एक ब्रिटिश बैंक को एक डच बैंक का स्थान के लेने की अनुमति क्यों दी गई थी ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, क्या आप मुझ से यह आशा करते हैं कि मैं इस असम्बद्ध अन्तर्बाधा का उत्तर दूं ? मेरे पास केवल कुछ मिनट और हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है यह भी सिडनी वार्ता का एक भाग था ?

श्री जोकीम आल्वा : नहीं, श्रीमान् । माननीय मंत्री ने विदेशी मुद्रा विनिमय बैंकों की प्रशंसा की थी, जिन्हों ने हमारी अर्थ-व्यवस्था का गला घोंट दिया है और अब भी घोंट रहे हैं । इस प्रश्न का कभी सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य बड़ी खुशी से अपना यह विचार रखें और मुझे अपने दृष्टिकोण के लिये उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । मैं ने इस विषय में स्टर्लिंग क्षेत्र के करार के रूप में ऐतिहासिक तथा अन्य दृष्टिकोणों से जो ठीक समझा बता दिया ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (बसीरहाट) : वह भी तो सदन के एक सदस्य हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : वह सदन के सदस्य हो सकते हैं, किन्तु मैं सदन के प्रत्येक सदस्य के प्रति तो उत्तरदायी नहीं हूं । (अन्तर्बाधायें)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सम्भवतः यह समझते होंगे कि सभी विदेशी बैंकों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है । वित्त मंत्री जी यह नहीं कह रहे हैं कि इन में से सभी बैंकों ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है और उन की इन बैंकों के सम्बन्ध में यह सामान्य राय है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने उन के कार्यों के गुणदोषों के सम्बन्ध में कोई राय नहीं दी है । मैं ने इस समय देश में उनकी स्थिति का उल्लेख किया है और यदि माननीय सदस्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री के० के० बसु : हम सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे पास समय थोड़ा है और यहां हमारा उस से कोई सम्बन्ध नहीं है । मुझे केवल इतना ही कहना है ।

वस्तुओं के करारों के सम्बन्ध में कुछ कहा गया था । मेरे विचार में माननीय सदस्य श्री बंसल का अभिप्राय प्रशुल्क अधिमान से नहीं अपितु वस्तुओं सम्बन्धी करारों से था जिन के द्वारा राष्ट्रमण्डल के देश कुछ निश्चित तथा स्थिर भावों पर एक दूसरे की वस्तुएं खरीद सकेंगे । केवल इसी प्रसंग में अधिमानिक व्यापार

करारों का कुछ उल्लेख किया गया था किन्तु साम्राज्यिक अधिमान का कोई उल्लेख नहीं किया गया था और इस शब्द का तो एक विशेष अर्थ है ।

इस के बाद में सदन को जानकारी न देने के आरोप के बारे में कुछ कहूंगा । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं जो कुछ भी वहां हुआ था में उसका सारांश बतला चुका हूं । मैं ने केवल यह नहीं बताया है और न ही मैं बता सकता हूं कि अन्य देशों ने अपनी आन्तरिक नीतियों के सम्बन्ध में क्या वक्तव्य दिये थे । यह एक चीज थी और दूसरी चीज वे आंकड़े थे जो कि अन्य सदस्य देशों ने अपने भुगतान सन्तुलन, घाटे या अन्य चीजों के विषय में दिये थे । वे आंकड़ उन की निजी सम्पत्ति हैं । वे सम्पूर्ण रूप से स्टर्लिंग क्षेत्र के भविष्य के रुख का कुछ अनुमान लगाने के लिये एक सामान्य बैठक में उन पर चर्चा करने को तैयार थे । स्पष्ट है कि वे आंकड़े भी नहीं बताये जा सकते हैं, क्योंकि इस विषय में सदा मतभेद हो सकता है कि भविष्य के लिये यह पर्याप्त होगा या नहीं । यदि एक बार इस प्रकार के विचारों पर ध्यान दिया जाये तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत सी विचारधारायें चल पड़ती हैं और उन से स्थिति और भी कठिन हो जाती है । अतः यह प्रथा है कि कोई भी देश आगामी छै मास या अगले वर्ष या इसी प्रकार से जो भी समय हो, उस के लिये अपने भुगतान सन्तुलन के सम्बन्ध में कोई भविष्यवाणी नहीं करता है । इस बात के अतिरिक्त कि ये भविष्य वाणियां प्रायः अविश्वसनीय होती हैं कोई भी कभी यह बिल्कुल ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा सका कि भुगतान सन्तुलन क्या होगा । इस कारण भविष्य के सम्बन्ध में कोई भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है । अतएव प्रकाशित सब पुस्तकों इत्यादि में सोने तथा डालर के संचय की केवल अतीत की प्रगति का ही उल्लेख किया हुआ है । मेरे विचार में हर तिमाही के पश्चात् हमें यह आंकड़े प्राप्त होते हैं और सम्भवतः कुछ समय पश्चात् इन आंकड़ों को प्रकाशित कर दिया जाता है । प्रत्येक को इन प्रकाशित आंकड़ों से ही कुछ परिणाम निकालने चाहियें और सामान्य मुद्रा के भविष्य के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा में भाग लेने वाले अपने प्रतिनिधियों पर विश्वास करना चाहिये ।

जैसा कि मैं ने बताया सिडनी में इस मुद्रा को बदलने के प्रश्न का भी उल्लेख नहीं किया गया था और इसका कारण स्पष्टतः यह था कि यह मान लिया गया था कि इस सम्बन्ध में कोई निश्चय करने से पूर्व बहुत सी अनिश्चित बातों को पहले स्थिर करना होगा । वह निश्चय ब्रिटेन को करना पड़ेगा क्योंकि स्टर्लिंग आखिर उसी की मुद्रा है और हम अपनी सुविधा के लिये इसका प्रयोग कर रहे हैं उससे यह पूछने का कोई अधिकार नहीं है कि वे इस विषय में कोई निश्चित कार्यवाही कब करेंगे । मेरा इस विषय में यही दृष्टिकोण है ।

इस के अतिरिक्त और कोई आंकड़े या जानकारी नहीं है जिसे कि मैंने सामान्य रूप से सदन से छिपा रखा हो । किन किन विषयों पर चर्चा हुई और चर्चा का रुख क्या रहा यह सब सरकारी विज्ञप्ति तथा मैंने जो अन्य वक्तव्य दिये हैं उन में दिया हुआ है । मैं सरकारी विज्ञप्ति की भाषा के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । माननीय सदस्यों को इस से सन्तोष हुआ है या नहीं इस से वस्तुतः मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । मेरा तो केवल यह काम है कि मैं उन्हें यथाशक्ति अच्छी प्रकार

[श्री सी० डी० देशमुख]

यह बता दूं कि वहां क्या कहा हुआ था और वह सब कुछ मैं ने बता दिया है।

हमारे व्यापारिक घाटे और पौण्ड पावने के सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं। मैं ठीक प्रकार यह समझ नहीं सका कि माननीय सदस्यों ने किस बात की आलोचना की है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारा यह इरादा है कि अपने पौण्ड पावने को बिना प्रयोग किये थोड़ी अवधि के ऋणों के रूप में लन्दन में पड़े रहने देने की अपेक्षा आयात में बचत की जाये जिस से हम उस का प्रयोग कर सकें। एक माननीय सदस्य ने जो यह सुझाव दिया है कि क्योंकि मैं इस का उपयोग नहीं कर सकता, एक वर्ष से अधिक बीत चुका है और मैं इन का उपयोग नहीं कर सका हूं अतः मुझे विदेशों में ही किसी उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिये या विदेशों में ही कोई विकास परियोजना आरम्भ कर देनी चाहिये। इसे मैं एक विचित्र सुझाव ही समझ सकता हूं। वह माननीय सदस्य इस समय अपने स्थान पर नहीं हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: मैं यहां हूं।

श्री सी० डी० देशमुख: क्षमा कीजियेगा।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि हमें इसकी बहुत आवश्यकता है और हमें आशा है कि हम अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये इसका उपयोग कर सकेंगे।

इसके बाद उन्हीं माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि हम अपना रुपया मुद्रा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से क्यों खरीदें। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उपबन्धों को देखा है या नहीं। उसका प्रभार ४ प्रतिशत तक पड़ता है। वे प्रति वर्ष बढ़ते जाते हैं और ४ प्रतिशत तक जाते हैं। अनुच्छेद में लिखा है:

> "जब कभी कोष के पास किसी सदस्य की इतनी मुद्रा हो जायेगी कि किसी कोष्ठक पर किसी अवधि के लिये लिया जाने वाला प्रभार चार प्रति शत वार्षिक की दर तक पहुंच जायेगा तो कोष और वह सदस्य ऐसे उपाय ढूंढने का प्रयत्न करेंगे जिस से कि कोष के पास विद्यमान उस देश की मुद्रा को कम किया जा सके। उसके पश्चात् प्रभार उपरोक्त (ग) के उपबन्धों के अनुसार बढ़ते जायेंगे"

अर्थात् वे ४ प्रतिशत से भी अधिक बढ़ जाते हैं:

> "जब तक कि वे ५ प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाते और समझौता न होने पर कोष जितना उचित समझे उतना प्रभार ले सकता है।"

यह तो अनिवार्य रूप से एक थोड़ी अवधि का ऋण होता है जो कि प्रति वर्ष की व्यापारिक घटा-बढ़ी को पूरा करने के लिये दिया जाता है और प्रत्येक सदस्य देश से यह आशा की जाती है कि वह एक निश्चित अवधि के अन्दर अपनी मुद्रा खरीद लेगा। यदि यह ऐसा न कर सके, तो उस से बहुत अधिक दर से व्याज लिया जा सकता है। अतः मेरा यही कहना था कि हमारे लिये इस से छुटकारा पाना अत्यन्त आवश्यक था।

हमारे लन्दन के बाजार में एक ऋण जारी करने का भी उल्लेख किया गया

था । हुआ यह था कि ब्रिटेन के कोषाध्यक्ष ने यह घोषणा की थी कि इस वर्ष सम्भवतः लन्दन के बाजार से राष्ट्रमण्डल के देशों के विकास के लिये कुछ फालतू स्टर्लिंग मिल सकें । उन्होंने बहुत से ऐसे साधन बतलाये थे जिन के द्वारा वह धन मिल सकता है, जैसे कि सीधा लन्दन के बाजार से या उस के नये विकास नियमों से या उस निधि में से जो कि उन्हों ने केवल उपनिवेशों के विकास के लिये बनाई हुई है, ऋण ले कर । मैं ने यह कहा था कि क्योंकि हम ने २५० करोड़ रुपये तक अपने पौण्ड पावने का प्रयोग नहीं किया है अतः हम ऋण लेना नहीं चाहते थे क्योंकि हमें ४ प्रतिशत या ४½ प्रतिशत पर लन्दन में धन उधार लेने और अपने धन को लन्दन के अल्पकालीन ऋणों के बाजार में बहुत कम ब्याज पर रखने में कोई लाभ नहीं दिखाई दिया । इसलिये हम ने वहां यह कह दिया था कि भारत लन्दन के बाजार से ऋण नहीं लेगा । अतः माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जो आलोचना की है वह सम्भवतः गलतफहमी के कारण की गई है और वस्तुतः विषय से सम्बद्ध नहीं है ।

मैं समझता हूं कि मैं ने माननीय सदस्यों की लगभग सभी महत्वपूर्ण बातों का उत्तर दे दिया है । श्रीमान्, मुझे तो और कोई बात उत्तर देन के लिये दिखाई नहीं देती है ।

इस के पश्चात् सभा मंगलवार, १६ मार्च, १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—20 PS —6.7.54—800